



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 4
सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

राजस्थान सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 4

सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

विषय सूची

| अध्याय | विषय-वस्तु | अनुच्छेद | पृष्ठ संख्या |
|------------|---|--------------|--------------|
| | प्रस्तावना | | v |
| | कार्यकारी सारांश | | vii |
| अध्याय-I | राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन | | |
| | परिचय | 1.1 से 1.5 | 1-5 |
| | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश | 1.6 से 1.19 | 6-14 |
| | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल | 1.20 से 1.25 | 14-19 |
| | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचालन दक्षता | 1.26 से 1.28 | 20-24 |
| अध्याय-II | सीएजी की निरीक्षण भूमिका | | |
| | सांविधिक लेखापरीक्षको की नियुक्ति | 2.1 | 25 |
| | सांविधिक लेखापरीक्षा | 2.2 | 25-26 |
| | राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों का प्रस्तुतिकरण | 2.3-2.4 | 26-27 |
| | सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण | 2.5 | 28 |
| | सीएजी की निगरानी-लेखों की लेखापरीक्षा एवं पूरक लेखापरीक्षा | 2.6-2.8 | 28-29 |
| | सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम | 2.9-2.14 | 30-42 |
| अध्याय-III | निगमित अभिशासन | | |
| | परिचय | 3.1-3.4 | 43-44 |
| | निदेशक मंडल की संरचना | 3.5-3.6 | 44-47 |
| | स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं कार्य कलाप | 3.7-3.11 | 47-53 |
| | निदेशक मंडल की बैठक | 3.12 | 53-54 |
| | लेखापरीक्षा समिति एवं बोर्ड की अन्य समितियां | 3.13-3.18 | 55-60 |
| | सचेतक तंत्र | 3.19 | 60-61 |
| | आंतरिक लेखापरीक्षा का ढांचा | 3.20-3.22 | 61-63 |
| | अन्य प्रकरण | 3.23 | 63-64 |
| अध्याय-IV | निगमित सामाजिक दायित्व | | |
| | परिचय | 4.1-4.5 | 65-68 |

| | | | |
|----------|--|-----------|-------|
| | लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 4.6 | 68 |
| | नियोजन | 4.7-4.10 | 68-71 |
| | वित्तीय धटक | 4.11-4.20 | 72-78 |
| | परियोजना क्रियान्वयन | 4.21-4.26 | 78-81 |
| | निगरानी तंत्र | 4.27 | 81 |
| | प्रतिवेदन एवं प्रकटन | 4.28 | 81-84 |
| अध्याय-V | राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी नियमों, 2013 की अनुपालना | | |
| | परिचय | 5.1-5.5 | 85-88 |
| | लेखापरीक्षा निष्कर्ष | 5.6 | 88 |
| | सामान्य प्रावधानों की अनुपालना | 5.7-5.10 | 89-91 |
| | विशिष्ट प्रावधान/नियमों की अनुपालना | 5.11-5.19 | 92-99 |

अनुबंध

| अनुबंध संख्या. | विषय-वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|----------------|--|--------------|
| 1.1 | राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया है, में बकाया अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र | 101-102 |
| 1.2 | 31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 103-104 |
| 1.3 | राजकीय उपक्रमों के नवीनतम लेखों, जिनको 31 दिसम्बर 2020 को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम | 105-110 |
| 1.4 | 2000-01 से 2019-20 तक की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश एवं निवेशित कोषों के वर्तमान मूल्य के विवरणों को वर्षवार दर्शाने वाला विवरण-पत्र | 111-113 |
| 2.1 | राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षक ने एएस/इंड एएस की अनुपालना नहीं किए जाने को प्रतिवेदित किया, को दर्शानेवाला विवरण पत्र | 114 |

| | | |
|---------------------|--|-------------|
| 2.2 | राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनके वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन अवधि के दौरान सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी, को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 115 |
| 2.3 | राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्हे प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र | 116- 117 |
| 3.1 | स्वतंत्र/महिला निदेशक/लेखापरीक्षा समिति/एनआरसी/केएमपी की आवश्यकता एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित बोर्ड की बैठक/लेखापरीक्षा समिति की बैठक को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 118- 120 |
| 3.2 | आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा | 121- 122 |
| 4.1 | राजकीय उपक्रम, जिन्हे सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था एवं सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र | 123 |
| 5.1 | आरटीपीपी अधिनियम/नियमों की सामान्य अनुपालना एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आमंत्रित निविदाओं की संख्या तथा प्रापण के मूल्य को दर्शाने वाला विवरण पत्र | 124- 126 |
| संक्षेप की शब्दावली | | 127- 128 |

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की 31 मार्च 2020 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय-समय पर यथा संशोधित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धारित या नियंत्रित अन्य कम्पनी¹ को सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कंपनियों के लेखों को प्रमाणित करते हैं, जोकि सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं। सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपनी टिप्पणी प्रदान करते हैं अथवा उसे पूरक करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 सीएजी को कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान करने का अधिकार देता है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था उनके संबंधित अधिनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की गई है जिनके माध्यम से इन निगमों की स्थापना की गई है।

3. यह प्रतिवेदन राजस्थान राज्य में 38 सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों को सम्मिलित करते हुए 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के निष्पादन से संबंधित है जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधीन है।

4. सीएजी एक निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के एकमात्र लेखापरीक्षक है। सीएजी को विधान के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा करने के पश्चात, राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के संबंध में अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

1 कारपोरेट मामलों का मंत्रालय-कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 दिनांक 4 सितम्बर 2014।

5. इस प्रतिवेदन में समीक्षित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के लेखे वर्ष 2019-20 (यथा प्राप्त) से संबंधित है। राजकीय उपक्रमों के संबंध में जहाँ किसी विशिष्ट वर्ष हेतु लेखे 31 दिसम्बर 2020 से पूर्व प्राप्त नहीं हुए थे, के संबंध में अंतिम लेखापरीक्षित लेखो से आंकड़े लिये गये हैं।
6. इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कंपनियों/निगमों अथवा राजकीय उपक्रमों' के समस्त संदर्भों को 'राज्य सरकार के कंपनियों/निगमों' को उल्लेखित करने हेतु किया जा सकता है।

कार्यकारी सांराश

कार्यकारी सारांश

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2020 को, सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 38 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों एवं तीन सांविधिक निगमों सहित राजस्थान राज्य में 45 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (राजकीय उपक्रम) थे। यह प्रतिवेदन सभी 45 राजकीय उपक्रमों से संबंधित है।

राजकीय उपक्रमों में निवेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश (₹ 157588.59 करोड़) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अन्तर्गत ₹ 14721.97 करोड़ की राशि के ऋण को समता पूँजी एवं सब्सिडी में परिवर्तित किए जाने के कारण थोड़ा कम हो गया था। कुल निवेश का प्रमुख हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित है, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक कुल निवेश (₹ 145323.58 करोड़) का 92.22 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 41 राजकीय उपक्रमों की पूँजी निवेश में ₹ 2095.54 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार ने समस्त पूँजी ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में अंशों के निर्गमन (₹ 1190.94 करोड़) एवं ऋण को पूँजी में परिवर्तन (₹ 905.50 करोड़) के माध्यम से निवेश की थी।

31 मार्च 2020 तक, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था जिसे राज्य सरकार एवं इसके द्वारा नियंत्रित नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश किया गया था।

(अनुच्छेद 1.6, 1.7 एवं 1.16)

निवेश पर प्रतिफल

41 राजकीय उपक्रमों में से 25 राजकीय उपक्रमों ने 2019-20 में ₹ 3843.10 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसका 85.92 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र से, उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी के कारण, संबंधित है।

(अनुच्छेद 1.20 एवं 1.21)

वर्ष 2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों में से 13 राजकीय उपक्रमों ने ₹ 489.54 करोड़ की हानि वहन की।

(अनुच्छेद 1.24)

निवल मूल्य का क्षरण

41 राजकीय उपक्रमों में उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 51383.84 करोड़ एवं ₹ 94469.51 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.48 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय की घटाने के पश्चात ₹ 43148.15 करोड़ का ऋणात्मक निवल मूल्य था। 15 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य पूर्णतः क्षरण हो गया था क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों का पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33384.14 करोड़ एवं ₹ 93721.74 करोड़ था।

(अनुच्छेद 1.25)

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

सरकारी निवेश की ऐतिहासिक लागत (आरओआर) की तुलना में सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर) का आंकलन करने हेतु 32 राजकीय उपक्रमों में, जिनमें राज्य सरकार ने पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया है, राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) की गणना की गई थी। राज्य सरकार के निवेश का पीवी सब्सिडी रहित एवं उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी सहित क्रमशः ₹ 92767.49 करोड़ एवं ₹ 148093.09 करोड़ था, जबकि आरओआरआर क्रमशः 3.83 प्रतिशत तथा 2.40 प्रतिशत परिकल्पित की गई।

(अनुच्छेद 1.28)

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सीएजी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 42 राजकीय उपक्रमों (तीन सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से 31 दिसंबर 2020 को या उससे पूर्व सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों सहित 30 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य एक कंपनी सहित 12 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से बकाया थे।

(अनुच्छेद 2.4)

30 राजकीय उपक्रमों, जिनके वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए थे, उनमें से 21 राजकीय उपक्रमों में पूरक लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, दो सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरण भी प्राप्त हुए थे एवं इनकी भी पूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

(अनुच्छेद 2.9)

पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कंपनी (राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड) ने वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे।

(अनुच्छेद 2.10)

पूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में अनियमिततायें एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण प्रकृति की नहीं थी, के संबंध में 26 राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन को सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रबंधन पत्र द्वारा सूचित किया गया था।

(अनुच्छेद 2.14)

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड जो परिसमापन के अधीन है के अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण वाली सभी सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की अनुपालना यद्यपि आवश्यक थी परन्तु कुछ राजकीय उपक्रमों द्वारा अनुपालना नहीं की गई। वर्ष के दौरान निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन पाये गये थे:

चार राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व आवश्यक संख्या से कम था जबकि 17 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.5)

दो राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी।

(अनुच्छेद 3.6)

मात्र 57 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति 100 प्रतिशत थी। साथ ही, दो राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में भाग न लेकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था।

(अनुच्छेद 3.9-अ)

सात राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने साधारण सभा में भाग नहीं लिया था। साथ ही, बोर्ड समिति की अन्य बैठक यथा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति एवं लेखापरीक्षा समिति में भी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति अपर्याप्त रही थी।

(अनुच्छेद 3.9-ब एवं स)

13 राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2019-20 के दौरान पृथक से बैठकें नहीं कीं थी।

(अनुच्छेद 3.10)

16 राजकीय उपक्रम बीओडी की चार बैठकें आयोजित करने में विफल रहे जबकि चार राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक आयोजित

की। साथ ही, 15 राजकीय उपक्रमों में बीओडी की निरन्तर दो बैठकों के मध्य समयान्तराल 120/180 दिनों की निर्धारित समय सीमा के समक्ष 123 दिवस एवं 385 दिवसों के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 3.12)

एक राजकीय उपक्रम कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। साथ ही, 21 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त था क्योंकि वे बहुमत में नहीं थे।

(अनुच्छेद 3.13 एवं 3.14)

चार राजकीय उपक्रमों में कोई व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था।

(अनुच्छेद 3.19)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) में निहित प्रावधान के अनुसार वर्ष 2019-20 में 20 राजकीय उपक्रमों को सीएसआर समिति गठित करने की आवश्यकता थी। इन 20 राजकीय उपक्रमों में से 16 राजकीय उपक्रमों को विस्तृत जांच के लिए चुना गया।

13 राजकीय उपक्रमों द्वारा किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 4.8)

एक राजकीय उपक्रम अर्थात् राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड ने अपनी सीएसआर नीति तैयार नहीं की थी। साथ ही, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा तैयार की गई सीएसआर नीति में क्रमशः निगरानी ढांचा एवं सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष के व्यवहार से संबंधित प्रावधान को सम्मिलित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.9)

सात राजकीय उपक्रमों ने अपनी वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट को सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं कराया था।

(अनुच्छेद 4.10)

निधियों के कम आवंटन (आरएमएससीएल एवं आरआईएसएल) एवं अधिक आवंटन (आरएसजीएल) के प्रकरण थे।

मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग किया था, जबकि तीन राजकीय उपक्रमों ने आंशिक रूप से राशि का उपयोग किया था। साथ ही, सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधि की कोई राशि व्यय नहीं की थी।

(अनुच्छेद 4.11)

तीन राजकीय उपक्रमों ने पूर्व वर्ष की अग्रेनीत की गई अव्ययित राशि में से सीएसआर गतिविधियों पर आंशिक रूप से व्यय किया। साथ ही, पांच राजकीय उपक्रम अग्रेनीत की गई राशि में से कोई भी व्यय करने में असफल रहे।

(अनुच्छेद 4.12)

तीन राजकीय उपक्रमों (आरएसजीएल, रीको एवं आरआईएसएल) ने सीएसआर के लेखांकन हेतु मार्गदर्शन नोट का उल्लंघन करते हुए अव्ययित राशि का प्रावधान किया।

(अनुच्छेद 4.13)

2019-20 के दौरान, नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹ 1346.88 लाख था। आरआरवीपीएनएल शीर्ष व्ययकर्ता था व उसके बाद आरआरवीयूएनएल, आरएसएमएमएल एवं आरएसजीएसएमएल थे।

(अनुच्छेद 4.15)

आरएसजीएसएमएल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में सीएसआर के पेटे राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष में क्रमशः ₹ 93.93 लाख एवं ₹ 96.80 लाख की राशि हस्तांतरित की थी जो अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन सीएसआर गतिविधियों एवं सामान्य परिपत्र दिनांक 10 अप्रैल 2020 द्वारा दिए गये स्पष्टीकरण के अनुसार पात्र नहीं थी

(अनुच्छेद 4.22)

सीएसआर व्यय के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा एवं उसके बाद शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

(अनुच्छेद 4.24)

राजकीय उपक्रमों द्वारा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 की अनुपालना

राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (अधिनियम) एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (नियम) को क्रमशः अप्रैल 2012 एवं जनवरी 2013 में अधिसूचित किया। अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के लागू होने/अधिसूचित करने के बाद समस्त राजकीय उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक सार्वजनिक प्रापण उक्त अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है। आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियमों के प्रावधानों की अनुपालना की जांच 37 राजकीय उपक्रमों में की गई थी

एवं वर्ष के दौरान प्रावधानों की अनुपालना नहीं किए जाने के महत्वपूर्ण प्रकरणों/मामलों को, जो ध्यान में आये, वह निम्न प्रकार थे:

37 राजकीय उपक्रमों में से 28 राजकीय उपक्रम, जिनमें विभिन्न स्थायी समितियाँ गठित की गई थी, नियम प्रावधानों का पूर्णतया पालन करने में विफल रहे। साथ ही, आठ राजकीय उपक्रमों में (जहां स्थायी समितियाँ गठित की गई थी) में वरिष्ठतम लेखा अधिकारी अथवा पदधारी को समिति का सदस्य मनोनीत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एक राजकीय उपक्रम (आरएसडब्ल्यूसी) वरिष्ठतम लेखा अधिकारी या पदधारी को समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करने में विफल रहा।

(अनुच्छेद 5.7)

समस्त 37 राजकीय उपक्रम द्वारा प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) को विकसित नहीं किया गया था। जिसके अभाव में सभी 37 राजकीय उपक्रम संविदाओं के निष्पादन, विलंब इत्यादि सहित विभिन्न मापदंडों के निष्पादन को ट्रैक करने की स्थिति में नहीं थे।

(अनुच्छेद 5.8)

37 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम (आरआरवीपीएनएल) में संबंधित प्रशासनिक विभाग ने बोली पर निर्णय लेने हेतु समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया था।

(अनुच्छेद 5.10)

अध्याय-I

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों
का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-I

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

परिचय

1.1 यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) के वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय निष्पादन को प्रस्तुत करता है। राजकीय उपक्रमों में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित सरकारी कंपनियों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) एवं संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधानों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों को सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कंपनी

- एक कंपनी जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा अथवा एक या एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा धारित किया जाता है, एवं इसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है, जो की सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। {जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है}

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां

- किसी अन्य कंपनी का स्वामित्व अथवा नियंत्रण प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। {जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (4 सितंबर 2014) कंपनियों की (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश, 2014 द्वारा परिभाषित किया गया है।}

सांविधिक निगम

- संसद/राज्य विधायिका द्वारा अधिनियमित विधान के अंतर्गत स्थापित निगम।

प्रतिवेदन में दर्शाए गए राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को उनके वित्तीय विवरणों के साथ-साथ राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर लिया गया है। इस प्रतिवेदन में राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा की गई वर्ष 2019-20 (या पूर्व वर्षों के जिन्हे चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया)

के एकमात्र लेखापरीक्षा/पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखों में संशोधन के साथ-साथ जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों¹ के प्रभाव को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रतिवेदन निगमित अभिशासन एवं निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अनुपालना की स्थिति का भी समग्र चित्रण है।

अधिदेश

1.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143 (7) सपठित सीएजी (कर्तव्य, शक्ति, एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अधीन की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सीएजी सनदी लेखाकारों को कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करता है एवं लेखों की लेखापरीक्षा किस प्रकार से की जानी है इस संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, सीएजी के पास पूरक लेखापरीक्षा कराने का अधिकार है।

सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधान के अंतर्गत सीएजी को उनके लेखों की लेखापरीक्षा या तो एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में अथवा विधानों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा करने के पश्चात पूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता होती है।

सरकार एवं विधानमंडल की भूमिका

1.3 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से राजकीय उपक्रमों के कामकाज पर नियंत्रण करती है। इन राजकीय उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी एवं बोर्ड के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधानमंडल राजकीय उपक्रमों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी भी करता है। इसके लिए सरकारी कंपनियों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों के साथ-साथ वार्षिक प्रतिवेदन तथा अथवा सांविधिक निगमों के संबंध में, जैसा कि संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी का (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के अन्तर्गत की सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।

1 1 अक्टूबर 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक अंतिम रूप दिए गए/जारी किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर।

प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति

1.4 वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में विद्यमान 43 राजकीय उपक्रमों (40 सरकारी कंपनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) में से दो सरकारी कंपनियाँ² वर्ष के दौरान परिसमाप्त हो गईं एवं सीएजी के लेखापरीक्षा के कार्य-क्षेत्र से बाहर हो गई थी, जबकि सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों³ लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्य क्षेत्र में आ गई। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के कार्य-क्षेत्र में राजकीय उपक्रमों की संख्या बढ़कर 45 राजकीय उपक्रम हो गई, जिसमें 31 मार्च 2020 को 38 सरकारी कंपनियाँ, तीन सांविधिक निगम⁴ एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियाँ सम्मिलित थी, जैसा कि अनुबंध 1.3 में दर्शाया गया है। साथ ही, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के आंकड़ों में दो कंपनियों के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं, जिनका समापन 2019-20 के दौरान हो गया था। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। साथ ही, सरकारी कंपनियों में सम्मिलित तीन⁵ अकार्यरत कंपनियाँ वह हैं, जिन्होंने गत तीन से 20 वर्षों से अपने संचालनों को बंद कर दिया था। इन अकार्यरत कंपनियों के निवेश एवं परिसमापन की स्थिति पर अनुच्छेद 1.20 में चर्चा की गई है।

गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर, इन 41 राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के अतिरिक्त) को आठ क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए, इन 41 राजकीय उपक्रमों का टर्नओवर (₹ 82793.75 करोड़), वर्ष के लिए राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (₹ 1020989 करोड़) का 8.11 प्रतिशत था। इन राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर एवं टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1: 2019-20 के दौरान, राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार टर्नओवर का राजस्थान के जीएसडीपी के सम्मुख अंश

| क्रम संख्या | क्षेत्र का नाम | राजकीय उपक्रमों की संख्या | वर्ष के लिए टर्नओवर (₹ करोड़ में) | जीएसडीपी में टर्नओवर का अंश |
|-------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | पॉवर एवं ऊर्जा | 15 | 66491.97 | 6.51 |

- 2 केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कंपनी लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड।
- 3 जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जेएससीएल), उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल), कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (केएससीएल) एवं अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (एएससीएल)।
- 4 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी), राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी)।
- 5 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (आरएसएआईसीएल), राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड (आरसीएसीएल) एवं राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड (आरजेवीएनएल)।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| 2 | उद्योग एवं व्यापार | 6 | 3146.36 | 0.31 |
| 3 | वित्त | 3 | 8228.34 | 0.81 |
| 4 | कृषि, स्वास्थ्य एवं संबंधित उद्योग | 4 | 923.97 | 0.09 |
| 5 | संस्कृति एवं पर्यटन | 2 | 62.80 | 0.01 |
| 6 | परिवहन | 2 | 1724.74 | 0.17 |
| 7 | शहरी विकास | 2 | 16.90 | 0.00 |
| 8 | अन्य | 7 | 2198.67 | 0.21 |
| | कुल | 41 | 82793.75 | 8.11 |

स्रोत: एसपीएसईज के नवीनतम वित्तीय विवरणों के आधार पर संकलित सूचना।

2019-20 के दौरान सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों का टर्नओवर शून्य था।

राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

1.5 सीएजी, अपने अधिदेश के अनुसार, सभी 42 कंपनियों (अर्थात् 38 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियों) के वार्षिक लेखों की पूरक लेखा परीक्षा करते हैं। तीन सांविधिक निगमों के संबंध में, सीएजी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) के एकमात्र लेखापरीक्षक है जबकि राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम (आरएसडब्ल्यूसी) एवं राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) के संबंध में संबंधित विधानों के अन्तर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है एवं तत्पश्चात, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

राजकीय उपक्रमों के 31 दिसंबर, 2020⁶ तक प्राप्त नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों के आधार पर, इस प्रतिवेदन में इन 45 राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। राजकीय उपक्रमों की प्रकृति एवं वित्तीय विवरणों की स्थिति तालिका 1.2 में इंगित की गई है:

तालिका 1.2: प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों की प्रकृति

| राजकीय उपक्रमों की प्रकृति | कुल संख्या | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदन अवधि ⁷ के दौरान प्राप्त हुये | | | | कुल | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2020 तक बकाया (कुल बकाया लेखे) थे। |
|----------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|-----|---------|--|
| | | 2019-20 के लिये लेखे | 2018-19 के लिये लेखे | 2017-18 के लिये लेखे | कुल | | |
| सरकारी कंपनियाँ | 38 | 27 | 12 | 1 | 40 | 11 (24) | |

6 2019-20 के वार्षिक लेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए नियत तिथि बढ़ाई गई।

7 अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 तक।

| | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|---------|
| सांविधिक निगम | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 (1) |
| कुल | 41 | 29 | 13 | 1 | 43 | 12 (25) |
| सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां | 4 | 3 | - | - | 3 | 1 (1) |
| कुल | 45 | 32 | 13 | 1 | 46 | 13 (26) |

स्रोत: 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त लेखों के आधार पर संकलित सूचना।

अनुच्छेद 1.1 में कंपनी-वार लेखों की बकाया स्थिति को दर्शाया गया है।

| इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राजकीय उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम) | |
|--|----------------------|
| राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या | 41 |
| राजकीय उपक्रम सम्मिलित | 41 |
| प्रदत्त पूँजी (41 राजकीय उपक्रम) | ₹ 51383.84 करोड़ |
| दीर्घावधि ऋण (41 राजकीय उपक्रम) | ₹ 106204.75 करोड़ |
| शुद्ध लाभ (25 राजकीय उपक्रम) | ₹ 3843.10 करोड़ |
| शुद्ध हानि (13 राजकीय उपक्रम) | ₹ 489.54 करोड़ |
| शून्य लाभ/हानि (3 राजकीय उपक्रम) ⁸ | |
| घोषित लाभांश/भुगतान (5 राजकीय उपक्रम) | ₹ 43.75 करोड़ |
| कुल परिसम्पत्तियां (41 राजकीय उपक्रम) | ₹ 202115.12 करोड़ |
| निवल मूल्य (41 राजकीय उपक्रम) | (-) ₹ 43148.15 करोड़ |
| सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां | |
| राजकीय उपक्रमों की कुल संख्या | 4 |
| राजकीय उपक्रम सम्मिलित | 4 |
| प्रदत्त पूँजी | ₹ 600.01 करोड़ |
| दीर्घावधि ऋण | शून्य |
| शुद्ध लाभ (एक राजकीय उपक्रम) | ₹ 0.05 करोड़ |
| शुद्ध हानि (एक राजकीय उपक्रम) | ₹ 0.02 करोड़ |
| शून्य लाभ/हानि (2 राजकीय उपक्रम) ⁹ | |
| घोषित लाभांश/भुगतान | - |
| कुल परिसंपत्ति (4 राजकीय उपक्रम) | ₹ 1363.27 करोड़ |
| निवल मूल्य (4 राजकीय उपक्रम) | ₹ 621.21 करोड़ |

8 छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड, धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड।

9 एएससीएल एवं केएससीएल।

राजकीय उपक्रमों में निवेश

सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में हिस्सेदारी

1.6 31 मार्च 2020 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि हेतु 41 सरकारी कंपनियों एवं सांविधिक निगमों में पूँजी एवं ऋण के रूप में निवेश की राशि तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3 राजकीय उपक्रमों में अंशपूँजी निवेश एवं ऋण

(₹ करोड़ में)

| निवेश का स्रोत | 31 मार्च 2018 | | | 31 मार्च 2019 ¹⁰ | | | 31 मार्च 2020 | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | कुल | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | कुल | पूँजी | दीर्घावधि ऋण | कुल |
| राज्य सरकार | 44613.26 | 35092.44 | 79705.70 | 48435.56 | 20499.93 | 68935.49 | 50531.10 | 7618.37 | 58149.47 |
| राजकीय उपक्रम | 513.13 | 0.43 | 513.56 | 513.13 | 0.43 | 513.56 | 513.13 | 13.43 | 526.56 |
| केन्द्र सरकार | 31.02 | 0.00 | 31.02 | 31.02 | 0 | 31.02 | 31.02 | 0.00 | 31.02 |
| अन्य | 308.59 | 79652.73 | 79961.32 | 308.59 | 91292.43 | 91601.45 | 308.59 | 98572.95 | 98881.54 |
| कुल | 45466.00 | 114745.60 | 160211.60 | 49288.30 | 111792.79 | 161081.52 | 51383.84 | 106204.75 | 157588.59 |
| कुल निवेश में राज्य सरकार का हिस्सा (% में) | 98.12 | 30.58 | 49.75 | 98.27 | 18.34 | 42.80 | 98.34 | 7.17 | 36.90 |


स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश गत वर्षों की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान थोड़ा कम हुआ। यह उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत ₹ 14721.97 करोड़ के ऋण राशि को पूँजी (₹ 905.50 करोड़) एवं सब्सिडी (₹ 13816.47 करोड़) में परिवर्तित करने के कारण हुआ था। इन राजकीय उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी का प्रमुख हिस्सा राज्य सरकार द्वारा निवेशित था।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के अन्त में इन राजकीय उपक्रमों में कुल निवेश के स्रोतों का वर्ष-वार वर्गीकरण चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

10 वर्ष 2019-20 के दौरान बंद हुई दो कंपनियों के आंकड़े वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के आंकड़ों में सम्मिलित नहीं हैं।

चार्ट 1.1: राजकीय उपक्रमों में 2017-18 से 2019-20 के दौरान कुल निवेश के स्रोत




कुल निवेश का प्रमुख हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित था, जैसा कि 31 मार्च 2020 तक कुल निवेश (₹ 145323.58 करोड़) का 92.22 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र राजकीय उपक्रमों में निवेशित था।

पूँजी में निवेश

1.7 2019-20 के दौरान, 41 सरकारी कंपनियों एवं निगमों में पूँजी निवेश में ₹ 2095.54 करोड़ की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार द्वारा अंशों के निर्गमन (₹ 1190.04 करोड़) एवं ऋण के पूँजी में परिवर्तन (₹ 905.50 करोड़) के माध्यम से पूँजी का निवेश किया गया था। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए गत तीन वर्षों के दौरान इन 41 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा निवेश की गई पूँजी को चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: 41 राजकीय उपक्रमों में पूँजी



वर्ष 2019-20 के दौरान, पूँजी पूर्णतया ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेश की गयी थी।

2019-20 के दौरान पांच ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों में निवेशित पूँजी को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.4: वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजी निवेश

| राजकीय उपक्रमों का नाम | राशि (₹ करोड़ में) |
|---|-----------------------|
| जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 549.04 |
| जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 533.43 |
| अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 447.54 |
| राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 350.00 |
| राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 215.53 |
| कुल | 2095.54 |


स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

सरकारी कंपनियों एवं निगम को दिया गया ऋण

1.8 31 मार्च 2020 को राजकीय उपक्रमों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के अतिरिक्त) में समस्त स्रोतों से कुल बकाया दीर्घावधि ऋण ₹ 106204.75 करोड़ था। 2019-20 के दौरान, राजकीय उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों में ₹ 5588.04 करोड़ की कमी दर्ज की गई। 31 मार्च 2020 को राजकीय उपक्रमों के कुल ऋणों में, राज्य सरकार से ऋण ₹ 7618.37 करोड़ (7.17 प्रतिशत) था।

राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: 41 राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋण



यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गये दीर्घावधि ऋणों की बकाया शेष राशि में महत्वपूर्ण कमी आई थी जबकि अन्य से लिए गये दीर्घावधि ऋणों की बकाया शेष राशि में वृद्धि हुई थी।

ऋणों का विश्लेषण

1.9 राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2017-18 से 2019-20 के दौरान ऋण दायित्व थे, सरकार, बैंको एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं (एफआईज) के ऋणों का दायित्व निर्वहन करने की उनकी क्षमता के आंकलन करने हेतु विश्लेषण किया गया था। इसका आंकलन राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गये लेखों में ब्याज व्याप्ति अनुपात, एवं कुल परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक ऋण से अनुपात के माध्यम से किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण का भी आंकलन किया गया है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.10 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का अर्जन नहीं कर रही थी। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 28 राजकीय उपक्रमों, जिन पर बकाया ऋण था, के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 1.5 में दिया गया है:

तालिका 1.5: ब्याज व्याप्ति अनुपात

| वर्ष | ब्याज (₹ करोड़ में) | ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में) | राजकीय उपक्रमों ¹¹ की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण का भार था | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था | राजकीय उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था |
|---------|------------------------|---|---|---|---|
| 2017-18 | 16209.42 | 17308.24 | 28 | 21 | 7 ¹² |
| 2018-19 | 13287.91 | 16021.81 | 28 | 18 | 10 ¹³ |
| 2019-20 | 14534.03 | 18191.58 | 28 | 18 | 10 ¹⁴ |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

- 11 राजकीय उपक्रम, जो नवीनतम अंतिम रूप दिए गये वित्तीय विवरणों में वित्तीय लागत (अल्प कालिक ऋणों के साथ-साथ दीर्घकालिक ऋणों से संबंधित) रखते थे।
- 12 बाइमेर टीपीसीएल, जीएलपीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।
- 13 जीएलपीएल, बाइमेर टीपीसीएल, आरआरवीपीएनएल, आरएसआईसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, बीएलएमसीएल, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।
- 14 जीएलपीएल, बाइमेर टीपीसीएल, बांसवाड़ा टीपीसीएल, आरएसएचडीसीएल, जेएमआरसीएल, आरएसएचसीएल, आरटीडीसीएल, आरएफसी, आरएसआरटीसी एवं आरएसएसीआईएल।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

यह देखा गया था कि एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या 2017-18 में 21 से घटकर 2019-20 में 18 हो गई थी।

ब्याज शुल्क का शोधन एवं मूलधन का पुर्नभुगतान

1.11 28 राजकीय उपक्रमों, जिन पर 2019-20 के दौरान ऋणों का दायित्व था, में से चार राजकीय उपक्रमों ने 2019-20 के दौरान अपने ऋणों (मूलधन/ब्याज प्रभार) के शोधन में चूक की थी, जैसा कि तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: राजकीय उपक्रम, जिन्होंने मूलधन के पुर्नभुगतान एवं ब्याज प्रभार के शोधन में चूक की

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रम का नाम | ऋण का स्रोत | चूक की राशि (₹ करोड़ में) |
|-------------|---|---------------------|---------------------------|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | बैंक/वित्तीय संस्था | 546.91 |
| 2. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | बैंक/वित्तीय संस्था | 69.00 |
| 3. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड | राजस्थान सरकार | 0.75 |
| 4. | जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड | राजस्थान सरकार | 137.06 |

स्रोत: सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

1.12 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों पर तीन राजकीय उपक्रमों के समक्ष ₹ 138.27 करोड़ की ब्याज राशि बकाया थी। राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रम का नाम | राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज | 1 वर्ष से कम के लिये बकाया ब्याज | 1 वर्ष से 3 वर्षों के लिये बकाया ब्याज | 3 वर्षों से अधिक के लिये बकाया ब्याज |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 137.06 | 26.60 | 53.19 | 57.27 |
| 2 | राजस्थान स्टेट होटल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड | 0.71 | 0.04 | 0.11 | 0.56 |
| 3 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| | कुल | 138.27 | 26.64 | 53.30 | 58.33 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना।

ऋण देयताओं को पूर्ण करने के लिए परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता

1.13 कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी शोधक्षम रह सकती है। शोधक्षम माने जाने के लिए,

किसी इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके दीर्घावधि ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। कुल 28 राजकीय उपक्रमों, जिन पर ऋण देनदारी थी, में से 20 राजकीय उपक्रमों में बकाया दीर्घावधि ऋण थे। इन 20 राजकीय उपक्रमों में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति तालिका 1.8 में दी गई है।

तालिका 1.8: कुल परिसंपत्तियों से दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति

(₹ करोड़ में)

| राजकीय उपक्रम के प्रकार | धनात्मक व्याप्ति | | | | ऋणात्मक व्याप्ति | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| | राजकीय उपक्रम की संख्या | दीर्घावधि ऋण | कुल परिसंपत्तियाँ | ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत | राजकीय उपक्रम की संख्या | दीर्घकालीन ऋण | कुल परिसंपत्तियाँ | ऋणों से परिसंपत्तियों का प्रतिशत |
| सरकारी कंपनियाँ | 16 | 102997.29 | 174562.88 | 169.48 | 1 | 46.61 | 4.75 | 10.19 |
| सांविधिक निगम | 3 | 1946.13 | 15176.71 | 779.84 | - | - | - | - |

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

20 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम (आरएसएआईसीएल), जो कि एक अकार्यरत राजकीय उपक्रम था, में कुल परिसंपत्तियों का मूल्य बकाया ऋणों से कम था।

अन्य बजटीय सहायता

1.14 पूँजी निवेश एवं दीर्घावधि ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त, राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से अनुदान/सब्सिडी के रूप में राजकीय उपक्रमों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। राज्य सरकार, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राजकीय उपक्रमों को राजस्थान राज्य गारंटी अनुदान अधिनियम (आरएसजीजीआर) 1970 के अंतर्गत गारंटी भी प्रदान करती है। सरकार ने आरएसजीजीआर, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत बिना किसी अपवाद के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से राजकीय उपक्रमों द्वारा लिए गए ऋण के मामले में प्रति वर्ष एक प्रतिशत की दर से गारंटी कमीशन वसूल करने का निर्णय किया (फरवरी 2011)। 31 मार्च 2020 को समाप्त गत तीन वर्षों के लिये, राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों के संबंध में अनुदान/सब्सिडी एवं गारंटी के पेटे बजटीय जावक का सारांशित विवरण तालिका 1.9 में दिया गया है:

तालिका 1.9: राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

| विवरण | 2017-18 | | 2018-19 | | 2019-20 | |
|--------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| | राजकीय उपक्रमों की संख्या | राशि | राजकीय उपक्रमों की संख्या | राशि | राजकीय उपक्रमों की संख्या | राशि |
| अनुदान/सब्सिडी | 12 | 24396.31 | 11 | 22012.86 | 12 | 23923.10 |
| निर्गमित गारंटियाँ | 6 | 15332.55 | 4 | 21671.76 | 7 | 13298.44 |

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|---|----------|----|----------|
| वर्ष के अंत में गारंटी प्रतिबद्धता | 8 | 56482.00 | 8 | 60926.16 | 10 | 69536.24 |
|------------------------------------|---|----------|---|----------|----|----------|

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

2017-18 से 2019-20 के दौरान प्राप्त अनुदान एवं सब्सिडी में मुख्यतः उदय¹⁵ योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम्स द्वारा प्राप्त सब्सिडी थी। साथ ही, वर्ष 2019-20 के अंत में गत वर्षों की तुलना में बकाया गारंटी प्रतिबद्धताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। 2019-20 के दौरान, नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा ₹ 619.87 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध ₹ 568.90 करोड़ का गारंटी कमीशन का भुगतान किया गया था।

वर्ष 2019-20 के अंत में राजकीय उपक्रमों के प्रति राज्य सरकार की गारंटी प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थी क्योंकि 2019-20 के दौरान यह राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 140113.81 करोड़)¹⁶ का 46.30 प्रतिशत परिकलित की गई थी।

बकाया लेखों वाले राजकीय उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.15 राजकीय उपक्रमों की गतिविधियों की निगरानी एवं इन राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अन्तिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागों पर हैं। संबंधित विभागों को बकाया लेखों के संबंध में त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था।

13 राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखों को 31 दिसम्बर 2020 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013/आरएसआरटीसी नियम 1964 में नियत है, में से पाँच राजकीय उपक्रमों को राजस्थान सरकार ने, जिस अवधि के दौरान इन राजकीय उपक्रमों के लेखे बकाया थे, ₹ 324.93 करोड़ (ऋण: ₹ 11.70 करोड़, सब्सिडी: ₹ 313.23 करोड़) प्रदान किये। राजकीय उपक्रम वार राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश का विवरण, जिस अवधि के दौरान लेखे बकाया थे, अनुबंध 1.1 में दर्शाया गया है। लेखों के अंतिमीकरण एवं इनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में 13 राजकीय उपक्रमों में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं व्यय उचित रूप से लेखांकित किये गये थे एवं उद्देश्य जिसके लिए राशि निवेश की गई थी, प्राप्त कर लिया गया था। इसलिए, राज्य सरकार का इन राजकीय उपक्रमों में निवेश राज्य विधान सभा की निगरानी से बाहर रहा।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

1.16 31 मार्च 2020 को राज्य में सरकार द्वारा नियंत्रित चार अन्य कंपनियां थीं। इन चार कंपनियों में 31 मार्च 2020 को कुल पूँजी निवेश ₹ 600.01 करोड़ था, जिसे राज्य सरकार

15 उज्ज्वल डिस्कॉम एशोर्स योजना।

16 राजस्थान सरकार के 2021-22 के वार्षिक बजट के अनुसार।

एवं इसके द्वारा नियंत्रित नगर निगमों द्वारा समान रूप से निवेश किया गया था। इन चार कंपनियों में 2019-20 के दौरान कोई पूँजी निवेश नहीं हुआ था। साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से किसी में भी 31 मार्च 2020 को दीर्घावधि ऋणों का दायित्व नहीं था।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.17 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़े राजस्थान सरकार के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित राजकीय उपक्रमों एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2020 को, 45 राजकीय उपक्रमों में से 17 राजकीय उपक्रमों में वित्त लेखों में दर्शाये गये पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के आंकड़ों में एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के आंकड़ों में अन्तर है, जो कि अनुबंध 1.2 में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2020 को ऐसे अंतरों की सांरांशित स्थिति तालिका 1.10 में वर्णित है:

तालिका 1.10: राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियां

(₹ करोड़ में)

| मद के संबंध में बकाया | राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि | वित्त लेखों के अनुसार राशि |
|-----------------------|--|----------------------------|
| पूँजी | 48852.08 | 48883.71 |
| ऋण | 6299.60 | 6427.28 |
| गारंटिया | 69436.25 | 69433.00 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों एवं वित्त लेखों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

राजकीय उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.18 वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

अकार्यरत राजकीय उपक्रमों का समापन

1.19 तीन अकार्यरत सरकारी कंपनियां, जिन्होंने गत तीन से 20 वर्षों की अवधि में अपने संचालनों को बंद कर दिया था, में 31 मार्च 2020 को पूँजी (₹ 11.77 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 16.27 करोड़) के पेटे कुल निवेश ₹ 28.04 करोड़¹⁷ था। इन तीन अकार्यरत कंपनियों

17 आरएसएआईसीएल (₹ 22.28 करोड़), आरसीएसीएल (₹ 4.49 करोड़) एवं आरजेवीएनएल (₹ 1.27 करोड़)

में से एक (आरएसएआईसीएल¹⁸) परिसमापन की प्रक्रियाधीन है, जैसा कि सरकारी समापक की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य दो कंपनियां गत तीन से नौ वर्षों से अकार्यरत हैं, सरकार इन कंपनियों के संबंध में शीघ्र ही उचित निर्णय लेना चाहिए।


राजकीय उपक्रमों में निवेश पर प्रतिफल

1.20 31 दिसंबर 2020 को नवीनतम अंतिम रूप दिए गए अपने लेखों के अनुसार राजकीय उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **अनुबंध 1.3** में दर्शाये गये हैं।

राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

1.21 41 राजकीय उपक्रमों में से, 25 राजकीय उपक्रमों ने 2018-19 के साथ-साथ 2019-20 में भी लाभ अर्जित किया। लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ 2018-19 में ₹ 3284.75 करोड़ से बढ़कर ₹ 3843.10 करोड़ हो गया। तथापि, 2019-20 में लाभ का 85.92 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित था। यह उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम्स को सब्सिडी के रूप में ₹ 13816.47 करोड़ जारी किए जाने के कारण था। राजकीय उपक्रमों की संख्या जिन्होंने 2017-18 से 2019-20 के दौरान लाभ अर्जित किया को **चार्ट 1.4** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या



राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, नीचे **तालिका 1.11** में दर्शाया गया है।

18 राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

तालिका 1.11: राजकीय उपक्रम जिन्होंने 2019-20 में ₹ 100 करोड़ या अधिक लाभ अर्जित किया

(₹ करोड़ में)

| क्र सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | अर्जित लाभ |
|---------|---|------------|
| 1 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2188.15 |
| 2 | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 788.06 |
| 3 | राजस्थान राज्य स्वान एंड स्निज लिमिटेड | 149.34 |
| 4 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 148.85 |
| 5 | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 143.80 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाले तीन राजकीय उपक्रमों के विश्लेषण से उजागर हुआ है कि शीर्ष दो राजकीय उपक्रमों ने उदय के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त सब्सिडी के कारण लाभ अर्जित किया। साथ ही, तीसरे राजकीय उपक्रम (आरएसएमएमएल) ने रॉक फॉस्फेट, स्निज जिसके लिये कम्पनी का देश में लगभग एकाधिकार है एवं यह देश के कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत का योगदान करती है, के विक्रय से सारभूत राजस्व प्राप्त किया। रॉक फॉस्फेट स्निज से लाभ का अंश वर्ष के कुल लाभ का 44 प्रतिशत था।

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने 2019-20 के दौरान ₹ 0.05 करोड़ रुपये का नाममात्र का लाभ कमाया।

राजकीय उपक्रमों में लाभांश का भुगतान

1.22 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (सितंबर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले राजकीय उपक्रमों को प्रदत्त समता पूँजी पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिफल या कर के बाद लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करना आवश्यक है।

45 राजकीय उपक्रमों में से, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से किसी ने भी 2019-20 के दौरान राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान नहीं किया।

शेष 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगम) के प्रकरण में, राज्य सरकार ने केवल 32 राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश किया था। 32 राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए पूँजी निवेश किया गया था, से संबंधित लाभांश का भुगतान तालिका 1.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.12: 2017-18 से 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | कुल राजकीय उपक्रम जिनमें राज्य सरकार द्वारा पूँजी निवेश किया गया था | | वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राजकीय उपक्रम | | राजकीय उपक्रम जिन्होंने वर्ष के दौरान द्वारा लाभांश घोषित/भुगतान किया | | लाभांश भुगतान अनुपात (%) |
|---------|---|-------------|--|---------------------|---|---|--------------------------|
| | राजकीय उपक्रम की संख्या | पूँजी निवेश | राजकीय उपक्रम की संख्या | पूँजी निवेश की राशि | राजकीय उपक्रम की संख्या | राजकीय उपक्रम द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 |
| 2017-18 | 32 | 44613.26 | 25 | 41028.11 | 6 ¹⁹ | 60.54 | 0.1476 |
| 2018-19 | 32 | 48435.56 | 23 | 41800.32 | 7 ²⁰ | 66.11 | 0.1582 |
| 2019-20 | 32 | 50531.10 | 23 | 48777.36 | 5 ²¹ | 43.75 | 0.0897 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान, राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिन्होंने लाभ अर्जित किया, 23 से 25 के मध्य थी, जबकि राज्य सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या मात्र पाँच एवं सात के मध्य थी। लाभांश भुगतान अनुपात 2017-18 से 2019-20 के दौरान मात्र 0.09 प्रतिशत एवं 0.16 प्रतिशत के मध्य रहा था।

इनमें से पाँच राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने 2019-20 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया, दो²² राजकीय उपक्रमों ने निर्धारित सीमा से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि तीन²³ राजकीय उपक्रमों ने लाभांश नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

पूँजी पर प्रतिफल

1.23 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का माप है, जिससे यह आंकलन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा राजकीय उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का उपयोग लाभो के सृजन करने में कितने प्रभावी रूप से किया गया है एवं इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को शेयरधारको की निधि से विभाजित करके की जाती है। इसको प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है एवं इसकी गणना किसी भी उपक्रम के लिए की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं अंशधारको की निधि दोनों धनात्मक संख्यायें हैं।

19 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, रीको, आरएसएससीएल एवं आरआरईसीएल।

20 आरएसएमएम, रीको, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल, आरएसआरडीसीसीएल एवं आरआरईसीएल

21 आरएसएमएम, आरएसडब्ल्यूसी, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल एवं आरएसपीएचसीएल।

22 आरएसएमएम एवं आरएसडब्ल्यूसी

23 आरएसएससीएल, आरएसबीसीएल एवं आरएसपीएचसीएल

कंपनी के अंशधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों के योग में से संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने के पश्चात की जाती है एवं यह दर्शाता है कि यदि समस्त संपत्तियां विक्रय कर दी जाये एवं समस्त ऋणों का भुगतान कर दिया जाये तो कंपनी के हितधारको हेतु कितना शेष रहेगा। अंशधारकों की निधि का धनात्मक होना दर्शाता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं का भुगतान करने के लिए पर्याप्त परिसम्पतियाँ है जबकि ऋणात्मक अंशधारको की निधि का अर्थ है कि देयताएँ परिसम्पतियों से अधिक हैं।

पूँजी पर प्रतिफल की गणना 32 राजकीय उपक्रमों में की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए इन राजकीय उपक्रमों के अंशधारको की निधि एवं आरओई का विवरण तालिका 1.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.13: राजकीय उपक्रम, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, के संबंध में पूँजी पर प्रतिफल

| वर्ष | राजकीय उपक्रमों की संख्या, जिनमें आरओई की गणना की गई | वर्ष के लिए शुद्ध आय ²⁴ (₹ करोड़ में) | अंशधारको की निधि (₹ करोड़ में) | आरओई (%) |
|---------|--|---|-----------------------------------|-------------|
| 2017-18 | 32 | 2057.58 | -54182.75 | - |
| 2018-19 | 32 | 2893.35 | -47734.69 | - |
| 2019-20 | 32 | 3550.08 | -42199.81 | |

स्रोत:- एसपीएसईज के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2020 को समाप्त गत तीन वर्षों के दौरान शुद्ध आय धनात्मक थी, तथापि, सभी तीन वर्षों के दौरान अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी। चूंकि, सभी वर्षों के दौरान अंशधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इन राजकीय उपक्रमों के संबंध में आरओई की गणना नहीं की जा सकी। तथापि, ऋणात्मक अंशधारकों की निधि यह इंगित करती है कि इन राजकीय उपक्रमों की देयताएँ परिसम्पतियों से अधिक है।

2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार आरओई को तालिका 1.14 में दिया गया है:

तालिका 1.14: 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों का क्षेत्रवार आरओई

(प्रतिशत में)

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | उद्योग एवं व्यापार | 7.02 | 8.20 | 5.09 |
| 2 | वित्त | 7.43 | 7.68 | 13.44 |
| 3 | कृषि, स्वास्थ्य एवं संबधित उद्योग | 2.74 | 21.36 | 17.32 |
| 4 | अन्य | 14.56 | 17.57 | 16.18 |

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

24 आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार है।

साथ ही, तीन क्षेत्रों²⁵ के आरओई की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि संचित हानियों के कारण इन क्षेत्रों की समस्त पूँजी का क्षरण हो गया था एवं अवधि के दौरान इन क्षेत्रों का निवल मूल्य ऋणात्मक था।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों में से केवल एक कंपनी (जेएससीएल) ने 2019-20 के दौरान लाभ अर्जित किया। कंपनी द्वारा 2019-20 के दौरान अर्जित लाभ (₹ 0.05 करोड़) शेयरधारकों के कोष (₹ 204.45 करोड़) की तुलना में नगण्य था, इसलिए, आरओई भी बहुत नगण्य था।

हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम

1.24 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियां एवं सांविधिक निगमों) में से 13 राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2019-20 के दौरान हानि वहन की। इन राजकीय उपक्रमों द्वारा वहन की गई हानि 2018-19 में ₹ 747.61 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹ 489.54 करोड़ हो गयी, जैसा कि तालिका 1.15 में दिया गया है:

तालिका 1.15: 2019-20 के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | कुल राजकीय उपक्रम | वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या | वर्ष के लिये शुद्ध हानि | हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों की संचित हानि | हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य |
|--------------|-------------------|--|-------------------------|--|--|
| 2017-18 | 43 | 11 | 1523.38 | 6003.63 | -3139.94 |
| 2018-19 | 43 | 13 | 747.61 | 7974.40 | -704.78 |
| 2019-20 | 41 | 13 | 489.54 | 7229.06 | -4283.19 |

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 50 करोड़ से अधिक की हानिवहन करने वाले राजकीय उपक्रमों के नाम तालिका 1.16 में नीचे दिए गये हैं।

तालिका 1.16: 2019-20 में ₹ 50 करोड़ या अधिक हानि वहन करने वाले राजकीय उपक्रम

(₹ करोड़ में)

| क्र सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | वहन की गई हानि |
|---------|-------------------------------|----------------|
| 1 | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | 278.05 |
| 2 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 153.76 |

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के संबंध में, एक कंपनी (यूएससीएल) ने 2019-20 के दौरान ₹ 0.02 करोड़ की हानि वहन की।

25 ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र, संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।

निवल मूल्य का क्षरण

1.25 निवल मूल्य से आशय प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त कोषों एवं अधिशेष में से संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग से है। यह एक उपक्रम स्वामियों के लिए उसके मूल्य का मापक है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

41 राजकीय उपक्रमों में उनके नवीनतम अंतिम रूप दिये गए लेखों के अनुसार पूँजी निवेश, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य तालिका 1.17 में दिया गया है:

तालिका 1.17: 2017-18 से 2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी | वर्ष के अंत में संचित लाभ (+) / हानि (-) | आस्थगित राजस्व व्यय | निवल मूल्य |
|---------|-------------------------------|--|---------------------|-------------|
| 2017-18 | 45409.39 | (-)100039.70 | 4.18 | (-)54634.50 |
| 2018-19 | 49288.17 | (-)97771.82 | 3.00 | (-)48486.70 |
| 2019-20 | 51383.84 | (-)94469.51 | 62.48 | (-)43148.15 |

वर्ष 2019-20 के लिए निवेश एवं संचित हानियों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 15 राजकीय उपक्रमों में निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, क्योंकि इन राजकीय उपक्रमों में पूँजी निवेश एवं संचित हानियां क्रमशः ₹ 33384.14 करोड़ एवं ₹ 93721.74 करोड़ थी। इन 15 राजकीय उपक्रमों में से निवल मूल्य का अधिकतम क्षरण पाँच राजकीय उपक्रमों में था, जैसा कि तालिका 1.18 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.18 31 मार्च 2020 को अधिकतम निवल मूल्य क्षरण वाले पाँच राजकीय उपक्रम

| राजकीय उपक्रम का नाम | क्षरित निवल मूल्य (₹ करोड़ में) |
|---|---------------------------------|
| ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रम | |
| जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | (-)19276.92 |
| अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | (-)17764.92 |
| जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | (-)17568.95 |
| गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | (-)1172.77 |
| ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों के अतिरिक्त | |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | (-)4330.79 |

इन 15 राजकीय उपक्रमों में जिनके निवल मूल्य का पूर्णतः क्षरण हो गया था, में से पाँच²⁶ राजकीय उपक्रमों ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 2988.55 करोड़ का लाभ अर्जित किया, यद्यपि इनकी संचित हानियां भारी मात्रा में थी।

26 आरएसआईसीएल, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल एवं आरएसएलडीसी।

राजकीय उपक्रमों की संचालन क्षमता

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.26 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी राजकीय उपक्रम की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है।

आरओसीई की गणना एक राजकीय उपक्रम के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी²⁷ द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान समस्त 41 राजकीय उपक्रमों के आरओसीई का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है:

तालिका 1.19: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

| वर्ष | ईबीआईटी (₹ करोड़ में) | नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में) | आरओसीई (%) |
|---------|--------------------------|--------------------------------|---------------|
| 2017-18 | 17355.68 | 60380.28 | 28.74 |
| 2018-19 | 16085.07 | 61905.70 | 25.98 |
| 2019-20 | 18276.19 | 61841.88 | 29.55 |

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के आधार पर संकलित।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान राजकीय उपक्रमों का आरओसीई 25.98 प्रतिशत एवं 29.55 प्रतिशत के मध्य रहा। 2017-18 से 2019-20 के दौरान आरओसीई उच्च था क्योंकि ईबीआईटी में ब्याज घटक सारभूत था एवं अत्यधिक संचित हानियों ने नियोजित पूँजी उल्लेखनीय रूप से कम कर दी थी।

41 राजकीय उपक्रमों में से 23 राजकीय उपक्रमों में ₹ 99720.45 करोड़ की संचित हानियां थी, जिसमें से ₹ 93964.36 करोड़ एवं ₹ 5297.94 करोड़ क्रमशः छः²⁸ ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों एवं दो²⁹ ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों से संबंधित थे।

2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई तालिका 1.20 में दिया गया है:

27 नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां-आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े राजकीय उपक्रमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, के अनुसार है।

28 जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरवीपीएनएल, आरवीयूएनएल एवं जीएलपीएल।

29 आरएसआरटीसी एवं जेएमआरसीएल।

तालिका 1.20: 2019-20 के दौरान 41 राजकीय उपक्रमों का क्षेत्र-वार आरओसीई

(प्रतिशत में)

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. | ऊर्जा एवं पॉवर | 36.14 | 28.86 | 32.87 |
| 2 | उद्योग एवं व्यापार | 8.05 | 9.10 | 11.57 |
| 3 | वित्त | 17.87 | 18.20 | 21.00 |
| 4 | कृषि, खाद्य एवं संबंधित उद्योग | 9.95 | 16.69 | 17.01 |
| 5 | अन्य | 12.26 | 11.06 | 12.51 |

2017-18 से 2019-20 के दौरान ऊर्जा एवं शक्ति क्षेत्र का आरओसीई उच्च था क्योंकि अवधि के दौरान उदय सब्सिडी की प्राप्ति के कारण क्षेत्र का ईबीआईटी सारभूत रूप से बढ़ गया था। साथ ही, दो क्षेत्रों³⁰ के आरओसीई की गणना ऋणात्मक नियोजित पूँजी के कारण नहीं की जा सकी जबकि एक क्षेत्र³¹ की आरओसीई 2017-18 से 2019-20 के दौरान ऋणात्मक थी, क्योंकि तीनों वित्तीय वर्षों के दौरान इसने हानि वहन की थी।

साथ ही, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों के प्रकरण में वर्ष 2019-20 के लिए ईबीआईटी ₹ 0.54 करोड़ थी जबकि इन राजकीय उपक्रमों में नियोजित पूँजी ₹ 621.21 करोड़ थी। इसलिए, 2019-20 के लिए आरओसीई की गणना 0.09 प्रतिशत परिकलित की गई।

सरकार के निवेश पर प्रतिफल

1.27 राजकीय उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा उपक्रमों में किये गये निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में अर्जित (लाभ अथवा हानि) से पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के समक्ष मापा जाता है एवं कुल निवेश पर लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है।

सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में सारभूत निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से ऐसे निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। इसलिए, सरकारी निवेश पर प्रतिफल की गणना ऐतिहासिक लागत के साथ-साथ राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर की गई है जिसे नीचे विस्तृत वर्णित किया गया है:

अ. सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल (आरओआर)

राज्य सरकार द्वारा पूँजी एवं ऋण के रूप में राजकीय उपक्रमों में किये गये निवेश के आधार पर आरओआर की गणना की गई है। केवल ब्याज मुक्त ऋण को ही निवेश माना गया है क्योंकि सरकार को इन ऋणों से कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार, यह सरकार द्वारा

30 संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र तथा परिवहन क्षेत्र।

31 शहरी विकास क्षेत्र।

किए गये पूँजी निवेश की प्रकृति के हैं सिवाय इसके कि ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाना है। साथ ही, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दी गई निधि को निवेश नहीं माना गया है क्योंकि परिचालन एवं प्रशासनिक खर्च तथा अन्य उद्देश्यों हेतु प्रदान की गई अनुदान/सब्सिडी का विभाजन उपलब्ध नहीं था।

2016-17 से 2019-20 के दौरान उदय योजना के अन्तर्गत तीनों राज्य डिस्कॉम्स को दी गई सब्सिडी को निवेश माना गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से डिस्कॉम्स के ऋणों के अधिग्रहण के लिए सब्सिडी प्रदान की गयी थी। अतः निवेश पर प्रतिफल की तुलना दोनों प्रकार से अर्थात् उदय के अंतर्गत दी गई सब्सिडी को निवेश मानते हुए एवं उक्त सब्सिडी को निवेश नहीं मानते हुए की गई है।

ब. सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया जाना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। राज्य सरकार के राजकीय उपक्रमों में निवेश की ऐतिहासिक लागत की तुलना में निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) के आरओआरआर का आंकलन करने के लिए सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है। 31 मार्च 2020 तक निवेश की ऐतिहासिक लागत को प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों में पूर्व निवेश/वर्षवार निवेशित निधि को चक्रवृद्धित किया गया है। चक्रवृद्धि, सरकारी उधार की वर्षवार औसत ब्याज दर पर किया गया है, जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधि की न्यूनतम लागत है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश पर पीवी की गणना, जहाँ राज्य सरकार द्वारा इन राजकीय उपक्रमों की स्थापना से 31 मार्च 2020 तक धन का निवेश किया गया है, के संबंध में की गई है।

राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

1.28 41 राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियों एवं निगमों) में 31 मार्च 2020 को निवेश की राशि ₹ 157588.59 करोड़ थी, जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 51383.84 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 106204.75 करोड़ सम्मिलित है। राज्य सरकार ने इन 41 राजकीय उपक्रमों में से 32 में पूँजी, ऋण एवं अनुदान व सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया है। इन 32 राजकीय उपक्रमों में, 31 मार्च 2020 को राज्य सरकार का निवेश ₹ 56751.61 करोड़ था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 49133.24 करोड़³² एवं दीर्घावधि ऋणों के

32 राज्य सरकार का कुल निवेश (₹ 50531.10 करोड़) - पाँच ऊर्जा क्षेत्र के राजकीय उपक्रमों की प्रारंभिक संचित हानियाँ (₹ 1397.86 करोड़)

रूप में ₹ 7618.37 करोड़ था। राज्य सरकार ने अन्य नौ राजकीय उपक्रमों में निधियों का कोई भी प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया था।

राज्य सरकार द्वारा 2000-01 से 2019-20 की अवधि के लिए निवेशित ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य के समक्ष निवेश का वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-1.4** में दर्शाया गया है। अनुबंध से देखा जा सकता है कि 2000-01 से 2019-20 के दौरान, इन राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों की लागत वसूल करने हेतु, वर्ष के लिये कुल अर्जन न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा।

इन 32 राजकीय उपक्रमों का वर्ष के लिए कुल लाभ (लाभ एवं हानि का निवल) 2017-18 में ₹ 2057.58 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 3550.08 करोड़ हो गया। 32 राजकीय उपक्रमों में उनकी ऐतिहासिक लागत पर पूँजी एवं ब्याज मुक्त ऋणों को सम्मिलित करते हुये राज्य सरकार का निवेश 2017-18 में ₹ 45010.16 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 51339.66 करोड़ हो गया। उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी को निवेश के रूप में मानने पर, राज्य सरकार का निवेश 2017-18 में ₹ 66010.16 करोड़ (अर्थात् उदय के अन्तर्गत 2017-18 तक प्राप्त ₹ 21000 करोड़ की सब्सिडी सहित) से बढ़कर 2019-20 में ₹ 98156.13 करोड़ (अर्थात् 2018-19 एवं 2019-20 में उदय के अन्तर्गत प्राप्त सब्सिडी क्रमशः ₹ 12000 करोड़ एवं ₹ 13816.47 करोड़ सहित) हो गया।

राजकीय उपक्रमों, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निधियों का निवेश किया गया है, में 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए आरओआर एवं आरओआरआर **तालिका 1.21** में दी गई है।

तालिका 1.21: सरकार के निवेश पर प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | कुल अर्जन/ हानि (-) | वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआर (%) | वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआरआर (%) |
|--------------------|------------------------|---|--------------|---|----------------|
| उदय के बिना | | | | | |
| 2017-18 | 2057.58 | 45010.16 | 4.57 | 74548.38 | 2.76 |
| 2018-19 | 2893.35 | 49088.66 | 5.89 | 84366.64 | 3.43 |
| 2019-20 | 3550.08 | 51339.66 | 6.91 | 92767.49 | 3.83 |
| उदय के साथ | | | | | |
| 2017-18 | 2057.58 | 66010.16 | 3.12 | 97815.31 | 2.10 |
| 2018-19 | 2893.35 | 82088.66 | 3.52 | 122208.06 | 2.37 |
| 2019-20 | 3550.08 | 98156.13 | 3.62 | 148093.09 | 2.40 |

2019-20 के दौरान आरओआर (3.83 प्रतिशत) आरओआरआर (6.91 प्रतिशत) से कम था, जैसा कि प्रतिफलों की तुलना से यह इंगित होता है। तथापि, उदय के अन्तर्गत दी गई

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

सब्सिडी को भी निवेश मानने पर, वर्ष 2019-20 के लिए आरओआर 6.91 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 3.62 (उदय के साथ) हो जाता है जबकि समान अवधि के लिए आरओआर 3.83 प्रतिशत (उदय के बिना) से घट कर 2.40 (उदय के साथ) हो जाता है। 2019-20 के दौरान 32 राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल दर को तालिका 1.22 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.22: राज्य सरकार के निवेश पर क्षेत्र-वार प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

| क्र सं. | क्षेत्र का नाम | कुल अर्जन/हानि (-) | वर्ष के अंत में निवेश की ऐतिहासिक लागत पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआर (%) | वर्ष के अंत में निवेश के वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा निवेश | आरओआर (%) |
|---------|-------------------------------|--------------------|--|-----------|--|-----------|
| 1 | ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के बिना) | 3302.07 | 46498.18 | 7.10 | 79161.36 | 4.17 |
| | ऊर्जा एवं पॉवर (उदय के साथ) | 3302.07 | 93314.65 | 3.54 | 134486.96 | 2.46 |
| 2 | उद्योग एवं व्यापार | 213.35 | 475.35 | 44.88 | 4580.76 | 4.66 |
| 3 | वित्त | 77.08 | 272.34 | 28.30 | 511.43 | 15.07 |
| 4 | कृषि, स्थाय एवं संबधित उद्योग | 90.21 | 66.27 | 136.12 | 347.99 | 25.92 |
| 5 | संस्कृति एवं पर्यटन | -6.86 | 68.61 | -10.00 | 333.30 | -2.06 |
| 6 | परिवहन | -153.82 | 1275.02 | -12.06 | 3281.84 | -4.69 |
| 7 | शहरी विकास | -39.16 | 2559.07 | -1.53 | 4228.88 | -0.93 |
| 8 | अन्य | 67.21 | 124.82 | 53.85 | 321.93 | 20.88 |

अध्याय-II

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति

2.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 180 दिवसों की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के प्रकरण में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर की जानी चाहिए, एवं यदि सीएजी द्वारा उल्लेखित अवधि में ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है, कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी।

वर्ष 2019-20 हेतु कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2019 के दौरान कर दी गई थी।

वर्ष 2019-20 के लिए उन कंपनियों के अतिरिक्त जो सीएजी के अधिकार क्षेत्र में प्रथम बार 2019-20 में आई थी, सभी राजकीय उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा अगस्त 2019 में कर दी गई थी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

2.2 सरकारी कंपनियों (जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित किया गया है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की दिनांक से साठ दिवसों के भीतर सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

राजस्थान राज्य भंडारण निगम तथा राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा एवं सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा उप-धारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कंपनी के प्रकरण में सीएजी, यदि ऐसा करना आवश्यक समझें, तो एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखों की नमूना जाँच करवा सकते हैं एवं नमूना जाँच के प्रतिवेदन पर सीएजी का (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कंपनी अथवा केन्द्र सरकार द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों द्वारा, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों द्वारा, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कंपनी, सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन होती है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

2.3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार किया जाना होता है। साथ ही, ऐसा प्रतिवेदन तैयार करने के बाद जितना शीघ्र हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणियाँ एवं पूरक के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान उपलब्ध हैं। यह क्रियाविधि राज्य के समेकित निधि से कंपनियों में निवेश किए गए लोक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा लेखों को तैयार करने में समयबद्धता

2.4 अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम आयोजित करनी होती है। यह भी निर्दिष्ट है कि एक एजीएम तथा उससे अगली एजीएम की दिनांक के बीच 15 महीने से अधिक व्यतीत नहीं होने चाहिए। इस धारा में आगे प्रावधान है कि प्रथम वार्षिक साधारण सभा के प्रकरण में, कंपनी के प्रथम वित्तीय वर्ष के समापन के तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर एवं किसी अन्य प्रकरण में, वित्तीय वर्ष के

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने दिनांक 08 सितंबर 2020 को आदेश जारी कर 2019-20 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम आयोजित किए जाने हेतु नियत दिनांक/तिथि से तीन माह तक बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने में 30 सितम्बर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक का विस्तार हुआ।

समापन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर आयोजित की जानी चाहिए। तदनुसार, कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 30 सितंबर 2020 तक एजीएम आयोजित करने की आवश्यकता थी।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 129 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए। अधिनियम 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करने के लिए उत्तरदायी कंपनी के निदेशकों सहित अन्य व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसी शास्ती लगाये जाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त के उपरांत भी विभिन्न राजकीय उपक्रमों के वार्षिक लेखे 31 दिसम्बर 2020 को लंबित थे, जिनका विस्तृत विवरण आगामी अनुच्छेद में दिया गया है।

31 मार्च, 2020 को, 38 सरकारी कंपनियां तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियां सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन थीं। इनमें से सभी सरकारी कंपनियों के साथ-साथ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वर्ष 2019-20 के लेखे देय थे।

31 दिसंबर, 2020 को या उससे पूर्व कुल 27 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य तीन कंपनियों ने अपने लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए थे। 11 सरकारी कंपनियों एवं एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।

कुल 42 कंपनियों में से 12 कंपनियों के लेखे बकाया थे।

तालिका 2.1 बकाया लेखों की स्थिति

| विवरण | | सरकारी कंपनियां/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां | | |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-----|
| | | सरकारी कंपनियां | सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां | योग |
| 31 मार्च, 2020 को सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन आने वाली कंपनियों की कुल संख्या | | 38 | 4 | 42 |
| कंपनियों की संख्या, जिन्होंने 31 दिसंबर 2020 तक लेखों को सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया | | 27 | 3 | 30 |
| बकाया लेखों की संख्या | | 11 | 1 | 12 |
| बकाया की सीमा | | 5 वर्ष तक | 1 वर्ष | |
| बकाया का वर्गीकरण | (i) परिसमापन के अधीन | 1 | - | |
| | (ii) निष्क्रिय | 1 | - | |
| | (iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए | - | 1 | |
| | (iv) अन्य | 9 | - | |

सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

2.5 पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाने होते हैं। तीन सांविधिक निगमों में से, दो निगमों ने 2019-20 के अपने लेखे 31 दिसंबर 2020 तक अग्रेषित किए थे।

31 दिसंबर 2020 को सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखों एवं उनके एसएआर के राज्य विधानमंडल में की प्रस्तुतिकरण की स्थिति का विवरण तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: सांविधिक निगमों के एसएआर के पटल पर रखे जाने की स्थिति

| निगम का नाम | लेखों का वर्ष | एसएआर के प्रस्तुतिकरण का माह/वर्ष |
|------------------------------------|---------------|---|
| राजस्थान वित्त निगम | 2018-19 | नवंबर 2019 |
| | 2019-20 | प्रस्तुतिकरण होना शेष है |
| राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम | 2018-19 | नवंबर 2019 |
| | 2019-20 | एसएआर को अंतिम रूप दिया जाना शेष है। |
| राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 2017-18 | फरवरी 2020 |
| | 2018-19 | फरवरी 2020 |
| | 2019-20 | वार्षिक लेखे दिसम्बर 2020 तक प्राप्त नहीं हुए थे। |

स्रोत: राजस्थान विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित

सीएजी की निरीक्षण-लेखों की लेखापरीक्षा एवं पूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा

2.6 कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप में एवं लेखा मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखा मानकों की अनुपालना में वित्तीय विवरणों को तैयार करना आवश्यक है। सूचीबद्ध कम्पनियों एवं ₹250 करोड़ से अधिक निवल मूल्य वाली कम्पनियों को भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) की अनुपालना करना आवश्यक है। साथ ही, उपरोक्त वर्णित कंपनियों की जनक, सहायक, सहयोगी तथा संयुक्त उद्यम को भी इंड एस की अनुपालना करना आवश्यक है। उपरोक्त के दायरे में नहीं होने वाली कंपनियां लेखा मानकों (एस) को लागू करना जारी रखेंगी। 42 सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से, 14 उपक्रमों द्वारा इंड एस का अनुसरण किया जाता है जबकि शेष अपने लेखे एस के अनुसार तैयार करती हैं।

सांविधिक निगमों को अपने लेखे सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में एवं ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखों से संबंधित किसी अन्य विशिष्ट प्रावधान के अनुसार तैयार करने होते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा

2.7 सीएजी द्वारा अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा करते हैं एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन की निगरानी करके निरीक्षण की भूमिका निभाते हैं। इस भूमिका का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करके किया जाता है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना एवं
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर पूरक या टिप्पणी करना।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 13 कंपनियों, जैसा कि **अनुबंध-2.1** में दर्शाये गया है, ने अनिवार्य लेखा मानकों/इंड एस की अनुपालना नहीं की थी।

सरकारी कंपनियों के लेखों की अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.8 कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य प्रासंगिक अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने का मूल उत्तरदायित्व एक उपक्रम के प्रबंधन का है।

सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा करके समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, यदि कोई है, वार्षिक साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अंतर्गत प्रतिवेदित की जाती हैं।

सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.9 समीक्षा अवधि (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020) के दौरान प्राप्त वित्तीय विवरणों, की गई समीक्षा एवं जारी की गई टिप्पणियों की स्थिति तालिका 2.3 में दी गई हैं:

तालिका 2.3: राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की स्थिति

| वित्तीय विवरण का विवरण | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | | गत वर्षों के | | |
|---------------------------|----------------------|---------------|-----|--------------|---------------|-----|
| | सरकारी कंपनी | सांविधिक निगम | योग | सरकारी कंपनी | सांविधिक निगम | योग |
| प्राप्त | 30 | 2 | 32 | 13 | 1 | 14 |
| समीक्षा नहीं की गई | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 |
| समीक्षा की गई | 21 | 2 | 23 | 11 | 1 | 12 |
| लेखापरीक्षा प्रगति* पर है | 7 | 1 | 8 | 1 | - | 1 |
| शून्य टिप्पणी जारी की गई | 10 | - | 10 | 6 | - | 6 |
| टिप्पणियां जारी की गई | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |

* 31 दिसंबर 2020 को

साथ ही, सात राजकीय उपक्रमों, जिनकी लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2019 को प्रगति पर थी, में से चार राजकीय उपक्रमों (सरकारी कंपनियों) के वित्तीय विवरणों पर अक्टूबर 2019 व फरवरी 2020 के मध्य टिप्पणियां जारी की गई थी। इस प्रकार, समीक्षा अवधि के दौरान 14 राजकीय उपक्रमों (अनुबंध 2.2) के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी।

वित्तीय विवरणों का संशोधन/लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का पुनर्लेखन

2.10 लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सीएजी द्वारा किए गए वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, एक सरकारी कंपनी (राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड) ने अपने वर्ष 2016-17 के वित्तीय विवरण, वार्षिक साधारण सभा में इन्हें प्रस्तुत करने से पूर्व, संशोधित किये थे। तदनुसार, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया था।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

2.11 प्रतिवेदन अवधि (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020) के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात राजकीय उपक्रमों से प्राप्त

वित्तीय विवरणों की सीएजी ने पूरक लेखा परीक्षा की। जारी की गई टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है;

लाभप्रदता पर टिप्पणी

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणी |
|---------|---|---|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2019-20) | <p>बे के रखरखाव के लिए ओ एंड एम प्रभार, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 4.44 करोड़) एवं एनआरएसएसएसएसएसएसएसवीआई ट्रांसमिशन लिमिटेड (₹ 0.16 करोड़) से वसूलनीय थे, का लेखाकन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप संचालन से राजस्व के साथ-साथ चालू परिसंपत्तियों को ₹ 4.60 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> <p>पारेषण लाइनों के संबंध में पारेषण टैरिफ की अधिक बुकिंग के परिणामस्वरूप संचालन से राजस्व के साथ-साथ चालू परिसंपत्तियों को ₹ 5.94 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।</p> <p>400 केवी डीसी भीलवाड़ा-अजमेर लाइन पर 26.01.18 से 31.03.20 की अवधि के लिए मूल्यहास नहीं लगाने के परिणामस्वरूप मूल्यहास एवं परिशोधन व्ययों को ₹1.83 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को ₹1.83 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।</p> <p>अडानी ट्रांसमिशन (राजस्थान) लिमिटेड से एकात्मक प्रभारों के रूप में प्राप्य अधिमूल्य का समायोजन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक एवं अन्य स्वर्चों को अधिक दर्शाया गया एवं चालू परिसंपत्तियों को ₹ 3.73 करोड़ रुपये से कम दर्शाया गया।</p> |
| 2. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20) | <p>मूर्त परिसंपत्तियों में परिचालन रूप से स्वीकार किए गए एवं पूर्व में ही सुपुर्द किये गये ₹ 21.76 करोड़ के आईटी उपकरण सम्मिलित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू पूँजीगत कार्य को ₹18.17 करोड़ से अधिक दर्शाया, दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों को ₹ 3.59 करोड़ से अधिक दर्शाया, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत मूर्त परिसंपत्तियों को ₹ 21.76 करोड़ से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास को भी कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹2.43 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।</p> <p>विद्युत की बिक्री में विभिन्न एबीआर घटकों में राशि के अंतर के पेटे, वितरण फ्रेंचाइजी (डीएफएस) से वसूलनीय ₹ 41.42 करोड़ की राशि करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों तथा वर्ष के लिए लाभ को ₹41.42 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> |

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | |
|----|--|--|
| 3. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड (2019-20) | वर्ष 2019-20 से संबंधित पेंशन अंशदान को सम्मिलित नहीं किए जाने के कारण कर्मचारियों के लाभ व्यय को ₹ 0.95 लाख से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को भी ₹ 0.95 लाख से कम दर्शाया गया। |
| 4. | राजस्थान वित्त निगम (2019-20) | राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अनुसार 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के लिए न्यूनतम गारंटीड लाभांश के पेटे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को देय लाभांश का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण अन्य देयताओं एवं प्रावधानों को ₹ 4.04 करोड़ से कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को ₹ 4.04 करोड़ द्वारा कम दर्शाया गया। |
| 5. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2018-19) | <p>सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा की यूनिट 5 एवं यूनिट 6 के संबंध में अस्थिर विद्युत पर विलंब भुगतान अधिभार को चालू पूँजीगत कार्य में समायोजित किए जाने एवं अधिक आवंटन के कारण संचालन से राजस्व को ₹ 20.70 करोड़ से कम दर्शाया गया। इसके परिणामस्वरूप चालू पूँजीगत कार्य एवं लाभ को ₹ 20.70 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> <p>मैसर्स सरगुजा रेल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड को ऑफ-टेक मात्रा में कोयले की कमी के लिए देय ट्रेक एक्सेस प्रभारों के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण उत्पादन एवं अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को ₹ 5.64 करोड़ से कम दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप व्यापारिक देनदारियों को ₹5.64 करोड़ से कम दर्शाया गया एवं लाभ को ₹5.64 करोड़ से अधिक दर्शाया गया है।</p> <p>वाणिज्यिक संचालन की तिथि (31 मार्च 2017) से 12 वर्षों के पश्चात, कम्पनी ने कोटा थर्मल पावर स्टेशन, चरण-IV के सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के शेष ह्रासित मूल्य पर 2017-19 की अवधि हेतु मूल्यहास आरईआरसी (टैरिफ निर्धारण के नियमों एवं शर्तों) विनियमन 2014 के स्वण्ड 22 (4) में प्रदान की गई सम्पत्तियों के शेष उपयोगी जीवन (13 वर्ष) में विस्तारित किए जाने के स्थान पर सीधी रेखा पद्धति से ₹28.18 करोड़ का मूल्यहास लगाया। इसके परिणामस्वरूप मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय ₹ 14.09 करोड़ (वर्ष 2018-19 के लिए मूल्यहास) तथा अन्य इक्विटी ₹ 14.09 करोड़ (वर्ष 2017-18 के लिए मूल्यहास) से अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं लाभ को क्रमशः ₹ 28.18 करोड़ तथा ₹14.09 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> <p>वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार को गारंटी कमीशन के कम भुगतान (₹15.67 करोड़) के पेटे एवं इस पर दंडात्मक ब्याज (₹0.84 करोड़) की देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप वित्तीय लागतों एवं अन्य चालू देयताओं को ₹16.51 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| <p>6.</p> | <p>राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2018-19)</p> | <p>राज्य भार प्रेषण केंद्र प्रभारों का दो बार लेखांकन किए जाने के परिणामस्वरूप संचालन से राजस्व एवं व्यापारिक प्राप्तियों को ₹ 9.86 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप वर्ष के लिए हानि उसी सीमा तक कम दर्शायी गई है।</p> <p>डिस्कॉम्स को देय अवितरित विचलन निपटान तंत्र (डीएसएम) प्रभारों के सावधि जमा (एफडी) पर अर्जित ब्याज को सम्मिलित करने के कारण अन्य आय के साथ-साथ व्यापारिक प्राप्य ₹ 45.16 लाख से अधिक दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि उस सीमा तक कम दर्शायी गई है।</p> <p>मार्च 2019 माह हेतु देयताओं (अडानी ट्रांसमिशन (राजस्थान) लिमिटेड एवं केईसी बीकानेर सीकर ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड को देय में एकात्मक प्रभार ₹ 4.83 करोड़ के साथ-साथ न्यायिक मामलों की फीस ₹16.28 लाख) का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशासनिक एवं अन्य व्ययों के साथ-साथ चालू देयताएं ₹ 4.99 करोड़ से कम दर्शाई गई। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि उस सीमा तक कम दर्शायी गई है।</p> |
| <p>7.</p> | <p>राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19)</p> | <p>पिछले वर्षों के दौरान त्रुटि/चूक के कारण समूह अवकाश नकदीकरण योजना हेतु किये गये आधिक्य प्रावधान के कारण कर्मचारी लाभ व्ययों को ₹1.55 करोड़ से क्रेडिट किया गया। इस त्रुटि को एएस 5 के अनुसार पूर्व अवधि की आय को क्रेडिट करके सुधारा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी लाभ व्ययों को कम दर्शाया गया एवं अपवाद एवं असाधारण मदों से पूर्व लाभ/आय को ₹ 1.55 करोड़ से अधिक दर्शाया गया।</p> |
| <p>8.</p> | <p>राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2018-19)</p> | <p>मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय में 2015-16 से 2018-19 की अवधि के लिए 'अमूर्त संपत्तियों' (सॉफ्टवेयर) पर 25 प्रतिशत प्रति वर्ष (उपयोगी जीवन 4 वर्ष मानते हुए) की दर से मूल्यहास की ₹ 5.60 करोड़ की राशि सम्मिलित है। चूंकि सॉफ्टवेयर 20.11.2015 को स्थापित किया गया था, इसलिए चालू वर्ष के लिए मूल्यहास के रूप में ₹ 1.40 करोड़ लगाया जाना था, पूर्व अवधि व्यय के रूप में ₹ 3.38 रुपये तथा शेष राशि ₹ 0.82 करोड़ को गैर-चालू संपत्ति के रूप में दर्शाया जाना था। गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के व्यय को ₹ 4.20 करोड़ से अधिक दर्शाया गया एवं 'पूर्व अवधि व्यय' के साथ-साथ 'गैर-चालू परिसंपत्तियों' को क्रमशः ₹ 3.38 करोड़ एवं ₹ 0.82 करोड़ से कम दर्शाया गया। वर्ष के लिए लाभ भी ₹ 0.82 करोड़ से कम दर्शाया गया।</p> <p>'चालू देयताओं' को समायोजित करने के स्थान पर, ई बाजार विक्रेता के पेटे व्यापार देयताओं को किये गये भुगतान का 'व्यय मद' में गलत लेखांकन के कारण अन्य व्यय एवं चालू देयताओं को ₹ 2.58 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ को उस सीमा तक कम दर्शाया गया।</p> <p>2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए राज्य नवीकरणीय कोष में योगदान का प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों के साथ-साथ</p> |

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | |
|----|---|---|
| | | चालू देयताओं को ₹ 0.30 करोड़ से कम दर्शाया गया। |
| 9 | राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018-19) | जैव चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव के पेटे ₹ 0.59 करोड़ की देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं को कम दर्शाया गया एवं उस सीमा तक लाभ को अधिक दर्शाया गया। |
| 10 | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2016-17) | कर्मचारी भविष्य निधि योगदान के भुगतान में चूक के लिए ब्याज एवं शास्ति के पेटे ₹ 43.67 लाख की देयता प्रदान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों तथा हानि को उस सीमा तक कम दर्शाया गया। शहरी विकास कर के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप चालू देयताओं के साथ-साथ हानि को ₹45.83 लाख से कम दर्शाया गया। |

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणी |
|---------|---|--|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2018-19) | नाबार्ड एवं हुडको के साथ निष्पादित ऋण समझौता पत्रों पर स्टॉप शुल्क के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण अन्य वित्तीय देयताओं को ₹ 5.45 करोड़ से कम दर्शाया गया। फलस्वरूप, वर्ष के लिए हानि उस सीमा तक कम दर्शायी गई है। 2018-19 के दौरान निष्पादित विभिन्न पूँजीगत कार्यों के पेटे देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के कारण अन्य वित्तीय देयताओं के साथ-साथ चालू पूँजीगत कार्य को ₹ 3.78 करोड़ से कम दर्शाया गया। |
| 2. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19) | गत वर्ष से संबंधित आय एवं व्ययों क्रमशः ₹ 38.48 लाख एवं ₹ 6.69 लाख की राशि को एएस 5 के उल्लंघन में लाभ एवं हानि के विवरण के माध्यम से समायोजित करने के स्थान पर सीधे संचय एवं अधिशेष से समायोजित किया गया। |
| 3. | राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (2018-19) | कंपनी ने सॉफ्टवेयर की लागत ₹ 5.60 करोड़ का भुगतान किया (अगस्त 2018) एवं चालू वर्ष के लेखों में इसे 'अमूर्त संपत्ति' के रूप में दर्शाया। तथापि, कंपनी ने पूर्व में सृजित देयता एवं गत वर्षों में दर्शाये गए व्यय (2016-17 में ₹ 2.80 करोड़ एवं 2017-18 में ₹ 1.30 करोड़) को प्रत्यावर्तित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 'चालू देयता' को अधिक एवं पूर्व अवधि आय को ₹ 4.10 करोड़ से कम दर्शाया गया। |

| | | |
|----|---|---|
| | | अन्य चालू परिसंपत्तियों में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) क पेटे ₹ 0.51 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जिसके संबंध में कंपनी के पास विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं थे तथा यह राशि लंबे समय से लंबित पड़ी थी। गत दो वर्षों में आश्वासन दिए जाने के बाद भी, चालू वर्ष के लेखे में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'चालू परिसंपत्तियों' को अधिक एवं 'व्ययों' को ₹ 0.51 करोड़ से कम दर्शाया गया। |
| 4. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2016-17) | रिवर्स प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारियों के वेतन से कटौती के संबंध में विभिन्न विभागों से प्राप्त राशि का लेखांकन नहीं किए जाने के कारण अन्य चालू देयता को ₹ 71.30 लाख से कम दर्शाया गया है। फलस्वरूप, चालू परिसंपत्तियों को उस सीमा तक कम दर्शाया गया था। |
| 5. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2016-17) | चालू पूँजीगत कार्य में लघु एवं मध्यम कस्बे के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के ₹ 171.49 करोड़ के चालू कार्य सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी के साथ-साथ गैर-चालू देयताओं (अन्य दीर्घकालिक देयताओं) को ₹ 171.49 करोड़ से कम दर्शाया गया। |

प्रकटन/सामान्य पर टिप्पणियाँ

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियाँ |
|---------|---|---|
| 1. | राजस्थान वित्त निगम (2019-20) | न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार इकाई ¹ की भूमि तथा भवन के विक्रय की वसूली से प्राप्त राशि को विभाजित करने के लिए निगम ने भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) को देय ₹ 7.39 करोड़ (₹ 3.84 करोड़ की मूल राशि के साथ ₹ 3.55 करोड़ ब्याज) को एफडीआर में पृथक रखा है। तथापि, निगम ने आईआईबीआई को देय ₹ 3.55 करोड़ की ब्याज की देयता तथा एफडीआर पर अर्जित ब्याज का लेखों की टिप्पणियों में उपयुक्त प्रकटन नहीं किया। |
| 2. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2018-19) | अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के संबंध में पूँजीगत वस्तुओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं/ठेकदारों को दिए गए ₹ 24.85 करोड़ का अग्रिम सम्मिलित है जो कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (आरएसईबी) के विघटन के समय से समायोजन हेतु लंबित है। तथापि, कंपनी के पास कोई संबंधित अभिलेख नहीं थे। जिसके अभाव में, लेखा पुस्तकों में परिलक्षित ₹ 24.85 करोड़ रुपये के अग्रिम की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। |
| 3. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19) | कंपनी के स्टॉक पंजिकाओं में उत्पादन/प्रापण के साथ-साथ बीजों की बिक्री को पृथक रूप से नहीं दर्शाया गया था जिसमें विभिन्न योजनाओं के अधीन अनुदान सम्मिलित है। इस चूक के कारण लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग |

1 मैसर्स फरीदाबाद कैमिकल्स लिमिटेड

| | | |
|----|--|---|
| | | <p>की गई/दावा की गई अनुदान की शुद्धता का आंकलन नहीं किया जा सका।</p> <p>राजस्थान सरकार के निर्देशों के अनुसार एवं परिचालन व्यय को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (आरएसएएमबी) के साथ 60:40 के अनुपात में साझा करने के लिए, कंपनी ने 'बीज रथ' का संचालन (15 मई 2018 से 30 जून 2018) किया एवं इसको देय राशि में से आरएसएएमबी के हिस्से के ₹ 1.51 करोड़ रुपये को समायोजित कर लिया गया। तथापि, यह तथ्य कि आरएसएएमबी ने इस समायोजन को अनुमति नहीं दी थी, टिप्पणी के माध्यम से प्रकट नहीं किया गया।</p> |
| 4. | राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018-19) | <p>कंपनी ने प्रकट नहीं किया था:</p> <p>(i) जैव चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत एवं रखरखाव के संबंध में ₹3.42 करोड़ के बीजक पत्र।</p> <p>(ii) ₹1.50 करोड़ की दवाओं एवं उस पर ब्याज राशि ₹0.77 करोड़ के भुगतान हेतु लिए आकस्मिक देयता</p> <p>(iii) लेखों की टिप्पणी में वाणिज्यिक विभाग के मुख्य लेखा नियंत्रक को दिए गए अग्रिम के समायोजन का लंबित होना।</p> <p>(iv) परिसमापक द्वारा आकस्मिक देयता के अंतर्गत उच्च न्यायालय के निर्णय/फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर खंडपीठ के समक्ष दायर पुनर्विचार याचिका।</p> |
| 5. | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2016-17) | <p>बिक्री एवं अनुदान शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई चीनी स्वरीद हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार (जीओआई) एवं राजस्थान सरकार से प्राप्य अनुदान के आंकड़े चीनी अनुदान के समाशोधन हेतु नियुक्त फर्म (मैसर्स एस. ए. अग्रवाल एण्ड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुरूप नहीं थे एवं इसलिए समाशोधन किया जाना आवश्यक है।</p> <p>गत वर्षों 2013-14 एवं 2014-15 के लेखों में टिप्पणी किए जाने के उपरांत भी, कंपनी ने यह प्रकट नहीं किया कि राजस संघ के वीएसएस, बारां द्वारा कोषागार से अनियमित/अनधिकृत रूप से आहरित किये गये ₹ 94.34 लाख में से ₹ 72.43 लाख रुपये कंपनी के लेखों में जमा करा दिये गये हैं जो सरकारी कोष को वापस लौटाया जाना है।</p> <p>लेखों पर टिप्पणी के टिप्पणी संख्या 1.29 इस सीमा तक अपूर्ण है कि आरक्षित गोदामों के लिए आरएसडब्ल्यूसी द्वारा किए गए ₹ 2.99 करोड़ के दावे को प्रकट नहीं किया गया।</p> <p>कंपनी ने डीसीपी योजना के अंतर्गत गेहूं की स्वरीद के लिए केन्द्रीय भण्डार व्यवस्था निगम (सीडब्ल्यूसी) के गोदाम आरक्षित किए। तथापि, आरक्षित गोदामों के लिए सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए ₹ 36.30 लाख के</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | दावे का न तो प्रावधान किया गया है एवं न ही लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। |
| 6. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (2016-17) | कंपनी ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया कि निरस्त किए गये सिविल कार्यों के पेटे ठेकेदारों से ₹ 29.03 करोड़ की राशि वसूलनीय है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर वर्ष 2016-17 के वार्षिक वित्तीय विवरणों को संशोधित किए जाने के तथ्य को लेखों की टिप्पणियों में प्रकट नहीं किया गया। |

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां

| क्र.सं. | कंपनी का नाम | टिप्पणियां |
|---------|--|--|
| 1. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20) | <p>सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में जीओआर से प्राप्य टैरिफ अनुदान के संबंध में कंपनी द्वारा किये गए लेखांकन पर टिप्पणी निम्न प्रकार दी गई थी:</p> <p>“जीओआर ने ₹ 3999.33 करोड़ की दावा राशि में से ₹ 1426.63 करोड़ की राशि को स्वीकार किया, शेष राशि ₹ 2572.70 करोड़ को लाभ एवं हानि विवरण में दर्ज किया जाना चाहिये, परन्तु कंपनी ने आज दिनांक तक इस संबंध में कोई लेखांकन नहीं किया। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के लाभ, पूर्व अवधि आय एवं अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों को ₹ 2572.70 करोड़ से अधिक दर्शाया गया। जीओआर द्वारा कंपनी के अनुदान दावे को वर्षवार अस्वीकार किए जाने के विवरणों के अभाव में, हम कंपनी के चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि की आय पर अलग से इसका प्रभाव देने में असमर्थ हैं।”</p> <p>(i) अनुदान दावे को अस्वीकृत किए जाने के वर्षवार विवरण के अभाव में चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि आय पर इसका प्रभाव देने में असमर्थता के संबंध में की गई टिप्पणी का यह भाग सही नहीं है क्योंकि लेखा मानक-5 के अनुसार ‘पूर्व अवधि मदों’ में केवल उन आय या व्ययों को संदर्भित किया गया है जो कि पूर्व अवधि के एक या अधिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं। इसमें परिस्थितियोंवश अन्य आवश्यक समायोजन, जो यद्यपि पूर्व अवधियों से संबंधित हैं किन्तु चालू अवधि में निर्धारित किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकरण में, जीओआर ने चालू अवधि में अनुदान के दावे को अस्वीकृत किया है अतः यह एक पूर्व अवधि मद नहीं है। इस प्रकार, टिप्पणी केवल चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव डालेगी।</p> <p>(ii) साथ ही, ऊपर (i) पर उल्लिखित टिप्पणी का प्रभाव देने से, कंपनी का वर्ष के लिए ₹ 2188.15 करोड़ का लाभ ₹ 384.55 करोड़</p> |

| | | |
|----|---|--|
| | | की हानि में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई राय कि लेखे 'सत्य एवं उचित' चित्र प्रस्तुत करते हैं सही नहीं है। |
| 2. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20) | <p>सांविधिक लेखा परीक्षक ने टिप्पणी की कि कंपनी ने 2019-20 तक विभिन्न टैरिफ अनुदानों के समक्ष ₹ 6942.94 करोड़ जीओआर से प्राप्य के रूप में दिखाये। जीओआर ने अपने दिनांक 21.08.2020 के पत्र के माध्यम से केवल ₹1983.56 करोड़ के टैरिफ अनुदान दावे को अनुमोदित किया। कंपनी ने इस अनुदान राशि को चालू वित्त वर्ष एवं गत वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण में राजस्व के रूप में दर्ज किया। तदनुसार, कंपनी ने चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि आय को ₹ 4959.38 करोड़ से अधिक दर्शाया है एवं प्राप्य सब्सिडी/अनुदान को ₹ 4959.38 करोड़ से अधिक दर्शाया है। जीओआर द्वारा कंपनी के अनुदान दावे को वर्षवार अस्वीकार किए जाने के विवरणों के अभाव में, हम कंपनी के चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि की आय पर अलग से इसका प्रभाव देने में असमर्थ हैं। कंपनी जीओआर के साथ इस प्रकरण को उठा रही है।</p> <p>(i) अनुदान दावे को अस्वीकृत किए जाने के वर्षवार विवरण के अभाव में चालू वर्ष के लाभ एवं पूर्व अवधि आय पर इसका प्रभाव देने में असमर्थता के संबंध में की गई टिप्पणी का यह भाग सही नहीं है क्योंकि लेखा मानक-5 के अनुसार 'पूर्व अवधि मदों' में केवल उन आय या व्ययों को संदर्भित किया गया है जो कि पूर्व अवधि के एक या अधिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने में त्रुटियों या चूक के परिणामस्वरूप चालू अवधि में उत्पन्न होते हैं। इसमें परिस्थितियों/वश अन्य आवश्यक समायोजन, जो यद्यपि पूर्व अवधियों से संबंधित हैं किन्तु चालू अवधि में निर्धारित किए जाते हैं, सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकरण में, जीओआर ने चालू अवधि में अनुदान के दावे को अस्वीकृत किया है अतः यह एक पूर्व अवधि मद नहीं है। इस प्रकार, टिप्पणी केवल चालू वर्ष के लाभ पर प्रभाव डालेगी।</p> <p>(ii) साथ ही, ऊपर अ(i) पर उल्लिखित टिप्पणी का प्रभाव देने से, कंपनी का वर्ष के लिए ₹ 9.85 करोड़ का लाभ ₹ 4949.53 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई राय कि लेखे 'सत्य एवं उचित' चित्र प्रस्तुत करते हैं सही नहीं है।</p> |
| 3. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा | सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा 'प्रकरण पर जोर' के तहत राज्य नवीकरण कोष (₹ 54 लाख) की देयता का प्रावधान नहीं किए जाने के संबंध में की गई टिप्पणी, जैसी कि टिप्पणी सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पूरक लेखापरीक्षा के दौरान की गई, एवं चालू वर्ष के लेखों पर इसके |

| | | |
|----|--|--|
| | निगम लिमिटेड (2019-20) | अनुरूप प्रभाव अर्थात चालू देयताओं को कम करके और लाभ को ₹ 54 लाख से अधिक दर्शाना त्रुटिपूर्ण था क्योंकि ₹ 60 लाख की मांग/देयता के समक्ष सांविधिक लेखापरीक्षक ने मात्र ₹ 54 लाख की देयता को प्रकट किया। साथ ही, इसका प्रभाव देते हुये सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा यह नहीं कहा गया कि ₹ 60 लाख का प्रावधान किया जाता तो ₹ 23.51 लाख का कर पूर्व लाभ ₹ 36.49 लाख की हानि में परिवर्तित हो जाता। |
| 4. | राजस्थान वित्त निगम (2019-20) | सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 (3) के अंतर्गत वित्त निगम के मामलों की स्थिति के सत्य एवं उचित चित्र के संबंध में राय व्यक्त नहीं की। इस प्रकार, लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन इस सीमा तक अपूर्ण हैं। |
| 5. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19) | सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत प्रत्येक सब्सिडी/अनुदान के पर्याप्त प्रकटन के संबंध में जारी निर्देशों (जून 2019) पर उचित रूप से टिप्पणी नहीं की। साथ ही, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि कंपनी द्वारा अनाज के रूप में बीजों की बिक्री, राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण तथा क्रेता से इस घोषणा के आधार पर की गई थी कि यह मानव उपभोग के लिए नहीं है। यह कथन गलत है क्योंकि कंपनी ने राज्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के बिना मार्च 2018 से सितंबर 2018 के दौरान 80,932 क्विंटल बीजों की अनाज के रूप में नीलामी की थी। |
| 6. | राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2016-17) | स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में निम्न (i) सब्सिडी आय की अधिक क्रेडिट, (ii) कंपनी द्वारा वसूल की गई क्षतिपूर्ति का व्यवहार, (iii) चीनी की क्रय लागत से अधिक सब्सिडी के दावे के लिए धोखाधड़ी एवं चीनी की गैर आईएसएस श्रेणी के संबंध में सूचना, (iv) वितरण के असत्य आंकड़ों पर प्रस्तुत त्रैमासिक दावे (v) वास्तविक दावों की तुलना में खातों में सब्सिडी का अधिक लेखांकन एवं (vi) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा दावा किए गए व्ययों की देयता प्रदान नहीं करने के संबंध में लेखापरीक्षक के कथन गलत/अपूर्ण पाये गये थे। साथ ही, सांविधिक लेखापरीक्षक ने यह भी उल्लेख नहीं किया था कि उसकी टिप्पणियों का प्रभाव देने से कर पूर्व लाभ, लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया गया ₹ 6.57 करोड़ (कर पूर्व लाभ) का लाभ, के विरुद्ध ₹ 14.49 करोड़ की हानि में परिवर्तित हो जायेगा। |

सांविधिक निगम, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है

2.12 सीएजी द्वारा सांविधिक निगम के लेखों पर, जहां सीएजी एकमात्र लेखा परीक्षक है, जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

निगम ने पेमेंट गेटवे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर (पीजीडीबीए) शीर्ष के अंतर्गत, निगम के बूट पोर्टल पर दर्शाए गए ₹ 38.65 करोड़ के राजस्व के समक्ष ₹ 38.35 करोड़ ऑनलाइन आरक्षण सॉफ्टवेयर (ओआरएस) के माध्यम से ई-टिकटिंग से राजस्व को दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 0.30 करोड़ से यात्री आय को कम एवं शुद्ध हानि को अधिक दर्शाया गया। फलस्वरूप, देनदारों को ₹ 0.30 करोड़ से कम दर्शाया गया।

लेखांकन मानकों/इंड एस के प्रावधानों की अनुपालना नहीं करना

2.13 कथित अधिनियम की धारा 129 (1), धारा 132 एवं धारा 133 के साथ पठित अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखा मानकों को निर्धारित किया था। इनके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 42 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) को अधिसूचित किया। इंड एस 115 तथा 116 की अधिसूचना के पश्चात तीन इंड एस 11, 17 एवं 18 को वापस ले लिया गया है।

अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 के मध्य की गई पूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने देखा कि निम्नलिखित कंपनियों ने लेखा मानकों/इंड एस की अनुपालना नहीं की थी, जिन्हें उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था:

| एस/इंड एस | एस/इंड एस का नाम | कंपनी का नाम | विचलन |
|-----------|--|---|---|
| एस 5 | अवधि के लिए, शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मर्दे और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19) | गत वर्षों में की गई त्रुटि को पूर्व अवधि मद में समायोजित करके सुधार किया जाना चाहिए था, तथापि समायोजन चालू वर्ष के व्ययों में किया गया था। |
| | | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (2018-19) | गत वर्षों से संबंधित आय एवं व्ययों को लाभ एवं हानि विवरण के अन्तर्गत पूर्व अवधि मर्दों के स्थान पर सीधे संचय एवं अधिशेष के माध्यम से समायोजित किया गया। |
| | | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20) | सांविधिक लेखापरीक्षक ने बताया कि सब्सिडी दावों की अस्वीकृति को चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्व अवधि आय में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। |
| | | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2019-20) | तथापि, यह गलत है क्योंकि सब्सिडी की अस्वीकृति कोई त्रुटि या चूक नहीं है जिसे पूर्व अवधि मर्दों के माध्यम से समायोजित किया जाये। |
| एस12 | सरकारी | राजस्थान राज्य बीज | राजस्व से संबंधित अनुदानों को लाभ एवं हानि |

| | | |
|--------------------------|---------------------------|--|
| अनुदान के लिए लेखांकन | निगम लिमिटेड (2018-19) | विवरण में पृथक रूप से दिखाया जाना चाहिए, तथापि इसे संचालन से राजस्व में जोड़ा गया था। |
|--------------------------|---------------------------|--|

प्रबंधन पत्र

2.14 वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक एवं निगमित इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों पर सम्प्रेषण स्थापित करना है।

राजकीय उपक्रमों के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आक्षेपों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की गई थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताओं या कमियों पर भी सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया था। यह कमियां सामान्यतः लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं के लागू करने एवं व्याख्या करने, लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजनों जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है एवं कतिपय सूचनाओं की अपर्याप्तता अथवा प्रकटन नहीं किया जाना, जिस पर संबंधित राजकीय उपक्रम के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई आगामी वर्ष में की जाएगी से संबंधित है।

समीक्षा अवधि के दौरान, सीएजी ने राजकीय उपक्रमों को 26 'प्रबंधन पत्र' जारी किए, जैसा कि अनुबंध-2.3 में दर्शाया गया है। इन प्रबंधन पत्रों में उजागर की गई अनियमितताओं की व्यापक प्रकृति निम्नानुसार थी:

- पुराने शेषों का मिलान नहीं किया जाना;
- परिसम्पत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय आदि का गलत वर्गीकरण;
- 'लेखों की टिप्पणियों में' अपर्याप्त/प्रकटन नहीं किया जाना;
- सीएजी के निर्देशों पर टिप्पणी न किया जाना; एवं
- उचित लेखा पुस्तकों के रख रखाव का अभाव।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

अध्याय-III

निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन

परिचय

3.1 निगमित अभिशासन ग्राहको, आपूर्तिकर्ताओ, कर्मचारियों, अंशधारकों, बैंकरों एवं वृहद् रूप से समाज को सम्मिलित करते हुये अपने विभिन्न हितधारको के विश्वास के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। निगमित अभिशासन के नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओ की प्रणाली से कंपनी निर्देशित एवं नियंत्रित होती है। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम का निगमित अभिशासन का ढांचा पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटन, स्वतंत्र निगरानी एवं सभी के लिए निष्पक्षता जैसे चार स्तंभों पर निर्भर करता है। निगमित अभिशासन का पालन व्यवसाय में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाता है एवं हितधारकों का विश्वास बढ़ाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

3.2 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) को कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थान पर 29 अगस्त 2013 को अधिनियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने प्रबंधन व प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता, निदेशक मंडल की बैठकों तथा इसकी शक्तियों एवं लेखों पर कंपनी नियम 2014 को भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया है। कंपनी नियमों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करता है। जिसमे अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि:

स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यता के साथ पेशेवर आचरण हेतु कर्तव्य एवं दिशा-निर्देश {धारा 149 (6) सपटित कंपनी नियम, 2014 (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) का नियम 5}।

निर्धारित कंपनियों के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {धारा 149 (1)}

विशिष्ट समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति {धारा 177 (1)} नामांकन एव पारिश्रमिक समिति {धारा 178 (1)}, एवं हितधारक संबंध समिति {धारा 178 (5)} की अनिवार्य स्थापना

प्रत्येक वर्ष निदेशक मंडल की न्यूनतम चार बैठकों का आयोजन, इस प्रकार से होना चाहिए कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का समयान्तराल न हो। {धारा 173 (1)}

निगमित अभिशासन पर सेबी/बीपीई के दिशानिर्देश

3.3 चूंकि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है, निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश राजकीय उपक्रमों पर लागू नहीं होते हैं। साथ ही, राजस्थान सरकार (जीओआर) के राजकीय उपक्रम ब्यूरो (बीपीई) ने भी निगमित अभिशासन के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये हैं।

निगमित अभिशासन के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा

3.4 31 मार्च, 2020 को, भारत के सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य चार कंपनियों सहित राज्य सरकार की 42 कंपनियां (जिसे आगे राजकीय उपक्रमों से संबोधित किया गया है) थी। सरकारी कंपनियों को अधिक स्वायत्तता देने की सरकार की नीति के परिपेक्ष्य में निगमित अभिशासन का महत्व बढ़ गया है।

लेखापरीक्षा समीक्षा के उद्देश्य से निगमित अभिशासन पर अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के आधार पर एक मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई थी। वर्ष 2019-20 के दौरान लागू प्रावधान मूल्यांकन प्रणाली में परिलक्षित थे। समीक्षा में राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के अतिरिक्त, जो समापन अवस्था में है, विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन समस्त सरकारी कंपनियों को सम्मिलित किया गया है।

निदेशक मंडल का गठन

स्वतंत्र निदेशक

3.5 बोर्ड में स्वतंत्र प्रतिनिधियों जो प्रबंधन के निर्णयों पर एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में सक्षम हैं, की उपस्थिति को शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से एक साधन माना जाता है।

अधिनियम 2013 की धारा 149 (4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। साथ ही, कम्पनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के अनुसार (i) दस करोड़ रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त शेयर पूंजी अथवा (ii) एक सौ करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक का टर्नओवर; अथवा (iii) समग्र रूप से पचास करोड़ रुपये से अधिक बकाया ऋण, ऋणपत्रों एवं जमा रखने वाली सार्वजनिक कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कम से कम दो निदेशक होने चाहिए।

साथ ही, इस नियम के अन्तर्गत आने वाली कंपनी को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना भी आवश्यक है। ऐसी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होंगे, जिसमें अधिनियम 2013 की धारा 177 (2) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा।

नियम में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी लगातार तीन वर्षों तक तीन शर्तों में से कोई भी शर्त पूर्ण नहीं करती है, इसे इन प्रावधानों का अनुपालना करने की तब तक आवश्यकता नहीं होगी, जब तक कि यह इनमें से किसी शर्त को पूर्ण नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त, नियम 4 के उप नियम (2) के अनुसार, एक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी अर्थात् एक संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अथवा एक निष्क्रिय कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं उपरोक्त वर्णित नियम 4 के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 42 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों को, जैसा कि अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। निदेशक मंडल (बीओडी) की संरचना की समीक्षा के आधार पर इन राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की एक सारांशित स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है:

तालिका 3.1 स्वतंत्र निदेशको (आईडी) की नियुक्ति की स्थिति

| विवरण | 31 मार्च 2019 को | 31 मार्च 2020 को |
|--|------------------|------------------|
| आईडी की नियुक्ति की आवश्यकता रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या | 26 | 26 |
| आईडी की आवश्यक संख्या रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या | 12 | 5 |
| आईडी की आवश्यक संख्या नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या | 1 | 4 |
| कोई आईडी नहीं रखने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या | 13 | 17 |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि नौ¹ राजकीय उपक्रमों, जिन्हें मार्च 2019 को वांछित संख्या में आईडी की आवश्यकता थी, ने पूर्व आईडी की कार्यावधि समाप्त होने पर नये आईडी की नियुक्ति नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 को ऐसे राजकीय उपक्रमों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी, जिनमें या तो आवश्यक संख्या में आईडी नहीं थे अथवा आईडी की संख्या शून्य थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि:

- दो राजकीय उपक्रम यथा उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (यूएससीएल) एवं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (आरएसएससीएल), जिनकी लेखापरीक्षा समिति में 31 मार्च 2019 एवं 31 मार्च 2020 को पाँच सदस्य थे, में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र

1 जैसा कि अनुबंध 3.1 की क्रम संख्या 1 से 7, 22 एवं 23 पर वर्णित है।

निदेशक नहीं थे, जैसा कि मार्च 2019 एवं मार्च 2020 में यूएससीएल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था जबकि आरएसएससीएल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

- यद्यपि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने 2018-19 के दौरान नियम 4 की किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं किया था परन्तु 2017-18 के दौरान ₹ 136.06 करोड़ के टर्नओवर को ध्यान में रखते हुये, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान 2018-19 के दौरान ही लागू हो गये थे। इसके उपरांत भी आरएसआईसीएल ने 2019-20 में भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं की थी।
- बाड़मेर लिग्नाइट स्वनन कंपनी लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम, को यद्यपि स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं थी, में 31 मार्च 2019 को तीन स्वतंत्र निदेशक थे, जिनका कार्यकाल 29 मार्च 2020 को समाप्त हो गया था।

इस प्रकार, राजकीय उपक्रमों ने अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 की अनुपालना सुनिश्चित नहीं की थी।

मंडल में महिला निदेशक

3.6 अधिनियम, 2013 की धारा 149 (2) सपठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 का नियम 3 (i) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसमें (अ) एक सौ करोड़ या अधिक की प्रदत्त पूंजी अथवा (ब) तीन सौ करोड़ या अधिक का टर्नओवर हो, में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। साथ ही, महिला निदेशक की किसी भी आंतरायिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा अतिशीघ्र परन्तु तत्काल आगामी बोर्ड बैठक के बाद अथवा ऐसी रिक्ति की दिनांक से तीन माह, जो भी बाद में हो, से पूर्व भरा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान 19 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, द्वारा महिला निदेशको की नियुक्ति किया जाना आवश्यक था। इन 19 राजकीय उपक्रमों में से 13 राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक रही थी, जैसा कि तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2019-20 के दौरान कम से कम एक महिला निदेशक वाले राजकीय उपक्रमों के नाम

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रमों के नाम |
|-------------|--|
| 1. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 2. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 3. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 4. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड |
| 5. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड |
| 6. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड |

| | |
|-----|--|
| 7. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड |
| 8. | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड |
| 9. | राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड |
| 10. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड |
| 11. | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 12. | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड |
| 13. | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो² राजकीय उपक्रमों में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान महिला निदेशक नहीं थी। साथ ही, तीन³ राजकीय उपक्रमों ने महिला निदेशक की रिक्ति को निर्धारित समयावधि के भीतर भरकर प्रावधान के नियम 3 की अनुपालना सुनिश्चित की थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एक राजकीय उपक्रम यथा जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने महिला निदेशक की रिक्ति को सात महीने के विलंब से भरा था।

स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति एवं कार्यप्रणाली

नियुक्ति के औपचारिक पत्र को जारी करना एवं सामान्य सभा में अनुमोदन

3.7 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन अंशधारको की बैठक (साधारण सभा) में होगा। साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति औपचारिक नियुक्ति पत्र, जिसमें नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को व्यक्त किया जायेगा, के माध्यम से की जायेगी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना भी आवश्यक है।

तथापि लेखापरीक्षा ने देखा कि दो राजकीय उपक्रमों (राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड) ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति (फरवरी 2020) की, परन्तु दोनों राजकीय उपक्रमों ने नियुक्ति का अनुमोदन साधारण सभा में नहीं करवाया था। साथ ही, नियुक्ति किये गये स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति के नियम एवं शर्तों के संबंध में जारी किए गये औपचारिक पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त दो⁴ राजकीय उपक्रमों के संबंध में, जिनमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी, आरयूडीडब्ल्यूएस एण्ड आईसीएल द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में नियुक्ति की अवधि एवं कार्यों की सूची, जोकि निदेशक द्वारा कम्पनी में कार्यरत रहते हुये नहीं किये जाने चाहिए, को सम्मिलित नहीं किया गया था जबकि आरएसएमएमएल ने अधिनियम, 2013 की

2 राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

3 बाड़मेर लिग्नाइट खनन कम्पनी लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आरएसएसएमएमएल)।

4 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड (आरयूडीडब्ल्यूएसएवंआईसीएल) एवं आरएसएमएमएमएल।

अनुसूची IV में वांछित नियमों एवं शर्तों को नियुक्ति पत्र में सम्मिलित नहीं किया था।

स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

3.8 कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV (अनुच्छेद III (1)- स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को यथोचित प्रशिक्षण लेना चाहिए एवं अपने कौशल, ज्ञान तथा कंपनी के बारे में जानकारी को नियमित रूप से तरोताजा एवं अद्यतन रखना चाहिए। तथापि, लेखपरीक्षा ने देखा कि किसी भी राजकीय उपक्रम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया था।

कंपनी के बोर्ड, बोर्ड समितियों एवं साधारण सभा की बैठकों में भाग लेना

3.9 अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (3) में यह प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल एवं बोर्ड समितियों, जिनमें वह सदस्य है, की समस्त बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए।

अ बोर्ड की बैठक:- स्वतंत्र निदेशकों, जो कि बैठक के समय बोर्ड में विद्यमान थे, की उपस्थिति की स्थिति को तालिका 3.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.3: बोर्ड की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रम का नाम | बोर्ड की बैठकों की संख्या | आईडी की 100% उपस्थिति वाली बैठकों की संख्या |
|-------------|---|---------------------------|---|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 8 | 7 |
| 2. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 6 | 2 |
| 3. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 3 | 2 |
| 4. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 5 | 2 |
| 5. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 6 | 4 |
| 6. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 4 | 4 |
| 7. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 8 | 7 |
| 8. | राजस्थान राज्य स्वान एवं खनिज लिमिटेड | 2 | 1 |
| 9. | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड | 4 | 0 |
| 10. | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 5 | 1 |
| 11. | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2 | 0 |
| 12. | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 3 | 2 |
| 13. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 1 | 1 |
| 14. | बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड | 3 | 1 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र निदेशकों की 100 प्रतिशत उपस्थिति मात्र 57 प्रतिशत बोर्ड बैठकों में रही थी। साथ ही, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं

राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों ने बोर्ड बैठकों में उपस्थित नहीं होकर हितधारकों की ओर से उनको सौंपी गयी भूमिका को महत्व नहीं दिया था।

ब बोर्ड समितियों की बैठक

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति- लेखापरीक्षा ने उन कंपनियों में भी स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की समीक्षा की, जिनमे गठित सीएसआर समितियों की 2019-20 के दौरान बैठकें आयोजित की गई थीं एवं बैठक के समय स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे। सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति को **तालिका 3.4** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.4: सीएसआर समिति की बैठकों में आईडी की उपस्थिति

| क्रम संख्या. | राजकीय उपक्रम का नाम | बैठक की दिनांक | बोर्ड में आईडी की संख्या | उपस्थित आईडी की संख्या |
|--------------|---|----------------|--------------------------|------------------------|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 28.08.2019 | 2 | 2 |
| | | 11.11.2019 | 2 | 2 |
| 2. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 08.11.2019 | 2 | 1 |
| 3. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 08.11.2019 | 2 | 1 |
| 4. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 31.10.2019 | 2 | 2 |
| 5. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड | 09.01.2020 | 2 | 1 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 2, 3 एवं 5) में एक स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित था।

लेखापरीक्षा समिति- वित्तीय वर्ष 2019-20 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के दौरान बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति की स्थिति को **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.5: लेखापरीक्षा समिति में आईडी की उपस्थिति

| क्रम संख्या. | राजकीय उपक्रम का नाम | बैठक की दिनांक | बोर्ड में आईडी की संख्या | उपस्थित आईडी की संख्या |
|--------------|---|----------------|--------------------------|------------------------|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 13.05.2019 | 2 | 2 |
| | | 26.07.2019 | 2 | 1 |
| | | 28.08.2019 | 2 | 2 |
| | | 27.09.2019 | 2 | 2 |
| | | 11.11.2019 | 2 | 2 |
| | | 05.03.2020 | 1 | 1 |
| 2. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 30.07.2019 | 2 | 2 |
| | | 13.08.2019 | 2 | 1 |

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | | | |
|----|---|------------|---|---|
| | | 19.09.2019 | 2 | 1 |
| 3. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 03.06.2019 | 2 | 2 |
| | | 26.08.2019 | 2 | 2 |
| | | 20.09.2019 | 2 | 1 |
| 4. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 30.07.2019 | 2 | 2 |
| | | 19.09.2019 | 2 | 1 |
| 5. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 30.07.2019 | 2 | 2 |
| | | 16.09.2019 | 2 | 2 |
| 6. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 13.05.2019 | 2 | 2 |
| | | 26.07.2019 | 2 | 2 |
| | | 12.09.2019 | 2 | 2 |
| 7. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 11.07.2019 | 2 | 1 |
| | | 28.08.2019 | 2 | 2 |
| | | 08.11.2019 | 1 | 1 |
| 8 | राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड | 09.12.2019 | 2 | 2 |
| 9 | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड | 24.10.2019 | 2 | 1 |
| 10 | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 13.09.2019 | 2 | 1 |
| 11 | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 27.08.2019 | 2 | 0 |
| 12 | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 30.07.2019 | 1 | 1 |
| 13 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 19.02.2020 | 2 | 2 |
| 14 | बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड | 19.11.2019 | 3 | 3 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

स. साधारण सभा

अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशक को कंपनी की समस्त साधारण सभाओं में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) के आयोजन के समय 13 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक विद्यमान थे। 2019-20 में आयोजित वार्षिक साधारण सभा (एजीएम), राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या एवं स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होंने सभा में भाग लिया का विवरण तालिका 3.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: वार्षिक साधारण सभा में आईडी की उपस्थिति

| क्रम संख्या. | राजकीय उपक्रम का नाम | एजीएम की दिनांक | बोर्ड में आईडी की संख्या | बैठक में उपस्थित आईडी की संख्या |
|--------------|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 10.12.2019 | 1 | 0 |
| 2 | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 26.09.2019 | 2 | 0 |

| | | | | |
|----|---|------------|---|---|
| 3 | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 30.09.2019 | 2 | 2 |
| 4 | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 26.09.2019 | 2 | 0 |
| 5 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 23.09.2019 | 2 | 0 |
| 6 | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 27.09.2019 | 2 | 2 |
| 7 | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड | 28.01.2020 | 2 | 1 |
| 8 | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड | 20.01.2020 | 2 | 0 |
| 9 | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 28.11.2019 | 2 | 1 |
| 10 | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 31.10.2019 | 1 | 0 |
| 11 | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 31.12.2020 | 1 | 0 |
| 12 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 17.03.2020 | 2 | 2 |
| 13 | बाड़मेर लिग्नाईट स्नान कम्पनी लिमिटेड | 16.12.2019 | 3 | 1 |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में सात राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 1, 2, 4, 5, 8, 10 एवं 11) में बोर्ड में विद्यमान कोई भी स्वतंत्र निदेशक एजीएम में उपस्थित नहीं था, जबकि तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 7, 9 एवं 13) में स्वतंत्र निदेशकों की भागिता कम रही एवं केवल तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम संख्या 3, 6 एवं 12) में बोर्ड में विद्यमान समस्त स्वतंत्र निदेशक एजीएम में उपस्थित रहे थे।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक

3.10 अधिनियम 2013 की अनुसूची IV (VII)

(1) के अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करना चाहिए। साथ ही, कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों को गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु ऐसी बैठक में उपस्थित होने का प्रयास करना चाहिए। कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की भी समीक्षा की जायेगी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने निर्देश दिया (24 मार्च 2020) कि यदि किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक, इस तरह की बैठक का आयोजन नहीं कर पाते हैं, तो उसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उल्लंघन नहीं माना जायेगा। तथापि, स्वतंत्र निदेशक, यदि इसे आवश्यक समझे, तो वह दूरभाष अथवा ई-मेल अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम से आपस में अपने विचार साझा कर सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान 16 राजकीय उपक्रमों, जहाँ स्वतंत्र निदेशक बोर्ड में विद्यमान थे, में से केवल तीन⁵ राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने पृथक बैठक का आयोजन क्रमशः 5 मार्च 2020, 11 मार्च 2020 एवं 6 दिसम्बर 2019 को किया था, जबकि

5 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड।

शेष 13 राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने 2019-20 के दौरान किसी पृथक बैठक का आयोजन नहीं किया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पृथक बैठकों के अभाव में, 13 राजकीय उपक्रमों के बोर्ड में विद्यमान स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, यथा गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा, का मुख्य उद्देश्य पूर्णतः विफल हो गया था। साथ ही, अनुसूची IV (VII) (3) (स) के अनुसार, बोर्ड को अपने कर्तव्यों का प्रभावी एवं यथोचित रूप से पालन करने के लिये आवश्यक, कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता भी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

इसके अलावा, तीन राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा से प्रकट हुआ कि यद्यपि स्वतंत्र निदेशकों ने इन राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन एवं बोर्ड के मध्य सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा एवं समयबद्धता का मूल्यांकन किया परन्तु उन्होंने गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा नहीं की थी।

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के पदों को भरना

3.11 अधिनियम 2013 की धारा 203(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसी कम्पनी, जो कि कंपनी की निर्धारित श्रेणी या श्रेणियों से संबंधित है, में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) अर्थात् (i) प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अथवा प्रबंधक एवं उनकी अनुपस्थिति में एक पूर्णकालिक निदेशक; (ii) कंपनी सचिव; एवं (iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) होने चाहिए। साथ ही, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं दस करोड़ अथवा उससे अधिक रूपये की प्रदत्त पूंजी वाली प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी में पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक होने चाहिए। अधिनियम, 2013 की धारा 203(4) में आगे यह प्रावधान है कि यदि किसी भी पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पद रिक्त हो जाता है, तो संबंधित रिक्त को बोर्ड द्वारा ऐसी रिक्त की दिनांक से छह महीने की अवधि के अंदर बोर्ड की बैठक में भरा जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में 24 राजकीय उपक्रमों, जैसा की अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, की प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ अथवा अधिक थी। अतः इन कंपनियों को पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त करने की आवश्यकता थी। इन 24 राजकीय उपक्रमों में से तालिका 3.7 में दर्शाये गए चार राजकीय उपक्रमों को छोड़कर 20 राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालिक केएमपी नियुक्त किये गये थे।

तालिका 3.7: केएमपी की नियुक्ति की स्थिति

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रम का नाम | केएमपी की स्थिति |
|-------------|--|--|
| 1. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 2019-20 के दौरान पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति नहीं की गयी थी। |
| 2. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | |
| 3. | राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड | |

| | | |
|---|--|--|
| 4 | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड | सीएफओ एवं सीएस की नियुक्ति की जानी है। |
|---|--|--|

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, केएमपी की रिक्तियों को भरे जाने से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से प्रकट हुआ कि 2019-20 के दौरान उत्पन्न हुई रिक्तियों को इस प्रकार की रिक्तियों की दिनांक से छः माह के भीतर भर दिया गया था।

निदेशक मंडल की बैठक

3.12 अधिनियम, 2013 की धारा 173 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन की तिथि से तीस दिनों के भीतर निदेशक मंडल (बीओडी) की प्रथम बैठक का आयोजन करेगी एवं इसके पश्चात, प्रत्येक वर्ष बीओडी की न्यूनतम चार बैठकें इस तरह से आयोजित की जायेगी कि बोर्ड की निरंतर दो बैठकों के मध्य एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल न हो।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (24 मार्च 2020) ने बीओडी की बैठकों को आयोजित करने हेतु धारा 173 में दिये गये अंतराल में 60 दिनों का विस्तार एक मुश्त छूट के रूप में अगली दो तिमाहियों अर्थात् सितंबर 2020 तक प्रदान किया है।

प्रत्येक राजकीय उपक्रम द्वारा 2019-20 के दौरान आयोजित बीओडी बैठकों की संख्या का विवरण अनुबंध 3.1 में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि 41 राजकीय उपक्रमों में से 16⁶ राजकीय उपक्रम वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान चार बीओडी बैठकों का आयोजन करने में विफल रहे थे, जबकि चार⁷ राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बीओडी की मात्र एक बैठक का आयोजन किया था। साथ ही, राजकीय उपक्रमों, जिनमें बीओडी की दो बैठकों के मध्य समयान्तराल 120/180 दिनों की निर्धारित समय सीमा से अधिक था, को तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8: बीओडी की निरंतर दो बैठकों के आयोजन करने में विलम्ब

| क्रम | राजकीय उपक्रम का नाम | बैठक की दिनांक | अगली बैठक की दिनांक | अंतराल की अवधि (दिनों में) |
|------|---|----------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड | 31.10.2019 | 13.10.2020 | 348 |
| 2 | बाड़मेर लिग्नाईट स्वनन कम्पनी लिमिटेड | 25.06.2019 | 06.11.2019 | 134 |
| 3 | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड | 09.12.2019 | 08.06.2020 | 182 |
| 4 | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 09.12.2019 | 10.06.2020 | 183 |
| 5 | राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड | 05.04.2019 | 10.12.2019 | 249 |
| | | 10.12.2019 | 16.10.2020 | 311 |

6 क्रम संख्या. 10, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 35, 36, 39, 40 एवं 41।

7 क्रम संख्या. 10, 24, 31 एवं 39।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | | | |
|----|--|------------|------------|-----|
| 6 | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 29.08.2019 | 22.01.2020 | 146 |
| | | 22.01.2020 | 10.09.2020 | 232 |
| 7 | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 11.11.2019 | 16.03.2020 | 127 |
| 8 | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 14.08.2019 | 02.09.2020 | 385 |
| 9 | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 21.07.2019 | 21.11.2019 | 123 |
| | | 31.12.2019 | 29.09.2020 | 272 |
| 10 | राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड | 31.10.2019 | 05.08.2020 | 279 |
| 11 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 17.08.2019 | 29.01.2020 | 165 |
| | | 29.01.2020 | 29.07.2020 | 182 |
| 12 | राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 19.12.2019 | 29.07.2020 | 222 |
| 13 | राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड | 27.05.2019 | 30.09.2019 | 125 |
| 14 | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | 30.07.2019 | 13.12.2019 | 136 |
| 15 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 13.06.2019 | 14.10.2019 | 123 |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 173 (3) में प्रावधान है कि बोर्ड की बैठक बुलाने हेतु प्रत्येक निदेशक को कम से कम सात दिवस पूर्व लिखित में नोटिस कंपनी के पास उसके पंजीकृत पते पर भेजना चाहिए एवं ऐसे नोटिस की सुपुर्दगी व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा भेजनी होगी। नोटिस एवं बैठकों के दिनांक की समीक्षा से उजागर हुआ कि निम्नलिखित 10 राजकीय उपक्रमों ने सात दिवस का नोटिस दिये बिना ही बीओडी की बैठकें आयोजित की थीं।

तालिका 3.9: कम अवधि के नोटिस द्वारा आहूत की गई बोर्ड बैठकों का विवरण

| क्रम सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | नोटिस की तिथि | बोर्ड की बैठक की तिथि |
|----------|--|---------------|-----------------------|
| 1 | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | 19.12.2019 | 23.12.2019 |
| 2 | धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड | 19.12.2019 | 23.12.2019 |
| 3 | छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड | 19.12.2019 | 23.12.2019 |
| 4 | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 13.03.2020 | 18.03.2020 |
| 5 | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 11.03.2020 | 16.03.2020 |
| 6 | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 09.08.2019 | 14.08.2019 |
| 7 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 27.01.2020 | 28.01.2020 |
| 8 | राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड | 27.09.2019 | 30.09.2019 |
| 9 | राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड | 10.12.2019 | 13.12.2019 |
| 10 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 12.12.2019 | 16.12.2019 |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति एवं अन्य समितियां

लेखापरीक्षा समिति का गठन एवं संरचना

3.13 अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 41 राजकीय उपक्रमों में से 26 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि **अनुबंध 3.1** में दर्शाया गया है, जिनके बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक थे, को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने देखा कि कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों ने 31 मार्च 2020 को लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था। साथ ही, राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति का गठन (19 अगस्त 2019) विलंब से किया था क्योंकि उसका गठन वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसके टर्नओवर के आधार पर 2018-19 की प्रथम तिमाही में करना था।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना

3.14 अधिनियम, 2013 की धारा 177(2) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन निदेशक होने चाहिए जिनमें स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत होगा। साथ ही, लेखापरीक्षा समिति में इसके अध्यक्ष सहित सदस्यों का बहुमत वित्तीय विवरण को पढ़ने एवं समझने की क्षमता वाले व्यक्तियों का होना चाहिए।

एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति की संरचना के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करवायी थी। शेष 24 राजकीय उपक्रमों में, जिनमें लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था, उनमें वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड को छोड़कर समस्त राजकीय उपक्रमों ने अपनी लेखापरीक्षा समिति में न्यूनतम तीन सदस्यों के मापदंड को पूर्ण किया था। साथ ही, स्वतंत्र निदेशकों का बहुमत केवल तीन⁸ राजकीय उपक्रमों में पाया गया था जबकि शेष 21 राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं पाये गये थे।

8 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निगम लिमिटेड, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड।

लेखापरीक्षा समिति हेतु निर्देश-निबंधन

3.15 अधिनियम 2013 की धारा 177(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक लेखापरीक्षा समिति बोर्ड द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन के अनुसार कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24 राजकीय उपक्रमों (आरटीडीसीएल को छोड़कर), जिनमें लेखापरीक्षा समिति का गठन किया था, में से मात्र 13 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि तालिका 3.10 में दर्शाया गया है, में उनसे संबंधित बोर्ड द्वारा-निर्देश निबंधन (टीओआर) का अनुमोदन किया गया था।

तालिका 3.10: राजकीय उपक्रम जहाँ लेखापरीक्षा समिति के निर्देश-निबंधन अनुमोदित है

| क्रम सं | राजकीय उपक्रम का नाम |
|---------|--|
| 1. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 2. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 3. | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 4. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| 5. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड |
| 6. | राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| 7. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड |
| 8. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| 9. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड |
| 10. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड |
| 11. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड |
| 12. | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड |
| 13. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

टीओआर की समीक्षा से उजागर हुआ कि इन सभी राजकीय उपक्रमों (राजकीय उपक्रम क्रम संख्या 1, 8 एवं 10 को छोड़कर) ने धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट समस्त बिंदुओं को सम्मिलित किया था। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने टीओआर में 'लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता की समीक्षा एवं निगरानी, लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन एवं प्रभावशीलता एवं संबद्ध पक्षकारों के साथ लेनदेन का अनुमोदन' को सम्मिलित नहीं किया था। साथ ही, राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा समिति के टीओआर में 'लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं निष्पादन' को सम्मिलित नहीं किया गया था।

राजकीय उपक्रमों जिनमें उनके संबंधित बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया था, को तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: राजकीय उपक्रम जिनमें लेखापरीक्षा समिति की टीओआर का अनुमोदन नहीं किया गया

| क्रम सं | राजकीय उपक्रम का नाम |
|---------|--|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड |
| 2. | राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड |
| 3. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड |
| 4. | राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड |
| 5. | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड |
| 6. | राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड |
| 7. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्ननिज लिमिटेड |
| 8. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड |
| 9. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड |
| 10. | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड |
| 11. | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा समिति के कार्यकलापों की समीक्षा

3.16 अधिनियम, 2013 की धारा 177(4) में विनिर्दिष्ट निर्देश-निबंधन में अन्य बातों के साथ (i) लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता की समीक्षा एवं निगरानी तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निष्पादन एवं प्रभावशीलता, (ii) वित्तीय विवरण एवं उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच, (iii) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। साथ ही, अधिनियम, 2013 की धारा 177(5) प्रावधान करती है कि लेखापरीक्षा समिति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुतीकरण से पूर्व लेखापरीक्षकों से आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षकों की आपत्तियों सहित लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं वित्तीय विवरणों की समीक्षा के संबंध में टिप्पणियां मांग सकती है तथा आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी प्रबंधन के साथ किसी संबंधित मुद्दे पर चर्चा भी कर सकती है।

राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण अनुबंध 3.1 में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की थी जबकि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने उसके द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक का विवरण प्रदान नहीं किया था। यह आंकलन करने हेतु कि क्या गठित लेखापरीक्षा समितियों ने अनुमोदित टीओआर के अनुसार कार्य किया, 2019-20 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में उजागर हुआ कि केवल चार⁹ राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समितियों ने राजकीय उपक्रमों में

9 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड

विद्यमान आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन किया था, जबकि किसी भी राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया था। साथ ही, राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष हेतु वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का इसकी लेखापरीक्षा समिति द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी बैठक का आयोजन नहीं हुआ था।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

3.17 अधिनियम 2013 की धारा 178(1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के नियम 6 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी एवं समस्त सार्वजनिक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के अतिरिक्त, जिनकी प्रदत्त पूंजी ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक अथवा टर्नओवर ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक अथवा बकाया ऋण या उधार या ऋणपत्र या जमा समग्र रूप से ₹ 50 करोड़ या उससे अधिक है, को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 26 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि अनुबंध 3.1 में दर्शाया गया है, को एनआरसी का गठन करना आवश्यक था। तथापि, 31 मार्च 2020 को निम्नलिखित आठ राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन नहीं किया था:

तालिका 3.12: राजकीय उपक्रमों जिन्होंने एनआरसी का गठन नहीं किया

| क्रम सं | राजकीय उपक्रम का नाम |
|---------|--|
| 1. | राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड |
| 2. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड |
| 3. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| 4. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड |
| 5. | राजकॉम्प इनफो सर्विसेज लिमिटेड |
| 6. | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड |
| 7. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड |
| 8. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (आरएसजीएसएमएल) |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आरएसजीएसएमएल ने कहा कि चार सदस्यों (एक कार्यकारी एवं तीन गैर-कार्यकारी सदस्य) वाली कार्यकारी समिति एनआरसी के रूप में कार्य कर रही है, तथापि, इसके संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन में कोई उल्लेख नहीं दिया गया था एवं इस तथ्य के समर्थन में कोई भी अभिलेख प्रदान नहीं किया गया था।

अधिनियम 2013, में आगे यह प्रावधान है कि एनआरसी में तीन या उससे अधिक गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए, जिसमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। कंपनी

के अध्यक्ष (कार्यकारी अथवा गैर कार्यकारी) को एनआरसी का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है किन्तु वह इस समिति की अध्यक्षता नहीं करेगा।

18 राजकीय उपक्रमों में गठित एनआरसी के विश्लेषण से उजागर हुआ कि एनआरसी की संरचना (आरआरईसीएल को छोड़कर) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी, जैसा कि तालिका 3.13 में सार प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 3.13: राजकीय उपक्रमों में 31 मार्च 2020 को एनआरसी की संरचना

| क्रम संख्या | राजकीय उपक्रम का नाम | संरचना एवं टिप्पणियाँ |
|-------------|--|--|
| 1. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | तीन गैर कार्यकारी सदस्य, किन्तु कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 2. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | दो गैर कार्यकारी सदस्य एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं। |
| 3. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | अध्यक्ष, डिस्कॉम के अतिरिक्त दो निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 4. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | मात्र एक गैर कार्यकारी सदस्य। |
| 5. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | दो गैर कार्यकारी एवं एक कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 6. | जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 7. | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यों के स्थान पर तीन कार्यकारी एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं। |
| 8. | राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 9. | राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड | निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यों के स्थान पर दो कार्यकारी निदेशक एवं एक गैर कार्यकारी निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं। |
| 10. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 11. | राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड | चार गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 12. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यों के स्थान पर दो गैर कार्यकारी निदेशक एवं एक कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 13. | राजस्थान राज्य स्याह एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | निर्धारित गैर कार्यकारी सदस्यों के स्थान पर तीन गैर कार्यकारी निदेशक एवं एक कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 14. | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | तीन गैर कार्यकारी सदस्य। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 15. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | दो गैर कार्यकारी एवं एक स्वतंत्र निदेशक। स्वतंत्र निदेशक बहुमत में नहीं। |

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | |
|-----|---|---|
| 16. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | केवल एक गैर कार्यकारी निदेशक। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 17. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | केवल एक सदस्य (अध्यक्ष)। कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं। |
| 18. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | दो स्वतंत्र निदेशक सहित तीन गैर-कार्यकारी सदस्य। |

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों ने एनआरसी का गठन करते समय अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

हितधारकों संबंधी समिति

3.18 अधिनियम 2013 की धारा 178 (5) में प्रावधान है कि एक कंपनी जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय पर एक हजार से अधिक शेयरधारक, डिबेंचर-धारक, निक्षेप-धारक एवं किसी अन्य प्रतिभूति धारक हो, का निदेशक मण्डल एक हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष जोकि गैर कार्यकारी निदेशक होगा एवं बोर्ड द्वारा विनिश्चित अन्य सदस्य होंगे। साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 178 (6) में प्रावधान है कि एसआरसी कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों पर विचार करेगी एवं उनका समाधान करेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड, जिसमें 4330 सदस्य थे, ने एसआरसी का गठन (सितंबर 2015) किया था, तथापि, 2019-20 में एसआरसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी क्योंकि इस अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम)

3.19 अधिनियम 2013 की धारा 177(9) सपठित कंपनी (बोर्ड की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 का नियम 7 में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी; जनता से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों, बैंकों एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से ₹50 करोड़ से अधिक उधार लेने वाली कंपनियों को वास्तविक समुत्थानों एवं शिकायतों को प्रतिवेदित करने हेतु अपने निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए सचेतक तंत्र की स्थापना करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2019-20 के दौरान 12¹⁰ राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने ₹ 50 करोड़ अथवा अधिक का उधार लिया था, को व्हिसल ब्लोअर तंत्र (डबल्यूबीएम) की स्थापना करना आवश्यक था। आठ¹¹ राजकीय उपक्रमों में स्थापित डबल्यूबीएम का उनकी लेखापरीक्षा

10 जैसा कि अनुबंध 3.1 के क्रम सं. 1 से 5, 14 से 17, 22, 24, 37 एवं 40 पर वर्णित।

11 जैसा कि अनुबंध 3.1 के क्रम सं. 1 से 5, 16, 22 एवं 40 पर वर्णित।

समितियों द्वारा निरीक्षण किया गया था। तथापि, चार राजकीय उपक्रमों, जैसा कि तालिका 3.14 में दर्शाया गया है, ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र की स्थापना नहीं की थी।

तालिका 3.14: व्हिसल ब्लोअर तंत्र का कार्यान्वयन

| क्रम सं. | राजकीय उपक्रम का नाम |
|----------|---|
| 1. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड |
| 2. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड |
| 3. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड |
| 4. | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड |

स्रोत राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी राजकीय उपक्रम के सचेतक तंत्र में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी, जो यह इंगित करता है कि राजकीय उपक्रमों में स्थापित डबल्यूबीएम के संबंध में पर्याप्त प्रचार नहीं किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका

3.20 आंतरिक लेखापरीक्षक संस्थान (आईआईए) ने आंतरिक लेखापरीक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया है: “एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन एवं परामर्श गतिविधि जिसे मूल्य संवर्द्धन एवं संगठन के संचालन में सुधार हेतु रूपरेखित किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि संगठन में जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण एवं संचालन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन एवं सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायता करती है।” तदनुसार, आंतरिक लेखापरीक्षा की भूमिका यह स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करना है कि संगठन का जोखिम प्रबंधन, अभिशासन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

आईसीएआई द्वारा निर्गमित आंतरिक लेखापरीक्षा को शासित करने वाला ढांचा आंतरिक लेखापरीक्षा को, अभिशासन को प्रोन्नत करने एवं संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता के संबंध में एक निष्पक्ष आश्वासन के रूप में परिभाषित करता है।

विधिक ढांचा

3.21 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (1) सपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का नियम 13 प्रावधान करता है कि (अ) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, (ब) प्रत्येक गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी, जिसकी प्रदत्त अंशपूंजी ₹ 50 करोड़ या अधिक अथवा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान टर्नओवर ₹ दो सौ करोड़ या अधिक अथवा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बिन्दु पर बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से ₹ एक सौ करोड़ या अधिक का बकाया

ऋण या उधारियाँ अथवा ₹ पच्चीस करोड़ से अधिक की बकाया जमा रही है, को कंपनी के कार्यों एवं गतिविधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति करना आवश्यक होगा, जो कि या तो सनदी लेखाकार अथवा लागत लेखाकार हो सकता है अथवा ऐसा अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाये।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 25 राजकीय उपक्रमों, जैसा कि अनुबंध 3.2 में दर्शाया गया है, को आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी थी। इन 25 राजकीय उपक्रमों में से 2¹² राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की थी। साथ ही, राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के लेखे उपलब्ध नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं हो सकी जबकि राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई थी। शेष 21 राजकीय उपक्रमों, जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी, में 14 राजकीय उपक्रमों एवं सात राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा क्रमशः सनदी लेखाकार फर्मों एवं अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी। सनदी लेखाकार फर्मों के अलावा सम्पन्न की गई आंतरिक लेखापरीक्षा को तालिका 3.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.15: राजकीय उपक्रम जिनमें आंतरिक लेखापरीक्षा अन्य आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी

| क्र सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | आंतरिक लेखापरीक्षक |
|---------|---|--|
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 58 इकाइयों में से, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा 17 इकाइयों की व्यय लेखापरीक्षा की गयी थी। |
| 2. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ एवं सीए फर्मों द्वारा |
| 3. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | अन्य ऊर्जा संयंत्रों के आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा |
| 4. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ एवं सीए फर्मों द्वारा |
| 5. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | राजकीय उपक्रम के सीएओ (आंतरिक लेखापरीक्षा) के अधीन कर्मचारियों द्वारा |
| 6. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | राजकीय उपक्रम के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा |
| 7. | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | भारतीय लोक लेखापरीक्षक संस्थान |

स्रोत : राजकीय उपक्रमों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति एवं प्रतिवेदन

3.22 अधिनियम, 2013 की धारा 138 (2) में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार, आंतरिक लेखापरीक्षा को आयोजित किए जाने एवं बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाने के अंतराल एवं तरीके को नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।

12 राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड एवं कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि अभी तक नियमों का निर्धारण नहीं किया गया है (मार्च 2020) अतः राजकीय उपक्रमों में आंतरिक लेखापरीक्षा त्रैमासिक, अर्द्ध-वार्षिक एवं वार्षिक आधार पर आयोजित की गई थी। साथ ही, केवल सात राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को बोर्ड को प्रतिवेदित किया था जबकि शेष राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा समिति, निदेशक (वित्त) इत्यादि के स्तर तक ही प्रतिवेदित किया था, जैसा कि अनुबंध 3.2 में दर्शाया गया है।

अन्य प्रकरण

मुख्यमंत्री सहायता कोष (सीएमआरएफ) में अनियमित योगदान

3.23 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 181 के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल प्रामाणिक धर्मार्थ एवं अन्य निधियों में योगदान दे सकता है बशर्ते कि ऐसे योगदान हेतु कंपनी की साधारण सभा में पूर्व अनुमति आवश्यक है यदि किसी वित्तीय वर्ष में समग्र योगदान तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के पांच प्रतिशत से अधिक है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो कंपनियों ने 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान सीएमआरएफ में सारभूत निधियों का योगदान दिया था जिसे नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

| विवरण | आरएसजीएसएमएल | | आरएसबीसीएल | |
|--|--------------|---------|------------|---------|
| | 2018-19 | 2019-20 | 2018-19 | 2019-20 |
| तत्कालिक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों हेतु कंपनी के औसत शुद्ध लाभ | 51.20 | 55.88 | 23.69 | 29.75 |
| राशि, जिस हेतु बीओडी सीएमआरएफ में योगदान करने के लिए सक्षम था, अर्थात् औसत शुद्ध लाभ का 5% | 2.56 | 2.79 | 1.18 | 1.49 |
| वर्ष के दौरान सीएमआरएफ में राशि का योगदान | 30.00 | 35.00 | 30.00 | 35.00 |

लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनों राजकीय उपक्रमों के निदेशक मंडल ने सीएमआरएफ में योगदानों को अनुमोदित किया था एवं तदनुसार, योगदान कंपनियों की साधारण सभा में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना ही सीएमआरएफ में जमा करवा दिए गए थे। इस प्रकार, दोनों कंपनियों द्वारा सीएमआरएफ में दिए गए योगदान अनियमित थे।

दोनों राजकीय उपक्रमों के प्रबंधन ने उत्तर दिया कि कंपनियों की साधारण सभा में सीएमआरएफ में दिए गये राशि के योगदान हेतु बीओडी के निर्णय की पुष्टि की गई थी।

तथ्य यह है कि सीएमआरएफ में सक्षम राशि से अधिक राशि के योगदान करने के संबंध में साधारण सभा में पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की गई थी, जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का

उल्लंघन था।

निष्कर्ष

कुल 26 राजकीय उपक्रमों जिनमें स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी, 17 राजकीय उपक्रमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की थी जबकि चार राजकीय उपक्रमों में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। साथ ही, संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दो राजकीय उपक्रमों में महिला निदेशक नहीं थी। दो राजकीय उपक्रमों ने साधारण सभा में अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया एवं दोनों राजकीय उपक्रमों द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये गये थे। दो राजकीय उपक्रमों ने कार्यकाल, कार्यों की सूची एवं नियम व शर्तें सम्मिलित नहीं की थी। किसी भी राजकीय उपक्रम ने स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया था। 14 राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों ने या तो बोर्ड की बैठकों में भाग नहीं लिया या कुछ बोर्ड समिति की बैठकों में भाग नहीं लिया था एवं सात राजकीय उपक्रमों के स्वतंत्र निदेशकों ने साधारण सभा में भाग नहीं लिया था। 13 राजकीय उपक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक आयोजित नहीं की गई थी। चार राजकीय उपक्रमों में पूर्णकालीन मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं थे। 16 राजकीय उपक्रमों में बोर्ड की निरन्तर दो बैठकों में 123 दिवस एवं 348 दिवस के मध्य का सारभूत विलंब हुआ था। 21 राजकीय उपक्रमों की लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे एवं 20 राजकीय उपक्रमों में लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, किसी भी राजकीय उपक्रम में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया था। आठ राजकीय उपक्रमों में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था, जबकि 17 राजकीय उपक्रमों में एनआरसी की संरचना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। पाँच राजकीय उपक्रमों में व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था। साथ ही, दो राजकीय उपक्रमों ने आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं की थी।

अनुशांसा

राजस्थान सरकार संबंधित प्रशासनिक विभागों पर दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु दबाव डाल सकती है, जिससे कि राजकीय उपक्रमों द्वारा निगमित अभिशासन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय-IV

निगमित सामाजिक दायित्व

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

प्रस्तावना

4.1 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यवसाय द्वारा अपने व्यावसायिक संचालनों में सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को एकीकृत करने हेतु निरन्तर प्रतिबद्धता है। वैश्विक वातावरण में परिवर्तन दुनिया भर में व्यापार को वित्तीय प्रदर्शन से आगे देखने एवं अपने रणनीतिक प्रबंधन में सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों को एकीकृत करने हेतु तीव्रता से चुनौती दे रहे हैं। सीएसआर की अवधारणा देने और लेने की विचारधारा पर आश्रित है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। सीएसआर गतिविधियों का कार्य करके कंपनियां समाज को कुछ वापस दे रही हैं।



कंपनी अधिनियम 2013 से पूर्व, भारत में सीएसआर पारंपरिक रूप से एक परोपकारी गतिविधि रही है एवं भारतीय परंपरा को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता था कि प्रत्येक कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह कंपनी की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में सक्रिय भूमिका निभाए। सीएसआर पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं, संस्कृति और धर्म से प्रभावित था।

भारत विश्व का प्रथम देश है जिसने अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं अनुसूची VII को लागू कर सीएसआर को अनिवार्य कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं कंपनी सीएसआर नियम 2014 कंपनियों द्वारा सामाजिक व्यय को अधिदेशित तथा विनियमित करते हैं।

विधिक ढांचा:

4.2 कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के विषय से संबंधित है एवं उन कंपनियों के लिए जिन्हें सीएसआर गतिविधियां शुरू करना आवश्यक है, के गत वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य, टर्नओवर एवं शुद्ध लाभ के आधार पर पात्रता मानदंड निर्धारित करती है तथा अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के व्यापक तौर-तरीकों को निर्दिष्ट करती है। कंपनियों द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में जिन गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है, उन्हें अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम की धारा 135 एवं अधिनियम की अनुसूची VII के प्रावधान सरकारी कंपनियों सहित सभी कंपनियों पर लागू है।

| |
|--|
| अधिनियम की धारा 135 में प्रावधान है कि |
| प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा टर्नओवर एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का है बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। <i>प्रावधान है कि यदि धारा 149 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, तब इसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।</i> |
| सीएसआर समिति की संरचना का प्रकटन बोर्ड के प्रतिवेदन में किया जाएगा। |
| सीएसआर समिति (क) कम्पनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाते हुए एक सीएसआर नीति तैयार करेगी एवं बोर्ड को अनुशंसा करेगी (ख) गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय की राशि की अनुशंसा करेगी तथा (ग) कंपनी की सीएसआर नीति की समय-समय पर निगरानी करेगी । |
| कंपनी का बोर्ड (क) सीएसआर समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी की सीएसआर नीति को अनुमोदित करेगा एवं अपने प्रतिवेदन में ऐसी नीति की विषय वस्तु को प्रकट करेगा तथा इसे कंपनी की वेबसाइट, यदि कोई है, पर भी प्रदर्शित करेगा, एवं (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर नीति में सम्मिलित गतिविधियों को कंपनी द्वारा प्रारंभ किया गया है। |
| कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे बशर्ते कि: <i>कंपनी को सीएसआर गतिविधियों हेतु निर्धारित राशि व्यय करने के लिए स्थानीय क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्रों, जहां यह संचालित होती है, को वरीयता देगी।</i> |

यदि कंपनी ऐसी राशि को व्यय करने में विफल रहती है, तो बोर्ड अपने प्रतिवेदन में राशि व्यय नहीं करने के कारणों को निर्दिष्ट करेगा।

अधिनियम, अर्हता प्राप्त कंपनियों के लिए सीएसआर गतिविधियों पर तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार गठना) का कम से कम 2 प्रतिशत वार्षिक व्यय करना अनिवार्य बनाता है। तदनुसार वर्ष 2019-20 हेतु, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लाभ पर विचार किया जाना चाहिए था। अधिनियम के अन्तर्गत सीएसआर के प्रावधानों की अनुपालना अर्थात् सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति तैयार करना एवं सीएसआर गतिविधियों पर निर्धारित राशि व्यय करना अप्रैल 2014 से लागू हो गया था। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (भारत सरकार) ने सीएसआर नियम, 2014 को अधिसूचित किया जिसमें सीएसआर गतिविधियों की निगरानी, निष्पादन एवं प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण का प्रावधान है। यह नियम भी अप्रैल, 2014 से लागू हो गये थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

4.3 राजकीय उपक्रमों की सीएसआर गतिविधियों की अनुपालना लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या अधिनियम एवं कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की गई थी। राजकीय उपक्रमों के प्रयासों का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मुद्दों को देखा:

- क्या सीएसआर समिति के गठन, नीति के निर्माण एवं अनुपालना से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है;
- क्या विनिर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है;
- क्या सीएसआर के तहत परियोजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है; एवं
- क्या प्रतिवेदन एवं प्रकटीकरण से संबंधित प्रावधानों की अनुपालना की गई है।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं विस्तार

4.4 राज्य के कुल 42 राजकीय उपक्रमों में से, 20 राजकीय उपक्रमों को, जैसा कि अनुबंध 4.1 में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 में धारा 135 (1) के अनुसार सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था। इन 20 राजकीय उपक्रमों में से 14 राजकीय उपक्रमों को, जिनमें धारा 198 के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के आधार पर

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटन योग्य लाभ थे, को विस्तृत जांच के लिए चुना गया। शेष छह¹ राजकीय उपक्रमों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई आवंटन योग्य लाभ नहीं था। इसके अतिरिक्त, इन छह राजकीय उपक्रमों में से दो राजकीय उपक्रमों यथा एक राजकीय उपक्रम² जिसमें पूर्व वर्षों की राशि को अग्रणीत किया गया एवं एक राजकीय उपक्रम³ जिसमें वर्ष के दौरान सीएसआर पर व्यय किया गया, की भी समीक्षा की गई थी।

लेखापरीक्षा मानदंड

4.5 लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मानदंडों के समक्ष किया गया था:

- अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची VII में निहित तथा मार्च 2019 तक संशोधित प्रावधान; एवं
- कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के प्रावधान।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.6 राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर समिति के गठन, नीति निर्माण व अनुपालना, सीएसआर गतिविधियों का नियोजन व निष्पादन एवं निगरानी व प्रतिवेदन के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना पर लेखापरीक्षा परिणामों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

नियोजन

सीएसआर समिति का गठन

4.7 कंपनी अधिनियम की धारा 135 (1) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा टर्नओवर एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक अथवा शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक का है बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए बशर्ते⁴ कि यदि धारा 149 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत किसी कंपनी को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है, तब इसकी सीएसआर समिति में दो या अधिक निदेशक होंगे।

1 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

2 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

3 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

4 कंपनी संशोधन अधिनियम 2017 में सम्मिलित परन्तुक, 19.09.2018 से प्रभावी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, सभी 20 राजकीय उपक्रमों, जिन्हें सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था, ने अनुबंध 4.1 में दर्शाई गई तिथियों को सीएसआर समिति का गठन किया। साथ ही, इन सभी 20 राजकीय उपक्रमों में, दो राजकीय उपक्रमों अर्थात् आरआरवीयूएनएल तथा जेवीवीएनएल के अतिरिक्त, जैसी भी दशा हो, उनकी सीएसआर समिति में न्यूनतम 2 या 3 निदेशक हैं। अधिनियम की धारा 135 (1) एवं (3) के अनुसार बोर्ड एवं सीएसआर समिति की भूमिका नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई है:



समिति में स्वतंत्र निदेशक

4.8 अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए, यदि राजकीय उपक्रम को कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करनी आवश्यक है।

सभी 20 राजकीय उपक्रमों, तीन⁵ राजकीय उपक्रम जो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं के अतिरिक्त, को अपनी सीएसआर समिति में एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 17 राजकीय उपक्रमों में से मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने 31 मार्च 2020 तक इस प्रावधान की अनुपालना की थी। 31 मार्च 2020 को सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की स्थिति अनुबंध 4.1 में दर्शायी गई है।

5 राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कंपनी लिमिटेड, राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड एवं बाड़मेर लिग्नाइट स्ननन कंपनी लिमिटेड।

सीएसआर नीति का निर्धारण

4.9 अधिनियम की धारा 135 (3) (अ) के अनुसार, सीएसआर समिति एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति, जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ इंगित होंगी, का निर्धारण करेगी एवं बोर्ड को अनुशंसा करेगी। इसके अतिरिक्त, सीएसआर नियम, 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि कंपनी की सीएसआर नीति में, अन्य बातों के साथ साथ, (अ) अधिनियम की अनुसूची VII के दायरे में आने वाली परियोजनाओं अथवा कार्यक्रम, जिन्हें कंपनी द्वारा लिए जाने की योजना है, की सूची, ऐसी परियोजना अथवा कार्यक्रमों को निष्पादित किए जाने के तौर-तरीके एवं इनके क्रियान्वयन की सारणी एवं (ब) ऐसी परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नियम में आगे प्रावधान है कि कंपनी की सीएसआर नीति यह निर्दिष्ट करेगी कि सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष कंपनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम यथा राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड 31 मार्च 2020 तक सीएसआर नीति निर्धारित नहीं कर सका क्योंकि इस पर धारा 135 (1) के प्रावधान पहली बार 2019-20 में लागू हुये थे। शेष 19 राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने सीएसआर नीति निर्धारित की थी, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड जिसने निगरानी ढांचा शामिल नहीं किया था जबकि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) में सीएसआर गतिविधियों से अधिशेष के प्रबंधन से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं किया था, के अतिरिक्त, ने अपनी सीएसआर नीति में सभी आवश्यक क्षेत्रों को सम्मिलित किया था।

वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट

4.10 सीएसआर समिति की भूमिका, बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों एवं वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करना है; जबकि बोर्ड को सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होता है। इसमें सीएसआर गतिविधि का नियोजन एवं अनुमोदन तथा बजट पर जोर दिया जाता है। एक सर्वोत्तम प्रथा के रूप में, प्रस्तावित सीएसआर परियोजनाओं तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे कि अंतिम तिमाही में निधियों को समाप्त करने की कोई शीघ्रता ना हो। इसके अतिरिक्त इससे वित्तीय वर्ष में धनराशि का पूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सात⁶ राजकीय उपक्रम अपनी वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट को सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं करा सके। तथापि, दो राजकीय

6 आरआरवीयूएनएल, आरएसबीसीएल, आरएसजीएल, आरआईएसएल, आरएफएण्डसीएससीएल आरआरवीपीएनएल एवं आरएसएमएमएल

उपक्रमों⁷ के वैयक्तिक परियोजना प्रस्तावों को उनके बोर्ड द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान की गई थी। शेष नौ कंपनियों के संबंध में वार्षिक सीएसआर योजना के साथ-साथ बजट अनुमोदन की स्थिति का विवरण नीचे तालिका 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.1 वार्षिक सीएसआर योजना एवं बजट के अनुमोदन की स्थिति

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | सीएसआर समिति का अनुमोदन | बोर्ड का अनुमोदन |
|----------|--|-------------------------|------------------|
| 1. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | अनुमोदित नहीं | 11.05.2020 |
| 2. | राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 13.03.2020. | 11.05.2020 |
| 3. | राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 30.08.2019 | 09.10.2019 |
| 4. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | 30.01.2020 | 30.01.2020 |
| 5. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 22.01.2020 | 26.05.2020 |
| 6. | राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 06.12.2019 | 18.03.2020 |
| 7. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 22.09.2020 | 24.09.2020 |
| 8. | बाड़मेर लिग्नाइट स्वनन कंपनी लिमिटेड | अनुमोदित नहीं | 24.03.2020 |
| 9. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 19.03.2020 | 12.05.2020 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

यह देखा जा सकता है कि दो राजकीय उपक्रमों (क्र.सं.1 एवं 8) की सीएसआर समिति ने वर्ष 2019-20 की वार्षिक योजना/बजट को अनुमति नहीं दी थी, तथापि इसे बोर्ड द्वारा अनुमति दे दी गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पांच राजकीय उपक्रमों (क्र.सं.1, 2, 5, 7 एवं 9) के बोर्ड ने वर्ष 2020-21 में वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक योजना/बजट को अनुमोदित किया जबकि दो राजकीय उपक्रमों (क्र.सं 4 एवं 8) की वार्षिक योजना/बजट को उनके बोर्ड ने वर्ष 2019-20 की चतुर्थ तिमाही में अनुमति दी थी।

इस प्रकार, राजकीय उपक्रम सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक योजना/बजट की स्वीकृति प्राप्त करने में तत्पर नहीं थे।

7 आरआरवीपीएनएल एवं आरएसएमएमएल

वित्तीय घटक

निधियों का आवंटन एवं उपयोग

4.11 अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार) का कम से कम दो प्रतिशत व्यय करे।

तदनुसार, 14 राजकीय उपक्रमों के संबंध में अधिनियम की धारा 198 के अनुसार औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत की गणना ₹ 1181.64 लाख थी। तथापि राजकीय उपक्रमों ने ₹ 1158.84 लाख आवंटित किये, जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: चालू वर्ष हेतु निधियों का आवंटन तथा उपयोग

| क्र.सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | पात्र राशि (औसत शुद्ध लाभ का 2%) | आवंटित राशि | व्यय की गई राशि | अव्ययित राशि |
|---------|--|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|
| | | (राशि:- ₹ लाख में) | | | |
| 1. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 44.51 | 44.51 | 44.51 | 0.00 |
| 2. | राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 25.54 | 25.54 | 25.54 | 0.00 |
| 3. | राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड | 59.84 | 59.84 | 0.00 | 59.84 |
| 4. | राजस्थान मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड | 37.12 | 14.55 | 17.63 | 19.49 |
| 5. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | 13.16 | 13.16 | 0.00 | 13.16 |
| 6. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 107.20 | 107.20 | 107.20 | 0.00 |
| 7. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 323.85 | 323.85 | 55.50 | 268.35 |
| 8. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 51.00 |
| 9. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड | 390.88 | 390.88 | 193.26 | 197.62 |
| 10. | बाड़मेर लिग्नाइट खनन कंपनी लिमिटेड | 54.35 | 54.35 | 54.35 | 0.00 |
| 11. | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड | 1.17 | 12.92 | 0.00 | 1.17 |
| 12. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 24.13 | 24.13 | 0.00 | 24.13 |
| 13. | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 16.62 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | आपूर्ति निगम लिमिटेड | | | | |
| 14. | राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड | 32.27 | 20.29 | 0.00 | 32.27 |
| | योग | 1181.64 | 1158.84 | 497.99 | 683.65 |

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर संकलित

राजकीय उपक्रमों के गत तीन वर्षों के शुद्ध लाभों, आवंटन योग्य राशि एवं वास्तविक आवंटित राशि के विश्लेषण ने प्रकट किया कि दो राजकीय उपक्रमों (क्रम सं. 4 एवं 14) ने ₹ 34.55 लाख कम आवंटित किये जबकि एक राजकीय उपक्रम (क्रम सं. 11) ने ₹ 11.75 लाख का अधिक आवंटन किया क्योंकि इसने पूर्व वर्षों (2016-17 एवं 2017-18) की हानियों को ध्यान में नहीं रखा था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारित दो प्रतिशत राशि ₹ 1181.64 लाख के समक्ष ₹ 497.99 लाख व्यय किये गये थे जबकि वर्ष के दौरान ₹ 683.65 लाख अव्ययित रहे। आगे यह भी देखा गया था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में मात्र चार राजकीय उपक्रमों (क्रम सं. 1, 2, 6 एवं 10) ने सीएसआर निधियों का पूर्ण उपयोग किया था जबकि तीन राजकीय उपक्रमों (क्रम सं. 4, 7 एवं 9) ने राशि का आंशिक उपयोग किया था। साथ ही, शेष सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधि की कोई राशि व्यय नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, आरआरवीयूएनएल के पास संचित हानियों के कारण वर्ष के दौरान आवंटन योग्य लाभ नहीं था, तथापि इसने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 247.54 लाख का व्यय किया।

अव्ययित राशि का उपयोग

4.12 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के स्पष्टीकरण (12 जनवरी, 2016) के अनुसार, बोर्ड यह निश्चित करने हेतु स्वतंत्र है कि क्या सीएसआर निधि की न्यूनतम अव्ययित राशि को अगले वर्ष में अग्रणीत किया जाये। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजकीय उपक्रमों ने पिछले वर्षों की अव्ययित राशि को अग्रणीत करने अथवा नहीं करने के संबंध में विशिष्ट निर्णय नहीं लिया था।

तालिका 4.3: अव्ययित सीएसआर राशि वाले राजकीय उपक्रम

| क्र.सं. | विवरण | 2018-19 से अग्रणीत | 2019-20 में व्यय ⁸ | अव्ययित राशि |
|---------|---|--------------------|-------------------------------|--------------|
| | | (राशि: ₹ लाख में) | | |
| 1. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 48.04 | 47.49 | 0.55 |
| 2. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 734.05 | 536.64 | 197.41 |
| 3. | राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 18.08 | 17.22 | 0.86 |
| 4. | राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 26.11 | 0.00 | 26.11 |

8 वर्तमान वर्ष में 2 प्रतिशत राशि से अधिक व्यय की गई राशि को अग्रणीत की गई राशि के विरुद्ध माना गया है।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| | | | | |
|----|--|----------------|---------------|----------------|
| 5. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | 35.48 | 0.00 | 35.48 |
| 6. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्नानिज लिमिटेड | 1716.26 | 0.00 | 1716.26 |
| 7. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 34.66 | 0.00 | 34.66 |
| 8. | राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड | 119.23 | 0.00 | 119.23 |
| | कुल | 2731.91 | 601.35 | 2130.56 |

स्रोत:- राजकीय उपक्रमों द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर संकलित

आठ राजकीय उपक्रमों ने पूर्व वर्ष (2018-19) की अव्ययित राशि ₹ 2731.91 लाख को अग्रणीत किया था, जिसमें से ₹ 2130.56 लाख को अव्ययित छोड़ते हुए मात्र ₹ 601.35 लाख की राशि वित्त वर्ष 2019-20 में तीन राजकीय उपक्रमों द्वारा व्यय की गई थी। पांच राजकीय उपक्रम अग्रणीत राशि में से कोई भी व्यय करने में विफल रहे थे।

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित आठ राजकीय उपक्रमों के अतिरिक्त, एक राजकीय उपक्रम यथा रीको की अव्ययित राशि ₹ 753.93 लाख थी जो कि 2018-19 से अग्रणीत की गई थी। रीको की सीएसआर समिति ने निर्णय लिया (13 अगस्त 2019) कि वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित व्यय में अग्रणीत की गई राशि सम्मिलित होगी। तत्पश्चात, निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति में संशोधन किया (22 नवम्बर 2019) जिसमें प्रावधान किया गया कि किसी विशेष वर्ष के अव्ययित/अप्रयुक्त सीएसआर आवंटन को आगामी वर्ष में अग्रणीत किया जाएगा एवं इसका उपयोग कंपनी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि रीको की सीएसआर समिति ने 2019-20 के बजट को अनुमोदित करते समय (6 दिसंबर 2019) पूर्ववर्ती तीन वर्षों की मात्र दो प्रतिशत राशि अर्थात् ₹ 323.85 लाख को ध्यान में रखा व इस ओर स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दिया गया कि अव्ययित राशि को अग्रणीत किया गया है अथवा नहीं, जिसे निदेशक मंडल ने 18 मार्च 2020 को आयोजित अपनी बैठक में भी दर्ज किया था। साथ ही, रीको ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मात्र ₹ 55.50 लाख व्यय किये थे।

अव्ययित राशि का लेखांकन

4.13 आईसीएआई द्वारा सीएसआर के लेखांकन पर जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार, अव्ययित राशि को बोर्ड के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया जाना है एवं अव्ययित राशि हेतु स्वातो में कोई प्रावधान नहीं किया जाना है। तथापि, यदि किसी कंपनी ने पूर्व में ही सीएसआर गतिविधि प्रारंभ कर दी है जिसके लिए संविदात्मक देयता उत्पन्न हो गई है तो वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधि को जिस सीमा तक पूर्ण किया गया था, उतनी राशि हेतु पुस्तकों में प्रावधान करना आवश्यक है।


लेखापरीक्षा में देखा गया कि आरएसजीएल ने अव्ययित राशि हेतु ₹ 35.00 लाख (निर्धारित राशि ₹ 12.91लाख) का प्रावधान किया था। रीको ने प्रतिबद्धता के आधार पर ₹ 272.00

लाख का प्रावधान किया था यद्यपि 31 मार्च 2020 तक कोई संविदात्मक देयता उत्पन्न नहीं हुई थी। आरआईएसएल ने सीएसआर के लिए ₹ 140.52 लाख का संचय का निर्माण किया जिसमें वर्ष 2019-20 के लिए हस्तांतरित ₹ 20.29 लाख भी सम्मिलित थे। इससे पूर्व कंपनी वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक सीएसआर देयता हेतु प्रावधान कर रही थी जिसे भी संचय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अव्ययित राशि के इस तरह के लेखांकन व्यवहार ने सीएसआर के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट का उल्लंघन किया।

तिमाही-वार व्यय

4.14 वर्ष 2019-20 के दौरान नौ राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर गतिविधियों पर व्यय किया। जिनमें से आरआरवीयूएनएल द्वारा तिमाही वार व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया था जबकि आरएमएससीएल ने उसके द्वारा किए गए व्यय का आंशिक विवरण ही उपलब्ध कराया था। शेष राजकीय उपक्रमों द्वारा किए गए व्यय का तिमाही-वार विवरण **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है:


चार्ट 4.1: तिमाही-वार व्यय



यह देखा जा सकता है कि अंतिम तिमाही में सीएसआर निधि को व्यय करने की तीव्रता थी। दो राजकीय उपक्रमों ने यथा आरआरईसीएल और आरएसडीसीएल ने केवल अंतिम तिमाही में व्यय किया था जबकि आरआरवीपीएनएल ने अंतिम तिमाही में अत्यधिक व्यय (₹ 476.64 लाख) किया था। साथ ही, मात्र दो राजकीय उपक्रमों ने यथा आरएसएमएमएल एवं बीएलएमसीएल ने ही चारों तिमाहियों में व्यय किया था।

सर्वाधिक व्यय करने वाले

4.15 नौ राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय ₹ 1346.88 लाख था। चार्ट दर्शाता है कि आरआरवीपीएनएल शीर्ष व्यय करने वाला था, जिसके पश्चात आरआरवीयूएनएल, आरएसएमएमएल एवं आरएसजीएसएमएल थे। वर्ष 2019-20 के दौरान इन चारों राजकीय उपक्रमों ने ₹ एक करोड़ से अधिक व्यय किए।



सीएसआर व्यय की सीमा

4.16 16 राजकीय उपक्रमों द्वारा 2019-20 के दौरान व्यय की गई राशि के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि चार राजकीय उपक्रमों ने ₹ एक करोड़ से अधिक व्यय किए, पांच राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर गतिविधियों पर ₹ एक करोड़ तक व्यय किए जबकि सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर गतिविधियों पर कोई राशि व्यय नहीं की थी जिसे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: कंपनियों द्वारा व्यय की गई सीएसआर राशि की सीमा

| विवरण | व्यय की गई राशि की सीमा | | |
|---------------------------|--|--|---|
| | ₹ एक करोड़ से अधिक व्यय की गई राशि | ₹ एक करोड़ तक व्यय की गई राशि | कोई राशि व्यय नहीं |
| राजकीय उपक्रमों की संख्या | 4 | 5 | 7 |
| राजकीय उपक्रमों का नाम | 1. आरआरवीयूएनएल 2. आरआरवीपीएनएल 3. आरएसजीएसएमएल 4. आरएसएमएमएल | 1. आरआरईसीएल 2. आरएसडीसीएल 3. आरएमएससीएल 4. रीको 5. बीएलएमसीएल | 1. आरएसबीसीएल 2. आरएसपीएफएंडएफएससीएल 3. आरएसआरडीसीएल 4. आरएसजीएल 5. आरएसएफएंडसीएससीएल 6. आरएसएससीएल 7. आरआईएसएल |

क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

4.17 वर्ष 2019-20 के लिए 16 राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर किये गये व्यय का क्षेत्रवार विश्लेषण को तालिका 4.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.5: वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर पर क्षेत्रवार व्यय

| क्षेत्र का नाम | राजकीय उपक्रमों की संख्या | सीएसआर पर व्यय करने वाले राजकीय उपक्रमों की संख्या | व्यय की गई राशि (₹ लाख में) |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| ऊर्जा एवं पॉवर | 5 | 4 | 918.94 |
| उद्योग एवं वाणिज्य | 3 | 3 | 303.11 |
| कृषि स्वाद्य एवं संबद्ध उद्योग | 2 | - | 0.00 |
| वित्त | 3 | 1 | 107.20 |
| स्वास्थ्य और कल्याण | 1 | 1 | 17.63 |
| लोक निर्माण | 1 | - | 0.00 |
| सूचना तकनीक एवं संचार | 1 | - | 0.00 |
| कुल | 16 | 9 | 1346.88 |

स्रोत: राजकीय उपक्रमों की गई से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

यह देखा जा सकता है कि तीन क्षेत्रों में सम्मिलित चार राजकीय उपक्रम वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटन योग्य लाभ होने के पश्चात भी सीएसआर गतिविधियों पर कोई भी व्यय करने में विफल रहे थे। इसी प्रकार ऊर्जा एवं पॉवर क्षेत्र के तहत एक राजकीय उपक्रम एवं वित्त क्षेत्र के तहत दो राजकीय उपक्रम कोई भी व्यय करने में विफल रहे थे।

नकारात्मक शुद्ध लाभ वाले राजकीय उपक्रम

4.18 कुल 20 राजकीय उपक्रमों में से, चार राजकीय उपक्रमों यथा; अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के औसत शुद्ध लाभ नकारात्मक रहे थे इसलिए इन राजकीय उपक्रमों ने कोई सीएसआर गतिविधियां नहीं की थी।

प्रशासनिक उपरिव्यय

4.19 सीएसआर नियम 7 (1) के अनुसार, बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक उपरिव्यय कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे चाहिए। साथ ही, राजकीय उपक्रम कम से कम तीन वित्तीय वर्षों में संस्थापित उपलब्धि रखने वाले संस्थानों के माध्यम से अपने स्वयं के कार्मिकों के साथ-साथ अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों की सीएसआर क्षमताओं का निर्माण कर सकते हैं, किन्तु ऐसा व्यय एक वित्तीय वर्ष में कंपनी के कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी राजकीय उपक्रम ने अपने स्वयं के कार्मिकों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्मिकों की सीएसआर क्षमता का निर्माण नहीं किया था एवं इस प्रकार प्रशासनिक उपरिव्यय पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

सीएसआर परियोजनाओं से अधिशेष

4.20 सीएसआर नियम 7 (2) के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष एक कंपनी के व्यावसायिक लाभ का भाग नहीं होना चाहिए एवं उसे वापस उसी परियोजना में लगाया जाना चाहिए अथवा अव्ययित सीएसआर स्वाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए तथा कंपनी की सीएसआर नीति एवं वार्षिक कार्य योजना की अनुपालना में व्यय किया जाना चाहिए अथवा ऐसी अधिशेष राशि को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से छः माह की अवधि के भीतर अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

आरआरवीयूएनएल के अतिरिक्त सभी राजकीय उपक्रमों ने उनकी सीएसआर नीति में निर्दिष्ट किया था कि सीएसआर परियोजनाओं से कोई भी अधिशेष कंपनी के लाभ का हिस्सा नहीं होगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रारम्भ की गई किसी भी परियोजना में अधिशेष नहीं बचा था।

परियोजना कार्यान्वयन

सीएसआर परियोजनाओं एवं गतिविधियों का चयन

4.21 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं आंकलन किया जाना: सीएसआर की सीमा में आने वाले 20 राजकीय उपक्रमों में से, नौ राजकीय उपक्रमों ने 2019-20 के दौरान सीएसआर पर व्यय किया। तथापि, किसी भी राजकीय उपक्रम ने वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर परियोजना/गतिविधि को चिन्हित करने हेतु बेसलाइन सर्वेक्षण एवं आवश्यकता निर्धारण के संबंध में अध्ययन नहीं किया था।

4.22 अनुसूची VII एवं सीएसआर नियमों के अनुसार व्यय - अधिनियम की धारा 135 (3) (क) में प्रावधान है कि सीएसआर नीति अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा प्रारंभ की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगी। छः गतिविधियों पर किये गये व्यय की राशि ₹ 250.80 लाख अनुसूची VII के साथ साथ सीएसआर, नियमों के अनुसार नहीं थी, जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है:

- i. लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएसजीएसएमएल ने इसकी सीएसआर नीति तैयार की (जून 2015) जिसमें राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) में योगदान को सीएसआर गतिविधियों के तहत सम्मिलित किया गया था। तदनुसार, इसने वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीएसआर के अंतर्गत क्रमशः ₹ 93.93 लाख एवं ₹ 96.80 लाख सीएमआरएफ में हस्तांतरित किये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीएसआर गतिविधियों हेतु सीएमआरएफ में दिया गया अंशदान अधिनियम की अनुसूची VII के अंतर्गत उपयुक्त नहीं था। अतः सीएमआरएफ में निधियों के योगदान संबंधी नीति प्रावधान के साथ-साथ सीएमआरएफ में किया गया योगदान अधिनियम के

प्रावधानों के उल्लंघन में था।

आरएसजीएसएमएल ने कहा (अप्रैल 2021) कि सीएमआरएफ में किया गया योगदान एमसीए के परिपत्र (जून 2014) के अनुसरण में था जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि अनुसूची VII में दी गई प्रविष्टियों का विवेचन उदारता से किया जाना चाहिए जिससे कि उक्त अनुसूची में वर्णित विषय के सार को ग्रहण किया जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उक्त परिपत्र यद्यपि अनुसूची VII में दी गई प्रविष्टियों का विवेचन उदारता से किए जाने की व्याख्या करता है परन्तु न तो अनुसूची VII न ही उक्त परिपत्र सीएमआरएफ में योगदान किए जाने को अनुमत्य करता है। अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत सीएमआरएफ में किया गया योगदान सीएसआर गतिविधियों हेतु योग्य नहीं था। इसे कारपोरेट कार्यों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 अप्रैल 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 15/2020 में पुनः स्पष्ट किया गया था जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सम्मिलित नहीं है एवं इसलिए ऐसी निधि में कोई योगदान स्वीकार्य सीएसआर व्यय के रूप में मान्य नहीं होगा।

- ii. लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि निम्नलिखित राजकीय उपक्रमों ने भी उन गतिविधियों पर व्यय किया जो अधिनियम की अनुसूची VII में सम्मिलित नहीं थे:

| राजकीय उपक्रम का नाम | गतिविधि | व्यय की गई राशि (₹ लाख में) |
|----------------------|--|-----------------------------|
| आरआरवीयूएनएल | सड़क निर्माण, अवसंरचना विकास कार्य, कृषि कनेक्शन | 42.00 |
| आरआरवीयूएनएल | टाइल्स की इंटरलॉकिंग के साथ सीसी रोड फुटपाथ | 75.00 |
| आरएसएमएमएल | सरकारी भवनों, पुलिस लाइन आदि में मरम्मत कार्य. | 20.00 |
| आरएसएमएमएल | अन्वेषण भवन हेतु इलेक्ट्रॉनिक मर्दों का प्रापण | 10.00 |
| रीको | पुलिस थाना का निर्माण | 7.00 |

सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन का तरीका

4.23 कंपनी (सीएसआर) नियम, 2014 का नियम 4 विशेष रूप से धारा 135 (1) के तहत सीएसआर गतिविधि को किए जाने के तरीके से संबंधित हैं। बोर्ड किसी पंजीकृत ट्रस्ट/सोसायटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के तहत कंपनी द्वारा स्थापित किसी कंपनी या उसकी सूत्रधारी या सहायक कंपनी अथवा सहयोगी कंपनी के माध्यम से अथवा अन्यथा, सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर गतिविधियों को प्रारंभ करने का निर्णय ले सकता है।

प्रत्यक्ष/संस्थागत: राजकीय उपक्रमों द्वारा कुल आठ परियोजनाओं को प्रत्यक्ष रूप से/संस्थागत रूप से कार्यान्वित किया गया था। साथ ही, किसी भी राजकीय उपक्रम ने सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन करने हेतु स्वयं का ढांचा स्थापित नहीं किया था।

बाह्य एजेन्सियाँ: 34 परियोजनाओं का निष्पादन सरकारी/बाह्य एजेन्सियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटी आदि के माध्यम से किया गया था।

ध्यानाकर्षण क्षेत्र

4.24 अधिनियम की अनुसूची VII में 12 प्रमुख गतिविधियों/क्षेत्रों का प्रावधान है जिन पर सीएसआर व्यय किया जा सकता है। राजकीय उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों/क्षेत्रों पर किये गये व्यय, ऐसे व्यय को छोड़कर जो अनुसूची VII के अनुसार नहीं था, को **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है-

तालिका संख्या 4.6: सीएसआर गतिविधियों के लिए ध्यानाकर्षण क्षेत्र

| क्षेत्र | परियोजनाओं/गतिविधि की संख्या | व्यय की गई राशि (₹ लाख में) |
|----------------|------------------------------|-----------------------------|
| स्वास्थ्य सेवा | 16 | 772.18 |
| शिक्षा | 12 | 152.93 |
| पर्यावरण | 5 | 54.97 |
| विरासत | 1 | 5.00 |

यह देखा जा सकता है कि अधिकतम व्यय स्वास्थ्य सेवा गतिविधियों पर किया गया था जबकि, शिक्षा क्षेत्र ने दूसरी वरीयता प्राप्त की।

स्थानीय क्षेत्र

4.25 अधिनियम की धारा 135 (5) में प्रावधान है कि कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए निर्धारित राशि व्यय करने में स्थानीय क्षेत्र एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों को वरीयता देगी जहां कि यह संचालित होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सभी नौ राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने 2019-20 के दौरान सीएसआर पर व्यय किया, ने अपनी सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को परिभाषित किया था। इनमें से अधिकांश राजकीय उपक्रमों ने स्थानीय क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया है जिसमें कंपनी संचालित होती है या स्थानीय आबादी क्षेत्र है। आरआरवीयूएनएल ने विशिष्ट रूप से अपने विद्युतगृह के आस-पास के स्थानीय समुदाय के विकास को निर्दिष्ट किया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2019-20 के दौरान समस्त कंपनियों द्वारा किया गया व्यय उनकी नीति में परिभाषित किये गये स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित है।

भारत/राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/परियोजनाओं का वित्तपोषण

4.26 भारत सरकार (जीओआई) के साथ-साथ राजस्थान सरकार (जीओआर) ने समाज के लाभ हेतु विभिन्न योजनाएं एवं परियोजनाएं आरंभ की थीं। राजकीय उपक्रम अधिनियम की अनुसूची VII की शर्तों के अंतर्गत सीएसआर के तहत ऐसी योजनाओं/परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र थे, अर्थात् यह उसमें उल्लेखित बारह व्यापक

श्रेणियों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता, राष्ट्रीय विरासत की सुरक्षा, सशस्त्र बलों हेतु उपाय, ग्रामीण विकास, मलिन क्षेत्र विकास एवं आपदा प्रबंधन के तहत होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि किसी भी राजकीय उपक्रम ने भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/परियोजनाओं का वित्तपोषण नहीं किया था।

निगरानी तंत्र

4.27 सीएसआर नियम (2014) के नियम 5 (2) के अनुसार, कंपनी द्वारा आरंभ की गई सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु सीएसआर समिति को एक पारदर्शी निगरानी तंत्र का गठन करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि समस्त 19 राजकीय उपक्रमों, आरएसआरडीसीसीएल को छोड़कर, जिन्होंने सीएसआर नीति बनाई थी ने अपनी सीएसआर नीति में निगरानी तंत्र को परिभाषित किया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि राजकीय उपक्रमों ने एक निर्दिष्ट अंतराल पर सीएसआर समिति की नियमित बैठक करवाए जाने हेतु तंत्र विकसित नहीं किया था। साथ ही, सात राजकीय उपक्रमों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सीएसआर समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की थी जबकि 11 राजकीय उपक्रमों द्वारा इस अवधि के दौरान मात्र एक बैठक आयोजित की गई थी। आरआरवीपीएनएल तथा रीको ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान क्रमशः दो एवं तीन बैठकें आयोजित कीं थीं।

प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण

4.28 अधिनियम की धारा 135 (2) एवं (4) सपठित धारा 134 (3) (ण) के अनुसार, एक कंपनी को अपने बोर्ड के प्रतिवेदन में सीएसआर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन को सम्मिलित करना एवं इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करना आवश्यक होता है। कंपनियों को निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित को प्रकट करना आवश्यक है:

1. सीएसआर नीति के अवयव, सीएसआर नीति का वेब लिंक, औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर समिति की संरचना, प्रशासनिक उपरिव्यय, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि, अव्ययित राशि के कारणों का उल्लेख।
2. सीएसआर समिति द्वारा हस्ताक्षरित एक दायित्व विवरण जिसमें उल्लेख हो कि सीएसआर नीति का क्रियान्वयन एवं निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्य एवं नीति के अनुसार था।

सीएसआर नियम 2014 के नियम 8 में प्रावधान है कि इन नियमों के तहत एक कंपनी के बोर्ड के प्रतिवेदन में सीएसआर पर एक वार्षिक प्रतिवेदन अनुबंध में निर्दिष्ट विवरणों के साथ सम्मिलित करना होगा। साथ ही, नियम 9 में प्रावधान है कि कंपनी का निदेशक मंडल सीएसआर समिति की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, कंपनी हेतु सीएसआर नीति का अनुमोदन करेगा एवं ऐसी नीति के अवयवों को अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित करेगा तथा इसे

कंपनी की वेबसाइट पर, यदि कोई है, अनुबंध में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्टों की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ उजागर हुईं:

- एवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल द्वारा सीएसआर नीति का संक्षिप्त वर्णन उल्लेखित नहीं किया गया था।
- आरएसबीसीएल, जेएमआरसीएल एवं आरएसएससीएल ने गत तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ, सीएसआर नीति/परियोजनाओं के वेब-लैंक, अव्ययित राशि के कारणों आदि को उल्लेखित नहीं किया था।
- आरएसएमएमएल द्वारा सीएसआर समिति की संरचना एवं अव्ययित राशि के प्रारम्भिक शेष को उल्लेखित नहीं किया गया था।
- आरएसएससीएल द्वारा सीएसआर पर पृथक प्रतिवेदन नहीं दिया गया था।
- आरएसएससीएल, आरएफसीएससीएल, आरएसएमएमएल, आरआरवीयूएनएल, एवीवीएनएल, जेवीवीएनएल, जेडीवीवीएनएल, आरएसबीसीएल एवं जेएमआरसीएल द्वारा उत्तरदायित्व विवरण या तो सम्मिलित नहीं किया अथवा हस्ताक्षरित नहीं था।
- आरएसडीसीएल, आरएसबीसीएल, आरएसएससीएल एवं आरएफसीएसएल ने प्रतिवेदन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया था।

निष्कर्ष

समस्त 20 राजकीय उपक्रमों, जिन्हें सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था, ने सीएसआर कमेटी का गठन किया था। कुल 17 राजकीय उपक्रमों में से (तीन राजकीय उपक्रम जो कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियाँ थे, को छोड़कर) मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर समिति में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होने के प्रावधान का पालन किया था।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा बनाई गई सीएसआर नीतियों में कुछ कमियाँ थी जैसा कि उनमें क्रमशः निगरानी तंत्र एवं सीएसआर गतिविधियों हेतु अधिशेष के व्यवहार से संबंधित प्रावधान सम्मिलित नहीं थे। साथ ही, सात राजकीय उपक्रम अपनी वार्षिक सीएसआर योजना तथा बजट सीएसआर कमेटी के माध्यम से बोर्ड द्वारा अनुमोदित नहीं करवा सके थे। सीएसआर गतिविधियों हेतु निधियों के कम/अधिक आवंटन के मामले सामने आए थे। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मात्र चार राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग किया था जबकि तीन राजकीय उपक्रमों ने आंशिक रूप से राशि का उपयोग किया एवं सात राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर निधि की कोई राशि व्यय नहीं की थी।

राजकीय उपक्रम गत वर्षों की अग्रणीत की गई अव्ययित राशि का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे। अंतिम तिमाही में सीएसआर निधि को व्यय करने में जल्दबाजी थी। इसके अतिरिक्त एक राजकीय उपक्रम यथा आरएसजीएसएमएल ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में दर्शाई गई गतिविधियों का उल्लंघन करते हुए व्यय किया क्योंकि राजकीय उपक्रम ने राजस्थान मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि हस्तांतरित की थी। साथ ही, राजकीय उपक्रमों ने सीएसआर समिति की नियमित बैठकें आयोजित किए जाने हेतु तंत्र विकसित नहीं किया था।

अनुशंसाएँ

राजकीय उपक्रमों को चाहिए

- स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए कदम उठाएं;
- वार्षिक योजना एवं बजट का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रणाली को सुदृढ़ बनायें;
- आवंटित धनराशि को उपयुक्त गतिविधियों पर समयबद्ध तरीके से व्यय करने पर ध्यान दें; तथा
- निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करें।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय
प्रतिवेदन संख्या-4

अध्याय-V

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता
(आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी
नियमों, 2013 की अनुपालना

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) अधिनियम, 2012 एवं आरटीपीपी नियम, 2013 की अनुपालना

परिचय

5.1 सार्वजनिक प्रापण सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक प्रभावी, कुशल और निष्कपट प्रापण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण है कि सीमित सार्वजनिक कोषों को भली प्रकार से व्यय किया जाए एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक परियोजनाएं समय पर पूर्ण की जाये। सार्वजनिक प्रापण प्रक्रिया के महत्व को ध्यान में रखते हुए एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बोलीदाताओं से निष्पक्ष व समान व्यवहार करने, प्रतिस्पर्धा को प्रोन्नत करने, दक्षता व मितव्ययिता को बढ़ावा देने तथा प्रापण प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा को सुरक्षित करने के उद्देश्यों एवं उससे जुड़े अथवा संबंधित प्रासंगिक मामलों में सार्वजनिक प्रापण को विनियमित करने हेतु राजस्थान सरकार (जीओआर) ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक 2012 (अधिनियम) राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किया। विधान सभा ने 26 अप्रैल, 2012 को अधिनियम को लागू किया। तत्पश्चात्, राजस्थान सरकार ने राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (नियम) को भी अधिसूचित किया।

अभी तक, सरकारी विभागों में वस्तुओं, कार्यों एवं सेवाओं का सार्वजनिक प्रापण सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एंड एआर), लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पीडब्ल्यूएफ एंड एआर), कोषागार नियम आदि के प्रावधानों द्वारा शासित किया जा रहा था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) ने भी अपनी क्रय नियमावलियाँ निर्मित कर रखी थी। अब, अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 को अधिनियमित/अधिसूचित करने के बाद, सभी राजकीय उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक प्रापण उक्त अधिनियम तथा नियम के प्रावधानों द्वारा शासित है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

5.2 इस अधिनियम में पांच अध्याय यथा; प्रारंभिक, प्रापण, अपील, अपराध व दंड एवं विविध हैं तथा इसके प्रावधान 59 धाराओं में दिये गये हैं। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं:

| | |
|------------------------|---|
| पारदर्शिता मानक | धारा 10 सभी प्रापण इकाईयों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अध्वधीन यथोचित अवधि के लिए अपनी सभी प्रापण कार्यवाहियों एवं संचारों के दस्तावेजी अभिलेख रखने तथा बनाये रखने के लिए बाध्य करती है जिससे कि लेखापरीक्षा या ऐसी अन्य समीक्षाओं को सक्षम किया जा सके। |
|------------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>धारा 11 प्रापण इकाई और बोलीदाताओं की सत्यनिष्ठा संहिता के बारे में बताती है। इस अधिनियम का वाक्यांश III प्रापण प्रक्रिया की पारदर्शिता को विकृत करने के लिए किसी भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी अथवा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार से प्रापण इकाईयों को प्रतिबंधित करता है।</p> <p>धारा 17 सार्वजनिक प्रापण से संबंधित प्रकरणों को दर्शाने एवं सभी प्रापण इकाईयों में प्रापण की समस्त प्रक्रियाओं से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु जनता के लिए सुलभ राज्य लोक उपापन पोर्टल (एसपीपीपी) की स्थापना एवं रखरखाव का प्रावधान करती है।</p> <p>धारा 28, एक प्रापणकर्ता संस्था के लिए प्रापण के विभिन्न प्रकारों को निर्धारित करती है एवं धारा 28 (2) राज्य सरकार को प्रापण के विभिन्न चरणों एवं प्रकारों के लिए अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्रापण को अपनाने की अधिसूचना द्वारा घोषणा हेतु अधिकृत करती है।</p> |
| संविदा प्रबंधन की गुणवत्ता | <p>धारा 55 (2) (xxvi) बोली प्रतिभूतियों, कार्य निष्पादन प्रतिभूतियों, कार्यों, वस्तुओं और सेवाओं के निरीक्षण, बोलियों का संशोधन एवं वापसी तथा संविदा प्रबंधन के संबंध में नियमों को बनाने की राज्य सरकार की शक्ति से संबंधित है।</p> <p>आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 9 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रापण इकाई को समस्त प्रापण प्रक्रियाओं को नियमित रूप से ट्रैक करने के लिए एक प्रश्न आधारित प्रारूप में प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को विकसित करना चाहिए, जिससे कि वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रापण संरचना की क्षमता का सार्थक विश्लेषण किया जा सके।</p> <p>आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 10 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रापण इकाई को एक प्रापण रजिस्टर का संधारण करना चाहिए एवं इसकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।</p> |
| विक्रेताओं का पंजीकरण | <p>धारा 19 प्रापण की विषयवस्तु अथवा प्रापण की श्रेणी, जो प्रापण इकाईयों के मध्य सामान्यतः वांछनीय है अथवा बारम्बार वांछनीय हो, के लिए बोलीदाताओं के पंजीकरण के लिए प्रावधान करती है।</p> <p>इस सूची को प्रापण इकाई की वेबसाइट के साथ-साथ राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।</p> |

| | |
|--|--|
| बोली दस्तावेज को तैयार करना एवं बोली वैधता अवधि | बोली दस्तावेज में प्रापण की कीमत, प्रापण की विषय वस्तु का विवरण, मूल्यांकनों के मापदंड, प्रापण के अधिमन्य तरीके, पूर्व योग्यता, योग्यताएँ, बोलीदाताओं की पात्रता, समय सीमा, बोली वैधता अवधि एवं बोली प्रक्रिया के सभी अपेक्षित कदमों तथा चरणों जैसे बोलियों को खोलने, मूल्यांकन एवं बोलियों को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के बारे में मानदंडों का स्पष्ट उल्लेख करने से संबंधित दायित्व हैं। |
| शिकायत निवारण तंत्र | <p>धारा 40 के अध्याधीन धारा 38 प्रावधान करती है कि यदि कोई बोलीदाता अथवा संभावित बोलीदाता इस बात से व्यथित है कि प्रापण इकाई का कोई निर्णय, कार्यवाही या चूक अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में है, तो वह प्रापण इकाई के अधिकारी के पास याचिका दायर कर सकता है।</p> <p>धारा 40 (i) प्रापण की आवश्यकता का निर्धारण (ii) बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं की भागीदारी को सीमित करने के प्रावधानों; (iii) मोल-भाव करने या न करने के निर्णय; (iv) प्रापण प्रक्रिया को रद्द करने; एवं (v) धारा 49 के अन्तर्गत गोपनीयता के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित मामलों में कोई याचिका नहीं होगी।</p> |
| लोक उपापन के लिए नोडल विभाग का निष्पादन | <p>धारा 50 में धारा 17 के अन्तर्गत गठित एसपीपीपी के रस्वरस्वाव एवं अद्यतन करने, धारा 48 के संदर्भ में निर्दिष्ट प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था करने एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु राज्य सरकार को सिफारिश करने हेतु राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ (एसपीएफसी) की स्थापना का प्रावधान है। एसपीएफसी को, इस अधिनियम के तहत, किसी प्रापण इकाई या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी सूचना, जो इसके कार्यकलापों के निष्पादन हेतु आवश्यक हो, को लिखित नोटिस द्वारा मांग करने की शक्ति होगी।</p> |

लेखापरीक्षा उद्देश्य

5.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- लोक उपापन प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक पालन किये गये थे; एवं उपापन प्रक्रिया में आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियम के प्रावधानों का प्रभावी रूप से अनुपालन किया गया था।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं व्याप्ति

5.4 तीन सांविधिक निगमों सहित राज्य के कुल 45 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राजकीय उपक्रमों) में से, जिनका विवरण अनुबंध 5.1 में दिया गया है, आठ राजकीय उपक्रमों के अतिरिक्त (पॉवर व ऊर्जा क्षेत्र के पांच राजकीय उपक्रम जिनमें 2019-20 के दौरान कोई प्रापण नहीं किया गया था, एक राजकीय उपक्रम परिसमापन के अन्तर्गत एवं दो निष्क्रिय राजकीय उपक्रम) 37 राजकीय उपक्रमों में आरटीपीपी अधिनियम 2012 एवं आरटीपीपी नियम के प्रावधानों की सामान्य अनुपालना की जांच की गई थी। साथ ही, आवश्यकता के निर्धारण से संबंधित विशिष्ट नियमों का अनुपालन, प्रापण के विविध तरीकों अर्थात्; सीमित बोली, एकल स्रोत प्रापण, उद्धरण के लिए अनुरोध, मौके पर क्रय, उद्धरण के बिना प्रापण, बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में समय पर निर्णय, बोली पूर्व स्पष्टीकरण एवं मात्रा में परिवर्तन का अधिकार की गहनता से जांच की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, 37 राजकीय उपक्रमों द्वारा ₹10269.06 करोड़ मूल्य की 2214 निविदाएं (जैसा कि अनुबंध 5.1 में वर्णित) आमंत्रित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राजकीय उपक्रमों की अनुपालना लेखापरीक्षा के दौरान अधिनियम/नियम के प्रावधानों की अनुपालना की निरपवाद रूप से जांच की गई एवं अनुपालना नहीं किये जाने के मुद्दे/प्रकरण भी निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रबंधन को प्रतिवेदित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा मानदंड

5.5 विश्लेषण निम्नलिखित मानदंड के अन्तर्गत किया गया था:

- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012; एवं
- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.6 कार्यक्षेत्र एवं व्याप्ति के अनुसार, लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को दो भागों में सम्मिलित किया गया है अर्थात् राजकीय उपक्रमों द्वारा सामान्य प्रावधानों की अनुपालना नहीं किया जाना एवं विशिष्ट नियमों की अनुपालना नहीं किया जाना जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

सामान्य प्रावधानों की अनुपालना

उपापन समितियों का गठन

5.7 आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 3 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रापण इकाई बोली दस्तावेजों को तैयार करने, बोलियां को खोलने, बोलियों के मूल्यांकन, संविदा की निगरानी, मौके पर क्रय, मोल-भाव एवं प्रापण से संबंधित किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जो कि प्रापण इकाई द्वारा तय किया जाए, हेतु एक या एक से अधिक समितियों का गठन करेगी। साथ ही, नियम 3 (2) में प्रावधान है कि प्रत्येक समिति में प्रापण इकाई के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी या पदधारी को सम्मिलित करते हुए तीन या अधिक सदस्य होने चाहिए एवं यदि आवश्यक हो, प्रापण इकाई द्वारा एक तकनीकी अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

सभी 37 राजकीय उपक्रमों द्वारा नियम की अनुपालना किया जाना आवश्यक था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 37 राजकीय उपक्रमों में से, 28¹ राजकीय उपक्रमों ने एक या अधिक स्थायी समितियों का गठन किया एवं नौ² राजकीय उपक्रमों ने प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रापण समितियों का गठन किया, जैसा कि अनुबंध 5.1 में वर्णित है। साथ ही 28 राजकीय उपक्रम, जिनमें विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया गया था, समग्र रूप से नियम प्रावधान की अनुपालना करने में विफल रहे थे, क्योंकि तीन राजकीय उपक्रमों (आरआरवीपीएनएल, रीको, आरएसएफएंडसीएससीएल) में निगरानी समिति, मौके पर क्रय समिति व प्रतिस्पर्धी मोल-भाव समिति, 13 राजकीय उपक्रमों (जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल, आरएसआईसीएल, जेएससीएल, एएससीएल, केएससीएल, यूएससीएल, आरयूडीडब्ल्यूएसएंडआईसीएल, आरएसएचसीएल, आरएमएससीएल, आरईएससीएल, आरएसआरडीसीसीएल एवं आरपीएचसीसीएल) में निगरानी समिति तथा मौके पर क्रय समिति, तीन राजकीय उपक्रमों (आरएफसी, आरएसएससीएल एवं आरएसआरटीसी) में निगरानी समिति एवं दो राजकीय उपक्रमों (जेडीवीवीएनएल एवं आरआईएसएल) में मौके पर क्रय समिति गठित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, आठ राजकीय उपक्रमों (जहां स्थायी समितियां गठित की गई थी) में नियम 3 (2) की भी अनुपालना का अभाव पाया गया था क्योंकि वरिष्ठतम लेखा अधिकारी या पदधारी को समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया था जैसा कि तालिका 5.1 में दिया गया है।

1 अनुबंध 5.1 का क्र.सं. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 एवं 43।

2 अनुबंध 5.1 का क्र.सं. 2, 3, 12, 13, 14, 20, 28, 32 एवं 38।

तालिका 5.1: समितियों में वरिष्ठतम लेखा अधिकारी की नियुक्ति की स्थिति

| क्र.सं. | राजकीय उपक्रमों का नाम | गठित समितियों की संख्या | समितियों की संख्या, जिनमें लेखा अधिकारी नामित किए गए थे उनकी संख्या | समितियों की संख्या, जिनमें वरिष्ठतम लेखा अधिकारी नामित नहीं किए गए थे |
|---------|------------------------|-------------------------|---|---|
| 1 | आरयूवीएनएल | 1 | - | 1 |
| 2 | आरएफसी | 6 | 4 | 2 |
| 3 | आरएसएफएंडसीएससीएल | 3 | 1 | 2 |
| 4 | आरएसपीएफएंडएफएससीएल | 1 | - | 1 |
| 5 | आरएसआरटीसी | 8 | 2 | 6 |
| 6 | आरटीडीसीएल | 3 | 1 | 2 |
| 7 | आरएसआरडीसीसीएल | 1 | - | 1 |
| 8 | आरएसएंडएलडीसीएल | 3 | 2 | 1 |

साथ ही, नौ राजकीय उपक्रमों, जिन्होंने प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर समितियों का गठन किया था, में से एक राजकीय उपक्रम (आरएसडब्ल्यूसी), वरिष्ठतम लेखा अधिकारी या पदधारी को समिति सदस्य के रूप में नामित करने में विफल रहा था।

प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं ट्रेकिंग

5.8 आरटीपीपी नियम के नियम 9 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रापण इकाई प्रापण प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु एक प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) विकसित करेगी एवं इसे संधारित करेगी जिसमें सूचना का संग्रहण एवं मिलान हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजना सम्मिलित होगा। प्रशासनिक विभाग एकत्रित प्रापण प्रबंधन सूचना को राज्य उपापन सुविधा प्रकोष्ठ को भेजेगा। साथ ही, पीएमआईएस को गहन विश्लेषण तथा उपयोग में आसानी हेतु प्रश्न-

अधिनियम 2012 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार ने राज्य लोक उपापन पोर्टल की स्थापना की। ₹ 1 लाख से अधिक या उसके बराबर मौद्रिक मूल्य वाली बोलियां/निविदाएं एसपीपीपी के माध्यम से आमंत्रित की जा सकती हैं जबकि ₹ 5 लाख से अधिक या उसके बराबर मूल्य के कार्यों के मामले में एवं ₹ 10 लाख से अधिक या उसके बराबर मूल्य वाली वस्तुओं और सेवाओं के मामले में ई-प्रापण के माध्यम से बोलियां/निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं।

आधारित प्रारूप में विकसित किया जाएगा जिससे कि किसी भी समय बोली की स्थिति के बारे

में रियल टाईम सूचना प्रदान की जा सके। इसे राज्य लोक उपापन पोर्टल (एसपीपीपी) के साथ एकीकृत किया जाएगा जिससे कि संविदाओं के निष्पादन, विलंब तथा लगायी गई शास्ति सहित विभिन्न मापदंडों के निष्पादन को आगे ट्रैक किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 37 राजकीय उपक्रमों द्वारा पीएमआईएस विकसित नहीं किया गया था। आगे विश्लेषण से उजागर हुआ कि एक राजकीय उपक्रम (आरएसजीएल) ने ₹40.86 करोड़ का मौद्रिक मूल्य वाली 51 बोलियों/निविदाओं को आमंत्रित करने के लिए एसपीपीपी का उपयोग नहीं किया था एवं निविदाओं को मात्र अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जबकि तीन राजकीय उपक्रमों (आरएसडीसीएल, आरएसएचडीसीएल, बीएलएमसीएल) ने राजकीय उपक्रम की वेबसाइट तथा एसपीपीपी दोनों पर अपनी निविदा अपलोड की। शेष 33 राजकीय उपक्रमों ने अपनी निविदाएं राज्य पोर्टल पर अपलोड की थीं। लेखापरीक्षा ने देखा कि पीएमआईएस के अभाव में, सभी 37 राजकीय उपक्रम संविदाओं के निष्पादन, विलंब इत्यादि सहित विभिन्न मापदंडों के निष्पादन को ट्रैक करने की स्थिति में नहीं थे।

प्रापण रजिस्टर

5.9 आरटीपीपी नियम के नियम 10 में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रापण इकाई एक प्रापण रजिस्टर संधारित करेगी एवं प्रापण रजिस्टर को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करेगी। राजकीय उपक्रम-वार प्रापण रजिस्टर के संधारण के संबंध में विवरण अनुबंध 5.1 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 17 राजकीय उपक्रमों एवं आठ राजकीय उपक्रमों द्वारा प्रापण रजिस्टर को क्रमशः मैन्युअल रूप से एवं सॉफ्ट कॉपी में संधारित किया गया था। एक राजकीय उपक्रम (आरएमएससीएल) के अतिरिक्त, ये समस्त राजकीय उपक्रम रजिस्टर को नियमित रूप से अद्यतन भी कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि 12 राजकीय उपक्रमों ने प्रावधान की अनुपालना नहीं की थी क्योंकि प्रापण रजिस्टर को या तो मैन्युअल रूप से अथवा सॉफ्ट कॉपी में संधारित नहीं किया गया था।

बोलियों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति पर निर्णय

5.10 नियम 40 (2) के अन्तर्गत नोट 2 में यह निर्दिष्ट है कि यदि प्रापण इकाई राज्य सरकार के विभागों या उससे सम्बद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के अतिरिक्त है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग बोली पर निर्णय लेने हेतु समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 37 राजकीय उपक्रमों में से मात्र एक राजकीय उपक्रम (आरआरवीपीएनएल) के मामले में संबंधित प्रशासनिक विभाग अर्थात् ऊर्जा विभाग ने बोली पर निर्णय लेने हेतु समकक्ष सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट (12 दिसम्बर 2019) किया। अन्य प्रशासनिक विभागों ने, तथापि, ऐसे आदेश जारी नहीं किये थे एवं इस प्रकार शेष 36 राजकीय उपक्रमों में बोली पर निर्णय हेतु समकक्ष सक्षम प्राधिकारी निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

विशिष्ट प्रावधान/नियम की अनुपालना

आवश्यकता का निर्धारण

5.11 आरटीपीपी अधिनियम, 2012 की धारा 5 में यह निर्धारित किया गया है कि प्रापण इकाई पहले प्रापण की विषयवस्तु की आवश्यकता का निर्धारण करेगी एवं प्रापण की अनुमानित लागत को ध्यान में रखेगी तथा प्रापण से संबंधित विस्तार अथवा मात्रा, पद्धति, पूर्व-अर्हता की आवश्यकता, परिसीमा व अन्य किसी मामलों की औचित्यता भी तय करेगी। साथ ही, आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 6 में प्रावधान है कि प्रापण इकाई पहले आवश्यकता का निर्धारण करेगी एवं आवश्यकता के निर्धारण तथा आंकलन से संबंधित दस्तावेजों को संधारित करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) की प्रापण नियोजन एवं प्रबंधन समिति (पीपीएंडएम समिति) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व केन्द्रीकृत क्रय की जाने वाली मदों की वार्षिक आवश्यकता का आंकलन करती है एवं इसे कंपनी की कॉरपोरेट स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, कंपनी का सामग्री प्रबंधन समूह, इन केन्द्रीकृत रूप से क्रय की जाने वाली मदों की प्रापण प्रक्रिया प्रारंभ करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी केन्द्रीकृत रूप से क्रय की जाने वाली मदों की आवश्यकता का तर्कसंगत आंकलन करने में विफल रही जैसा कि 2019-20 के दौरान विभिन्न मदों के प्रापण के लिए आमंत्रित आठ निविदाएं³ या तो बाद में निरस्त कर दी गई थी अथवा स्थगित कर दी गई थी क्योंकि कंपनी के भण्डारों में सामग्री का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध था। इस प्रकार, कंपनी ने अधिनियम/नियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

प्रत्युत्तर में कंपनी ने कहा (मार्च 2021) कि यह लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु एवं ऐसी स्थिति को टालने हेतु, जो मद विशेष की आवश्यकता से प्रभावित होती है, सभी संभव प्रयास करती है, तथापि, कभी-कभी स्थिति इसके नियंत्रण से बाहर होती है। यद्यपि, इसने भविष्य में और अधिक सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

प्रापण की पद्धतियां

5.12 आरटीपीपी अधिनियम के प्रावधानों, इन नियमों, धारा 37 के अन्तर्गत अधिसूचित किन्हीं अतिरिक्त शर्तों एवं अधिनियम के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों के तहत एक प्रापण इकाई धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट अथवा अधिसूचित किसी भी पद्धति से प्रापण की

3 टीएन-4720, टीएन-2544, टीएन-2525, टीएन-2526, टीएन-4747, टीएन-4714, टीएन-2513 एवं टीएन-2518।

विषयवस्तु का प्रापण कर सकती है यथा सामग्री का खुली प्रतिस्पर्धी बोली, सीमित बोली, द्विस्तरीय बोली, एकल स्रोत प्रापण, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी, आरएफक्यू, मौके पर क्रय, प्रतिस्पर्धी मोल-भाव, दर संविदा आदि के माध्यम से प्रापण किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने, तथापि, पाया कि राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (गेल गैस लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) ने प्रापण की उपरोक्त वर्णित किसी भी पद्धति को नहीं अपनाया था। इसके स्थान पर, कंपनी ने विभिन्न मर्दों (कलपुर्जों सहित 5 स्टेशनरी/मोबाइल कासकेड्स; 10 सीएनजी कार डिस्पेंसर एट ट्विन आर्म एवं 400 एससीएमएच क्षमता के तीन इलेक्ट्रिक मोटर चालित सीएनजी बूस्टर कंप्रेसर) को, उन ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से जिन्हें गेल गैस लिमिटेड द्वारा आदेश दिया गया था पुनः आदेश के आधार पर आदेशित कर क्रय किया था। इस प्रकार, कंपनी ने आरटीपीपी अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की थी।

अधिसूचित एजेंसियों से प्रत्यक्ष प्रापण

5.13 नियम 32 में प्रावधान है कि एक प्रापण इकाई, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रापण की विषय वस्तु हेतु अधिसूचित बोलीदाताओं की श्रेणी से, बोली आमंत्रित किए बिना प्रापण कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरआरवीयूएनएल) ने ईआरपी प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की (सितंबर 2018)। निविदा को इस तर्क पर निरस्त कर दिया गया था कि निविदा दस्तावेज में हार्डवेयर की आपूर्ति को सम्मिलित नहीं किया गया था। निविदा जुलाई 2019 में पुनः आमंत्रित की गई थी जिसमें मात्र एक बोलीदाता ने अपनी बोली प्रस्तुत की थी एवं इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया था। निविदा तीसरी बार 2019-20 में आमंत्रित की गई थी एवं न्यूनतम बोलीदाता को कार्यादेश जारी किया गया था (फरवरी 2020) परन्तु इसे पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा वापस (जून 2020) ले लिया गया था क्योंकि परियोजना ई-गवर्नेंस मिशन टीम समिति की आवश्यक पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईटी एवं ई-गवर्नेंस परियोजनाओं से संबंधित वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रापण हेतु राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग/राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड को अधिसूचित एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया था (सितंबर 2013) एवं इस प्रकार इन एजेंसियों पर बोली आमंत्रित किए बिना ही कार्यादेश जारी किया जा सकता था। तथापि, कंपनी ने आरटीपीपी नियम के प्रावधान पर संज्ञान नहीं लिया एवं निविदाएं अनावश्यक रूप से बारम्बार आमंत्रित की, जिस पर आदिनांक तक कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

निविदा आमंत्रित करना

5.14 अधिनियम की धारा 27 (3) में निर्दिष्ट है कि प्रापण इकाई, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जैसे ही बोली स्वीकार करने का निर्णय लेती है, तो वह समस्त प्रतिभागी बोलीदाताओं को उस तथ्य से अवगत करायेगी एवं इस निर्णय को एसपीपीपी पर भी प्रकट करेगी। साथ ही, आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 71 में भी यह निर्दिष्ट है कि धारा 27 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार संविदा प्रदान करने की सूचना सभी प्रतिभागी बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी एवं एसपीपीपी पर प्रकट की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपरोक्त प्रावधान की अनुपालना नहीं की थी क्योंकि संविदा प्रदान करने की सूचना एसपीपीपी पोर्टल/ई-प्रापण पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थी।

बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्णय

5.15 आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 40 (2) में निर्दिष्ट है कि प्रापण प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्णय जहाँ दो लिफाफों की पद्धति का अनुसरण किया जाता है, तकनीकी बोली खुलने के दिनांक से, अन्यथा वित्तीय बोली के खुलने के दिनांक से, सक्षम स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 70 दिवसों, जिसे आगे 50 दिवसों (यद्यपि वैधता की अवधि अधिक हो सकती है) में संशोधित किया गया था (6 अगस्त 2018), की अवधि में लिया जाना चाहिए। यदि संबंधित स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा दी गई समयावधि में निर्णय नहीं लिया जाता है, तो सक्षम स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी द्वारा कारणों को विशिष्ट रूप से दर्ज किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त नियम के उल्लंघन के निम्नलिखित प्रकरण पाये:

(i) राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड के 16 प्रकरणों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने पाया कि बोलियों को, औचित्य को दर्ज किए बिना, विलंब से अंतिम रूप दिया था एवं इस प्रकार कार्यादेश जारी करने में 6 से 109 दिनों के मध्य का विलंब था।

(ii) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता (संविदा) के कार्यालय में प्रापण के 40 प्रकरणों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि चार प्रकरणों में तकनीकी बोलियां 6 अगस्त 2018 से पूर्व एवं शेष 36 प्रकरणों में 6 अगस्त 2018 के पश्चात खोली गई थी। तथापि, इन्हें निर्धारित समय में अंतिम रूप नहीं दिया गया था एवं इस प्रकार कार्यादेश जारी करने में 12 से 203 दिवसों के मध्य का विलंब था जिसके लिए अभिलेखों में कोई औचित्यता नहीं पायी गयी थी।

(iii) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने मीटर बॉक्स सहित सिंगल फेज स्टेटिक ऊर्जा मीटरों के प्रापण हेतु निविदा (टीएन-1358) आमंत्रित की (अगस्त 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली क्रमशः 28 नवंबर 2019 एवं 14 फरवरी 2020 को खोली गई थी। निविदा को अंतिम रूप दिया गया था एवं 4 लाख मीटरों की आपूर्ति हेतु चार फर्मों के पक्ष में 27 मार्च 2020 को क्रय आदेश जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी ने निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में आठ महीने का असामान्य समय लिया एवं इस प्रकार आरटीपीपी नियम का उल्लंघन किया क्योंकि विलंब हेतु कोई लिखित औचित्य नहीं पाया गया था।

वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन व सफल बोली की स्वीकृति एवं संविदा प्रदान करना

5.16 आरटीपीपी नियम 2013 का नियम 65 (झ) में निर्दिष्ट है कि प्रापण इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि स्वीकृति हेतु अनुशंसित प्रस्ताव प्रापण किये जाने वाले माल, कार्य या सेवा की प्रचलित बाजार दरों को देखते हुए न्यायोचित है। साथ ही, नियम 70 (3) में भी निर्दिष्ट है कि संविदा प्रदान करने से पूर्व, प्रापण इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सफल बोली का मूल्य उचित एवं अपेक्षित गुणवत्ता के अनुरूप है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने 10-60 एम्पीयर (श्रेणी 1.0 सटीकता) वाले 50000 एवं 150000 श्री फेज स्टेटिक ऊर्जा मीटरों, जिनमें ऑप्टिकल एवं अतिरिक्त आरएस 232 पोर्ट सहित डीएलएमएस प्रोटोकॉल, बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले हो, के मीटर बॉक्स सहित एवं बिना मीटर बॉक्स के प्रापण हेतु क्रमशः टीएन 2501 एवं 2502 के अर्न्तगत निविदाएं आमंत्रित की (दिसम्बर 2018)। तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के पश्चात, 5 बोलीदाताओं (टीएन-2501) तथा 6 बोलीदाताओं (टीएन-2502) की वित्तीय बोलियां क्रमशः 25 सितंबर 2019 एवं 26 जुलाई 2019 को खोली गई थीं जिसमें आपूर्तिकर्ता (एल₁) ने दोनों टीएन हेतु एफ.ओ.आर. गंतव्य ₹ 1584.00 प्रति इकाई निश्चित मूल्य का प्रस्ताव दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कॉर्पोरेट स्तरीय क्रय समिति (सीएलपीसी) ने 27 अगस्त 2019 एवं 16 अक्टूबर 2019 को आयोजित दो अलग-अलग बैठकों में एल₁ फर्म को ₹ 1575 (टीएन-2502) तथा ₹ 1565 (टीएन-2501) का प्रतिप्रस्ताव देने का निर्णय किया, जिसे इसने एवं अन्य उत्तरदायी बोलीदाताओं (एल₁ फर्म की दरों पर आपूर्ति करने के लिए सहमत) ने स्वीकार किया था। तथापि, दरों की औचित्यता का आंकलन कंपनी ने किस प्रकार किया, इस संबंध में अभिलेखों पर कुछ भी उल्लेख नहीं था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि गत टीएन-2420 एवं टीएन-2421 में समक्ष समान तकनीकी विशिष्टताओं के श्री फेज स्टेटिक ऊर्जा मीटरों की आपूर्ति के आदेश (सितंबर 2018) आपूर्तिकर्ता एवं अन्य आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में मीटर बॉक्स सहित तथा बिना मीटर बॉक्स के एफओआर गंतव्य सभी समायोजित इकाई मूल्य क्रमशः ₹ 1500.00 एवं ₹ 1450.00 पर दिये गये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि गत निविदाओं (टीएन-2420 एवं 2421) में मीटर बॉक्स सहित एवं बिना मीटर बॉक्स के ऊर्जा मीटरों के मूल्य में ₹ 50 का

अन्तर था जबकि वर्तमान निविदा में, बिना मीटर बॉक्स के ऊर्जा मीटर का मूल्य, मीटर बॉक्स सहित ऊर्जा मीटर के मूल्य से ₹ 10 अधिक था। इस प्रकार, कंपनी द्वारा दरो की औचित्यता का आंकलन किये जाने की आवश्यकता है जैसा कि आरटीपीपी नियम में वर्णित है।

प्रापण प्रक्रिया में हस्तक्षेप

5.17 अधिनियम की धारा 42 (2) में निर्दिष्ट है कि एक बोलीदाता जो (क) वित्तीय बोलियां सोलने के बाद प्रापण प्रक्रिया से हट जाता है, (ख) सफल बोलीदाता घोषित किये जाने के पश्चात प्रापण प्रक्रिया से हट जाता है; (ग) सफल बोलीदाता घोषित किये जाने के पश्चात प्रापण संविदा करने में विफल रहता है; (घ) सफल बोलीदाता घोषित किये जाने के पश्चात बोली दस्तावेजों के संदर्भ में अपेक्षित, निष्पादन प्रतिभूति अथवा कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति प्रदान करने में वैध आधारों के बिना विफल रहता है, तो बोली दस्तावेजों या संविदा में उपलब्ध संसाधन के अतिरिक्त ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रुपये या प्रापण के आंकलित मूल्य का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।

लेखापरीक्षा ने कथित नियम के उल्लंघन के निम्नलिखित प्रकरण पाये:



प्रकरण का अध्ययन: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

उपरोक्त प्रकरण में, दो बोलीदाताओं ने “रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन योजना” के अन्तर्गत ग्रिड से जुड़े सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) ऊर्जा संयंत्रों के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, चालू करना एवं 5 वर्ष हेतु रखरखाव के संबंध में आरआरईसीएल द्वारा जारी कार्य आवंटन पत्र (एलओए) को स्वीकार करने से मना कर दिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि उन्होंने कार्य निष्पादित करने से मना कर दिया एवं निविदा दस्तावेज में निर्धारित समय सीमा में संविदा करार निष्पादित नहीं करने के उपरांत भी आरआरईसीएल ने इन दोनों बोलीदाताओं के विरुद्ध आरटीपीपी अधिनियम में निर्धारित कोई कार्यवाही शुरू नहीं की थी।

आरआरईसीएल ने उत्तर में कहा (जुलाई 2021) कि दोनों बोलीदाताओं की ईएमडी जब्त कर ली गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरआरईसीएल ने आरटीपीपी अधिनियम 2012

की धारा 42 (2) के अनुसार कार्यवाही नहीं की थी।

प्रकरण का अध्ययन: राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

निगम ने कंप्यूटर पृष्ठ 60 जीएसएम सफेद (खाली) की शीट्स एवं कार्बन पृष्ठ शीट्स की आपूर्ति हेतु जयपुर स्थित एक फर्म को ₹21.31 लाख मूल्य का क्रयादेश जारी किया (सितम्बर 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्म ने क्रयादेश प्रदान किए जाने के पश्चात् आदेशित सामग्री की आपूर्ति करने से मना कर दिया। अतः निगम को प्रावधानों के अनुसार क्रयादेश के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति आरोपित करनी थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि निगम प्रावधान की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर सका क्योंकि इसने मात्र ईएमडी जब्त की थी एवं निर्धारित प्रावधान के अनुसार फर्म से शास्ति वसूलने में विफल रहा।

निष्पादन प्रतिभूति

5.18 नियम 75 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट है कि सभी सफल बोलीदाताओं से निष्पादन प्रतिभूति ली जाएगी। साथ ही, उप नियम (2) में वर्णित है कि निष्पादन प्रतिभूति की राशि माल एवं सेवाओं के प्रापण के मामले में आपूर्ति आदेश की राशि का पांच प्रतिशत, या जैसा कि बोली दस्तावेजों में निर्दिष्ट किया गया है, तथा कार्यों के प्रापण के मामले में कार्यादेश की राशि का दस प्रतिशत होगी।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने ईपीसी आधार पर "जलीपा खदानों से राज वेस्ट ऊर्जा संयंत्र तक 6.0 एमटीपीए लिग्नाइट हैंडलिंग प्रणाली" स्थापित करने व जलीपा लिग्नाइट खदानों से उत्खनित लिग्नाइट को आकार देने एवं परिवहन हेतु ठेकेदार को ₹ 15.87 करोड़ के जीएसटी सहित कुल ₹ 104.03 करोड़ के संविदा मूल्य पर कार्यादेश जारी किया (नवंबर 2018)। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ठेकेदार ने 28 नवम्बर 2018 को बैंक गारंटी के रूप में ₹ 8.82 करोड़ (आधार मूल्य यथा ₹ 88.16 करोड़ का 10 प्रतिशत) की निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेकेदार द्वारा दी गई निष्पादन प्रतिभूति अपर्याप्त थी क्योंकि नियम के अनुसार, ₹ 10.40 करोड़ रुपये (कार्यादेश मूल्य का 10 प्रतिशत) की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी, तथापि, कंपनी ने कम राशि की बैंक गारंटी स्वीकार की थी। इस प्रकार, कंपनी नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने में विफल रही।

मात्रा में परिवर्तन का अधिकार

5.19 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम 2013 के फरवरी 2018 में संशोधित वाक्यांश 73 (3) में निर्दिष्ट किया गया कि प्रापण इकाई शक्तियों की अनुसूची के अनुसार, जैसा कि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित की गई है, मूल संविदा के मूल्य का पांच प्रतिशत तक, यदि बोली दस्तावेजों में अनुमति दी गई है, अतिरिक्त मदों के लिए आदेश दे सकती है।

प्रापण इकाई द्वारा ठेकेदार को देय ऐसी अतिरिक्त मदों का उचित बाजार मूल्य, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रापण इकाई द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेशों की सीमा मूल संविदा का 50 प्रतिशत होगी। आगे, यह भी प्रावधान किया गया था कि असाधारण परिस्थितियों में एवं संविदा के अन्तर्गत वर्णित कार्यक्षेत्र को परिवर्तित किये बिना, एक प्रापण इकाई सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन एवं संशोधित तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के साथ मूल कार्य आदेश में प्रावधित की गई व्यक्तिगत मदों की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा में प्रापण कर सकती है। लेखापरीक्षा के दौरान कथित नियम के उल्लंघन के निम्नलिखित प्रकरण पाये गए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में कमान एवं नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना एवं चालू करने का निर्णय किया (26 अप्रैल 2018)। तदनुसार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड (आरआईएसएल) ने राजस्थान के 12 जिला मुख्यालयों पर ऐसे केंद्रों की स्थापना हेतु ₹ 11.75 करोड़ की कुल लागत पर 120 दिवसों की निर्धारित कार्य पूर्णता अवधि अर्थात् 20 दिसंबर 2018 तक, के साथ कार्यादेश प्रदान किए (21 जुलाई 2018)। आरआईएसएल की प्रापण समिति-III ने 28 फरवरी 2019 तक के समय विस्तार एवं अतिरिक्त मात्राओं की प्रापण के लिए भी अनुमति प्रदान की (22 जनवरी 2019)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरआईएसएल ने 26 मदों के प्रापण हेतु आदेश जारी किया (फरवरी 2019) जिसमें से 11 मदों का प्रापण मूल आदेशित मात्रा से अधिक था जो नियमों में निर्धारित 50 प्रतिशत की अनुमत्य सीमा के समक्ष 55.17 प्रतिशत एवं 238.71 प्रतिशत के मध्य था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आरआईएसएल ने न केवल इन 11 मदों का अनुमत्य सीमा से अधिक प्रापण किया अपितु सक्षम प्राधिकारी से संशोधित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की थी। साथ ही, आरआईएसएल इन मदों के उचित बाजार मूल्य का आंकलन करने में भी विफल रहा, जैसा कि संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक था।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों में आरटीपीपी अधिनियम एवं आरटीपीपी नियम के सामान्य प्रावधान की अनुपालना नहीं किया जाना उजागर हुआ। विशिष्ट नियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत जांच ने राजकीय उपक्रमों द्वारा अधिनियम एवं नियम की अनुपालना नहीं करने के संबंध में कमियों को उजागर किया।

सिफारिशें

राजकीय उपक्रमों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रापण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है, सामग्री की आवश्यकता के आंकलन की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए। राजकीय उपक्रमों को निर्धारित समय सीमा में निविदाओं को अंतिम रूप देना चाहिए। राजकीय उपक्रमों को आरटीपीपी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों की अनुपालना भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

जयपुर

दिनांक 23 सितम्बर, 2021



(अतूर्वा सिन्हा)

महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 27 सितम्बर, 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

अनुबन्ध

अनुबंध-1.1

(पृष्ठ संख्या 5 व 12 पर अनुच्छेद संख्या 1.5 एवं 1.15 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा राजकीय उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों की अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समयावधि | बकाया लेखों की समयावधि | प्रदत्त पूँजी | बकाया लेखों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश | | |
|----------|---|---|---|---------------|--|-------------|--------------|
| | | | | | ऋण | सब्सिडी | कुल |
| अ | सरकारी कंपनियाँ | | | | | | |
| 1 | राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 46.06 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 2 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 2016-17 | 2017-18, 2018-19, 2019-20 | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 2016-17 | 2017-18, 2018-19, 2019-20 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 210.19 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 77.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | राजस्थान राज्य हॉटल्स निगम लिमिटेड | 2015-16 | 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2016-17 | 2017-18, 2018-19, 2019-20 | 21.95 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| 8 | बाड़मेर लिग्नाईट स्नान कम्पनी लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 67.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 4.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (अकार्यरत सरकारी कंपनी) | 2014-15 | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 | 6.01 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | योग अ | | | 554.16 | 11.70 | 1.40 | 13.10 |

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समयावधि | बकाया लेखों की समयावधि | प्रदत्त पूँजी | बकाया लेखों की अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश | | |
|----------|--------------------------------------|---|------------------------|----------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | ऋण | सब्सिडी | कुल |
| ब | सांविधिक निगम | | | | | | |
| 12 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 2018-19 | 2019-20 | 638.96 | 0.00 | 311.83 | 311.83 |
| | कुल ब | | | 638.96 | 0.00 | 311.83 | 311.83 |
| स | सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ | | | | | | |
| 13 | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल स | | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | कुल योग (अ+ब+स) | | | 1193.13 | 11.70 | 313.23 | 324.93 |

अनुबंध -1.2

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 1.17 में संदर्भित)

31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं राजकीय उपक्रमों के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | राजकीय उपक्रम के अभिलेखों के अनुसार | | | राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के अनुसार | | |
|----------|--|-------------------------------------|----------|------------------|---|----------|------------------|
| | | प्रदत्त पूँजी | बकाया ऋण | प्रतिबद्ध गारंटी | प्रदत्त पूँजी | बकाया ऋण | प्रतिबद्ध गारंटी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.64 | 0.00 |
| 2 | राजस्थान राज्य ओद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 210.19 | 5.37 | 0.00 | 193.69 | 5.37 | 0.00 |
| 3 | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 100.00 | 0.00 | 3085.63 | 100.00 | 53.48 | 3085.63 |
| 4 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढाँचागत निगम लिमिटेड | 48.67 | 278.11 | 1572.00 | 33.51 | 0.00 | 1468.75 |
| 5 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 180.34 | 0.31 | 0.00 | 180.84 | 0.11 | 0.00 |
| 6 | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड | 77.54 | 0.00 | 0.00 | 77.56 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 21.95 | 34.50 | 0.00 | 21.94 | 34.50 | 0.00 |
| 8 | राजस्थान वित्त निगम | 128.31 | 1.03 | 300.00 | 128.31 | 1.26 | 400.00 |
| 9 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 612.13 | 658.40 | 675.00 | 612.13 | 673.27 | 675.00 |
| 10 | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड | 6.01 | 16.27 | 0.00 | 4.13 | 17.51 | 0.00 |
| 11 | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 65.40 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 10465.57 | 1323.14 | 11409.91 | 10465.57 | 1264.21 | 11409.91 |

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | राजकीय उपक्रम के अभिलेखों के अनुसार | | | राजस्थान सरकार के वित्त लेखों के अनुसार | | |
|----------|---|-------------------------------------|----------------|------------------|---|----------------|------------------|
| | | प्रदत्त पूँजी | बकाया ऋण | प्रतिबद्ध गारंटी | प्रदत्त पूँजी | बकाया ऋण | प्रतिबद्ध गारंटी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 11332.51 | 1596.92 | 12238.26 | 11332.51 | 1615.76 | 12238.26 |
| 15 | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 10488.00 | 1155.02 | 12296.40 | 10488.00 | 1244.08 | 12296.40 |
| 16 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 4656.57 | 1092.46 | 6278.75 | 4691.04 | 1378.99 | 6278.75 |
| 17 | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 10417.95 | 138.07 | 21580.30 | 10417.95 | 138.10 | 21580.30 |
| | कुल | 48852.08 | 6299.60 | 69436.25 | 48883.71 | 6427.28 | 69433.00 |

अनुबंध -1.3

(पृष्ठ संख्या 14 पर अनुच्छेद संख्या 1.20 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नवीनतम लेखों, जिनको 31 दिसम्बर 2020 को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के अनुसार संक्षिप्त वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम एवं प्रकार | नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया | ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-) | शुद्ध लाभ/हानि (-) | टर्न ओवर | प्रदत्त पूँजी | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य ¹ | संचित लाभ / हानि(-) |
|----------|--|---|---|--|--------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | पॉवर एवं ऊर्जा | | | | | | | | | |
| अ | सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 1. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 3157.51 | 788.06 | 13763.74 | 10465.57 | -3973.60 | -17764.92 | -28230.49 |
| 2. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 5222.57 | 2188.15 | 18335.72 | 11332.51 | -1760.89 | -17568.95 | -28872.34 |
| 3. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 3053.11 | 9.85 | 14614.85 | 10488.00 | -4252.99 | -19276.92 | -29764.92 |
| 4. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 4259.84 | 143.80 | 16400.61 | 10417.95 | 46941.06 | 6062.68 | -4321.91 |
| 5. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 1260.41 | 148.85 | 3167.13 | 4656.57 | 14998.67 | 3424.69 | -1231.88 |
| 6. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 19.41 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 7. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 31.02 | 23.36 | 110.07 | 12.94 | 208.54 | 208.54 | 195.60 |
| 8. | छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी) | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| 9. | धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी) | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.05 |
| 10. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक | 2019-20 | 2020-21 | -95.40 | -278.05 | 0.00 | 370.05 | -989.91 | -1172.77 | -1542.82 |

¹ निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय (डीआरई) को घटाकर प्राप्त किया गया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निवल मूल्य की गणना करते समय क्रमशः ₹33.36 करोड़ तथा ₹29.12 करोड़ के डीआरई को घटाया गया था।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| क्र. सं | राजकीय उपक्रम का नाम एवं प्रकार | नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया | ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-) | शुद्ध लाभ/हानि (-) | टर्न ओवर | प्रदत्त पूँजी | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य ¹ | संचित लाभ / हानि(-) |
|---------|---|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| | कम्पनी) | | | | | | | | | |
| 11. | बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी) | 2019-20 | 2020-21 | -0.07 | -0.30 | 0.00 | 0.05 | -9.87 | -9.87 | -9.92 |
| 12. | बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी) | 2019-20 | 2020-21 | -0.02 | -1.81 | 0.00 | 0.05 | -18.86 | -18.86 | -18.91 |
| 13. | राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 7 की सहायक कम्पनी) | 2019-20 | 2020-21 | 0.51 | -0.53 | 18.69 | 0.05 | 29.69 | 29.69 | 29.64 |
| 14. | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक कम्पनी) | 2018-19 | 2019-20 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 67.08 | 65.47 | 65.47 | -1.61 |
| 15. | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संख्या 14 की सहायक कम्पनी) | 2019-20 | 2020-21 | 15.65 | 12.63 | 61.75 | 130.00 | 138.33 | 138.33 | 8.33 |
| | कुल अ | | | 16905.14 | 3034.02 | 66491.97 | 47990.92 | 51425.65 | -45832.88 | -93761.32 |
| | उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र | | | | | | | | | |
| | सरकारी कंपनियाँ | | | | | | | | | |
| 16. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 134.01 | 70.51 | 651.35 | 210.19 | 1905.12 | 1905.12 | 1694.93 |
| 17. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 | 222.47 | 149.34 | 1088.75 | 77.55 | 2260.31 | 2260.31 | 2182.76 |
| 18. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 0.70 | 0.36 | 20.51 | 6.96 | -10.18 | -18.16 | -25.12 |
| 19. | राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2020-21 | -0.63 | -0.64 | 17.56 | 46.06 | -0.95 | -4.47 | -50.53 |
| 20. | बाड़मेर लिग्नाईट स्वनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की | 2018-19 | 2019-20 | 323.54 | 71.53 | 1284.24 | 20.00 | 1644.36 | 19.66 | -0.34 |

| क्र. सं | राजकीय उपक्रम का नाम एवं प्रकार | नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया | ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-) | शुद्ध लाभ/हानि (-) | टर्न ओवर | प्रदत्त पूँजी | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य ¹ | संचित लाभ / हानि(-) |
|---------|--|---|---|--|--------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| | सहायक संयुक्त कम्पनी) | | | | | | | | | |
| | सांविधिक निगम | | | | | | | | | |
| 21. | राजस्थान वित्त निगम | 2019-20 | 2020-21 | 31.10 | -6.22 | 83.95 | 160.73 | 347.07 | 46.04 | -114.69 |
| | कुल ब | | | 711.19 | 284.88 | 3146.36 | 521.49 | 6145.73 | 4208.50 | 3687.01 |
| | वित्त क्षेत्र | | | | | | | | | |
| | सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 22. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 0.24 | 0.17 | 2.91 | 90.00 | 106.91 | 106.91 | 16.91 |
| 23. | राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 32.91 | 19.80 | 6811.09 | 2.00 | 74.48 | 74.48 | 72.48 |
| 24. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 87.35 | 57.11 | 1414.34 | 180.39 | 392.32 | 392.01 | 211.62 |
| | कुल स | | | 120.50 | 77.08 | 8228.34 | 272.39 | 573.71 | 573.40 | 301.01 |
| | कृषि, खाद्य एवं संबधित उद्योग क्षेत्र | | | | | | | | | |
| | सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 25. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 17.23 | 6.41 | 227.71 | 7.59 | 137.92 | 137.92 | 130.33 |
| 26. | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 2016-17 | 2019-20 | 6.87 | 3.51 | 475.17 | 50.00 | 86.73 | 86.73 | 36.73 |
| | अकार्यरत सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 27. | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड | 2014-15 | 2017-18 | -0.14 | -1.46 | 0.00 | 6.01 | -2.21 | -48.82 | -54.83 |
| | सांविधिक निगम | | | | | | | | | |
| 28. | राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम | 2019-20 | 2020-21 | 121.49 | 81.75 | 221.09 | 7.85 | 632.71 | 345.12 | 337.27 |

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| क्र. सं | राजकीय उपक्रम का नाम एवं प्रकार | नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया | ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-) | शुद्ध लाभ/हानि (-) | टर्न ओवर | प्रदत्त पूँजी | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य ¹ | संचित लाभ / हानि(-) |
|---------|---|---|---|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| | कुल द | | | 145.45 | 90.21 | 923.97 | 71.45 | 855.15 | 520.95 | 449.50 |
| | संस्कृति एवं पर्यटन क्षेत्र | | | | | | | | | |
| | सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 29. | राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड | 2015-16 | 2019-20 | -0.06 | -0.10 | 1.69 | 2.16 | -2.55 | -6.55 | -8.71 |
| 30. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2016-17 | 2020-21 | -6.72 | -6.76 | 61.11 | 21.95 | -118.86 | -129.86 | -151.81 |
| | कुल ई | | | -6.78 | -6.86 | 62.80 | 24.11 | -121.41 | -136.41 | -160.52 |
| | परिवहन क्षेत्र | | | | | | | | | |
| | अकार्यरत सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 31. | राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2020-21 | -0.05 | -0.06 | 0.00 | 4.49 | -1.86 | -1.86 | -6.35 |
| | सांविधिक निगम | | | | | | | | | |
| 32. | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 2018-19 | 2020-21 | 0.92 | -153.76 | 1724.74 | 638.96 | -2973.28 | -4330.79 | -4969.75 |
| | कुल फ | | | 0.87 | -153.82 | 1724.74 | 643.45 | -2975.14 | -4332.65 | -4976.1 |
| | शहरी विकास क्षेत्र | | | | | | | | | |
| | सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 33. | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | -13.89 | -39.65 | 11.57 | 1694.04 | 2023.62 | 1365.85 | -328.19 |
| 34. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 2016-17 | 2019-20 | 0.73 | 0.49 | 5.33 | 48.67 | 613.34 | 69.74 | 21.07 |
| | कुल ज | | | -13.16 | -39.16 | 16.90 | 1742.71 | 2636.96 | 1435.59 | -307.12 |
| | अन्य क्षेत्र | | | | | | | | | |

| क्र. सं | राजकीय उपक्रम का नाम एवं प्रकार | नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया | ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-) | शुद्ध लाभ/हानि (-) | टर्न ओवर | प्रदत्त पूँजी | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य ¹ | संचित लाभ / हानि(-) |
|---------|--|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| | सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 35. | राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 2.39 | 1.52 | 4.60 | 1.00 | 4.70 | 4.70 | 3.70 |
| 36. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 335.89 | 15.96 | 981.96 | 100.00 | 3117.59 | 242.98 | 142.98 |
| 37. | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 40.20 | 26.24 | 165.82 | 5.00 | 95.95 | 95.95 | 90.95 |
| 38. | राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 5.46 | 5.45 | 141.01 | 5.00 | 25.16 | 25.16 | 20.16 |
| 39. | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 27.11 | 16.11 | 840.28 | 5.00 | 71.75 | 60.48 | 55.48 |
| 40. | राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम | 2019-20 | 2020-21 | 2.13 | 2.13 | 65.00 | 0.05 | -13.00 | -13.00 | -13.05 |
| | अकार्यरत सरकारी कंपनियां | | | | | | | | | |
| 41. | राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 1.27 | -0.92 | -0.92 | -2.19 |
| | कुल ह | | | 412.98 | 67.21 | 2198.67 | 117.32 | 3301.23 | 415.35 | 298.03 |
| | कुल योग (35 सरकारी कंपनिया) | | | 18123.07 | 3433.51 | 80763.97 | 50564.53 | 63840.37 | -39156.92 | -89658.97 |
| | कुल योग (3 अकार्यरत सरकारी कंपनिया) | | | -0.39 | -1.72 | 0.00 | 11.77 | -4.99 | -51.60 | -63.37 |
| | कुल योग (3 सांविधिक निगम) | | | 153.51 | -78.23 | 2029.78 | 807.54 | -1993.50 | -3939.63 | -4747.17 |
| | कुल योग (अ से ह) (41 राजकीय उपक्रम) | | | 18276.19 | 3353.56 | 82793.75 | 51383.84 | 61841.88 | -43148.15 | -94469.51 |
| | सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ | | | | | | | | | |
| 42. | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2019-20 ² | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.65 | 8.65 | 8.64 |

² अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों के आंकड़े कंपनी द्वारा प्रदान की गयी सूचना पर आधारित हैं, जैसा कि इस प्रतिवेदन में कंपनी को प्रथम बार सम्मिलित किया गया था एवं इसके 2019-20 के लेखों को 31.12.2020 तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया था।

| क्र. सं | राजकीय उपक्रम का नाम एवं प्रकार | नवीनतम अंतिम रूप दिये गये लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया | ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि (-) | शुद्ध लाभ/हानि (-) | टर्न ओवर | प्रदत्त पूँजी | नियोजित पूँजी | निवल मूल्य ¹ | संचित लाभ / हानि(-) |
|---------|---|---|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|
| 43. | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 0.54 | 0.05 | 0.00 | 200.00 | 204.45 | 204.45 | 4.45 |
| 44. | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 208.23 | 208.23 | 8.23 |
| 45. | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 200.00 | 199.88 | 199.88 | -0.12 |
| | कुल (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 4 कंपनियाँ) | | | 0.54 | 0.03 | 0.00 | 600.01 | 621.21 | 621.21 | 21.20 |
| | कुल योग (45 राजकीय उपक्रम) | | | 18276.73 | 3353.59 | 82793.75 | 51983.85 | 62463.09 | -42526.94 | -94448.31 |

अनुबंध-1.4

(पृष्ठ संख्या 23 पर अनुच्छेद संख्या 1.28 में संदर्भित)

2000-01 से 2019-20 तक की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश एवं निवेशित कोषों के वर्तमान मूल्य के विवरणों को वर्षवार दर्शाने वाला विवरण-
पत्र

| राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए धारणाएँ | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ब्याज मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश माना गया है क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोई भी ब्याज मुक्त ऋण नहीं चुकाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन प्रकरणों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को इक्विटी में परिवर्तित किया गया था, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि में से घटाकर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ा गया है। • संबंधित वित्तीय वर्ष³ के लिये सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर पीवी की प्राप्ति के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनायी गई थी क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश हेतु सरकार द्वारा वहन की लागत को दर्शाता है एवं इस प्रकार सरकार द्वारा किये गये निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया है। | | | | | | | | | | | |

(₹ करोड़ में)

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋण | वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण ⁴ | उदय के अन्तर्गत दी गई सब्सिडी | वर्ष के दौरान कुल निवेश | सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए निधियों की लागत के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल | वर्ष के लिए कुल अर्जन ⁵ |
|--------------|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

³ सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राजस्थान सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से ली गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर = ब्याज भुगतान / [(पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं) / 2] * 100।

⁴ 2004-05 एवं 2009-10 के मध्य प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण ₹ 1070 करोड़ को 2011-12 में इक्विटी में परिवर्तित किया गया, 2011-12 में प्राप्त ₹995 करोड़ को 2015-16 में इक्विटी में परिवर्तित किया गया एवं 2012-13 में प्राप्त ₹ 1000 करोड़ को 2014-15 (₹ 729.40 करोड़) एवं 2015-16 (₹ 270.60 करोड़) के दौरान जीओआर के बकाया के विरुद्ध समायोजन किया गया।

⁵ वर्ष के लिये कुल अर्जन जिन 32 एसपीएसईज में राज्य सरकार द्वारा धन का निवेश किया गया था में संबंधित वर्ष हेतु शुद्ध अर्जनों के योग (लाभ/हानि) को दर्शाता है। तथापि दो कंपनियों (आरवीयूएनएल एवं आरवीपीएनएल) एवं तीन राज्य डिस्कॉम्स (जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल) ने अपने वार्षिक लेखे 'न लाभ न हानि' के आधार पर तैयार किये तथा आय एवं व्यय के अंतर को 'राजस्व गैप के विरुद्ध

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजकीय उपक्रमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संख्या-4

| i | ii | iii | iv | v | vi | vii =iii+iv+vi- v | viii | ix=ii+vii | x={ix*(1+viii)/ 100} | xi={ix*viii/100} | xii |
|--|----------|---------------|--------------|---------|----|----------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------|
| राज्य सरकार द्वारा निवेश (उदय को निवेश माने बिना) | | | | | | | | | | | |
| 1999-00 तक | - | 412.44 | 36.80 | - | - | 449.24 | 10.40 | 1164.89 | 1286.04 | - | - |
| 2000-01 | 1286.04 | 383.14 | -0.49 | 0.00 | - | 382.65 | 10.50 | 1668.69 | 1843.90 | 175.21 | -57.52 |
| 2001-02 | 1843.90 | 363.20 | -3.34 | 0.00 | - | 359.86 | 10.50 | 2203.76 | 2435.16 | 231.40 | -45.32 |
| 2002-03 | 2435.16 | 344.48 | -3.52 | 0.00 | - | 340.96 | 10.00 | 2776.12 | 3053.73 | 277.61 | -17.91 |
| 2003-04 | 3053.73 | 417.22 | -0.84 | 0.00 | - | 416.38 | 9.60 | 3470.11 | 3803.25 | 333.14 | 12.23 |
| 2004-05 | 3803.25 | 379.46 | 187.94 | 0.00 | - | 567.40 | 9.10 | 4370.65 | 4768.38 | 397.73 | 146.53 |
| 2005-06 | 4768.38 | 645.49 | 144.49 | 0.00 | - | 789.98 | 8.20 | 5558.36 | 6014.14 | 455.78 | 214.11 |
| 2006-07 | 6014.14 | 695.30 | 149.61 | 0.00 | - | 844.91 | 8.30 | 6859.05 | 7428.35 | 569.30 | 267.36 |
| 2007-08 | 7428.35 | 1070.50 | 149.15 | 0.00 | - | 1219.65 | 8.00 | 8648.00 | 9339.84 | 691.84 | 379.45 |
| 2008-09 | 9339.84 | 1339.87 | 249.31 | 0.00 | - | 1589.18 | 7.70 | 10929.02 | 11770.56 | 841.54 | -1043.55 |
| 2009-10 | 11770.56 | 1299.56 | 169.28 | 0.00 | - | 1468.84 | 7.70 | 13239.40 | 14258.84 | 1019.44 | -676.99 |
| 2010-11 | 14258.84 | 1744.24 | -0.31 | 0.00 | - | 1743.93 | 7.70 | 16002.77 | 17234.98 | 1232.21 | -21058.37 |
| 2011-12 | 17234.98 | 2891.34 | 989.21 | 1070.00 | - | 2810.55 | 7.70 | 20045.53 | 21589.03 | 1543.50 | -19168.65 |
| 2012-13 | 21589.03 | 4661.61 | 1102.98 | 0.00 | - | 5764.59 | 7.40 | 27353.62 | 29377.78 | 2024.16 | -11773.13 |
| 2013-14 | 29377.78 | 4722.17 | 132.30 | 0.00 | - | 4854.47 | 7.30 | 34232.25 | 36731.21 | 2498.96 | -15413.39 |
| 2014-15 | 36731.21 | 4371.78 | 1443.63 | 729.40 | - | 5086.01 | 7.50 | 41817.22 | 44953.51 | 3136.29 | -14866.61 |
| 2015-16 | 44953.51 | 9492.69 | 497.20 | 1265.60 | - | 8724.29 | 6.70 | 53677.80 | 57274.22 | 3596.42 | -12222.56 |

राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता के रूप में दर्शाया जब तक उन्होंने क्रमशः वर्ष 2008-09 से आगे एवं 2010-11 से लाभ/हानि दर्शाते हुए वाणिज्यिक लेखांकन सिद्धान्तों पर अपने वार्षिक लेखे तैयार करना प्रारंभ नहीं किया। अतः इन पांच कम्पनियों के लाभों/हानियों के संबंध में उस वर्ष से विचार किया गया जिसमें इन कम्पनियों ने वाणिज्यिक लेखांकन सिद्धान्तों पर वार्षिक लेखे तैयार करना प्रारंभ किया।

| वित्तीय वर्ष | वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निविशित इक्विटी | वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ब्याज मुक्त ऋण | वर्ष के दौरान परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण ⁴ | उदय के अन्तर्गत दी गई सब्सिडी | वर्ष के दौरान कुल निवेश | सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में) | वर्ष के अंत में कुल निवेश | वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य | वर्ष के लिए निधियों की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल | वर्ष के लिए कुल अर्जन ⁵ |
|---|--|--|--|---|-------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|--|--|------------------------------------|
| i | ii | iii | iv | v | vi | vii =iii+iv+vi-v | viii | ix=ii+vii | x={ix*(1+viii)/100} | xi={ix*viii/100} | xii |
| 2016-17 | 57274.22 | 4130.49 | -811.32 | 0.00 | - | 3319.17 | 7.60 | 60593.39 | 65198.49 | 4605.10 | -1395.49 |
| 2017-18 | 65198.49 | 3850.42 | 427.68 | 0.00 | - | 4278.10 | 7.30 | 69476.59 | 74548.38 | 5071.79 | 2057.58 |
| 2018-19 | 74548.38 | 3822.35 | 256.15 | 0.00 | - | 4078.50 | 7.30 | 78626.88 | 84366.64 | 5739.76 | 2893.35 |
| 2019-20 | 84366.64 | 2095.49 | 155.51 | 0.00 | - | 2251.00 | 7.10 | 86617.64 | 92767.49 | 6149.85 | 3550.08 |
| कुल | | 49133.24 | 5271.42 | 3065.00 | - | | | | | | |
| राज्य सरकार द्वारा निवेश (उदय को निवेश मानते हुये) (2016-20) | | | | | | | | | | | |
| 2016-17 | 57274.22 | 4130.49 | -811.32 | 0.00 | 9000.00 | 12319.17 | 7.60 | 69593.39 | 74882.49 | 5289.10 | -1395.49 |
| 2017-18 | 74882.49 | 3850.42 | 427.68 | 0.00 | 12000.00 | 16278.10 | 7.30 | 91160.59 | 97815.31 | 6654.72 | 2057.58 |
| 2018-19 | 97815.31 | 3822.35 | 256.15 | 0.00 | 12000.00 | 16078.50 | 7.30 | 113893.81 | 122208.06 | 8314.25 | 2893.35 |
| 2019-20 | 122208.06 | 2095.49 | 155.51 | 0.00 | 13816.47 | 16067.47 | 7.10 | 138275.53 | 148093.09 | 9817.56 | 3550.08 |
| कुल | | 49133.24 | 5271.42 | 3065.00 | 46816.47 | | | | | | |

अनुबंध 2.1

(पृष्ठ संख्या 29 पर अनुच्छेद 2.7 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षक ने एएस/इंड एएस की अनुपालना नहीं किए जाने को प्रतिवेदित किया, को दर्शानेवाला विवरण पत्र

| क्र.सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | वित्तीय विवरण का वर्ष | एएस/इंड एएस |
|---------|--|-----------------------|-------------------------|
| 01 | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 2019-20 | इंड एएस 12 |
| 02 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 2019-20 | इंड एएस 16,19,28,37,110 |
| 03 | गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड | 2019-20 | इंड एएस 36 |
| 04 | बांसवाड़ा थर्मल पावर लिमिटेड | 2019-20 | इंड एएस 109 |
| 05 | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 | एएस 10,12,16, 22,28,29 |
| 06 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 | एएस 10,12,16,28,29 |
| 07 | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 | एएस 10,12,16,28,29 |
| 08 | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड | 2019-20 | एएस 28 |
| 09 | राजस्थान वित्तीय निगम | 2019-20 | एएस 9 |
| 10 | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 2019-20 | एएस 26,29 |
| 11 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड | 2019-20 | एएस 2,36,37 |
| 12 | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | 2019-20 | एएस 12,15,28 |
| 13 | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2016-17 | एएस 15,18 |

अनुबंध 2.2

(पृष्ठ संख्या 30 पर अनुच्छेद 2.9 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिनके वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन अवधि के दौरान सीएजी की टिप्पणियां जारी की गई थी, को दर्शाने वाला विवरण पत्र

| क्र.सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | वित्तीय विवरण वर्ष |
|---------|--|--------------------|
| 01 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 02 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 03 | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 04 | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 05 | राजस्थान वित्तीय निगम | 2019-20 |
| 06 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 07 | राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 08 | राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड | 2018-19 |
| 09 | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 10 | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 11 | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | 2018-19 |
| 12 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 2016-17 |
| 13 | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 2016-17 |
| 14 | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2016-17 |

अनुबंध 2.3

(पृष्ठ संख्या 41 पर अनुच्छेद 2.14 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रमों के नाम, जिन्हें प्रबंधन पत्र जारी किये गये थे, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

| क्र.सं. | राजकीय उपक्रम के नाम | वित्तीय विवरण का वर्ष |
|---------|---|-----------------------|
| 1 | गिरल लिग्नाइट पावर लिमिटेड | 2019-20 |
| 2 | धौलपुर गैस पावर लिमिटेड | 2019-20 |
| 3 | छाबड़ा पावर लिमिटेड | 2019-20 |
| 4 | राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 2019-20 |
| 5 | बाड़मेर तापीय ऊर्जा कंपनी लिमिटेड | 2019-20 |
| 6 | बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कंपनी लिमिटेड | 2019-20 |
| 7 | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 8 | राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 9 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड | 2019-20 |
| 10 | राजाथन भूतपूर्व सैनिक कंपनी लिमिटेड | 2019-20 |
| 11 | राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम एवं निर्माण लिमिटेड | 2019-20 |
| 12 | जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड | 2019-20 |
| 13 | राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम | 2019-20 |
| 14 | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा सेवा निगम लिमिटेड | 2019-20 |
| 15 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 16 | राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 17 | राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड | 2018-19 |
| 18 | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 19 | राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 20 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड | 2018-19 |
| 21 | राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण कंपनी लिमिटेड | 2018-19 |

| क्र.सं. | राजकीय उपक्रम के नाम | वित्तीय विवरण का वर्ष |
|---------|--|-----------------------|
| 22 | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 23 | जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड | 2018-19 |
| 24 | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | 2016-17 |
| 25 | राजस्थान राज्य स्नाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 2016-17 |
| 26 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 2016-17 |

अनुच्छेद 3.1

(पृष्ठ संख्या 45, 46, 52, 53, 55, 57 व 58 पर अनुच्छेद संख्या 3.5,3.6,3.11,3.12,3.13,3.16 एवं 3.17 में संदर्भित)

स्वतंत्र/महिला निदेशक/लेखापरीक्षा समिति/एनआरसी/ केएमपी की आवश्यकता एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आयोजित बोर्ड की बैठक/लेखापरीक्षा समिति की बैठक को दर्शाने वाला विवरण पत्र

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | आवश्यकता | | स्वतंत्र निदेशको की संख्या | | आवश्यकता | | | बोर्ड बैठको की संख्या | लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या |
|----------|--|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | स्वतंत्र निदेशक | महिला निदेशक | 31.3.2019 | 31.3.2020 | लेखापरीक्षा समिति | एनआरसी | केएमपी | | |
| 1 | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 8 | 3 |
| 2 | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 10 | 3 |
| 3 | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 7 | 2 |
| 4 | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | 1 | हाँ | हाँ | हाँ | 8 | 6 |
| 5 | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 6 | 3 |
| 6 | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | 2 | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 4 |
| 7 | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | 2 | 1 | हाँ | हाँ | हाँ | 8 | 3 |
| 8 | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 1 |
| 9 | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | नहीं | 4 | 1 |
| 10 | राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 1 | 0 |
| 11 | राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | शून्य | 2 | हाँ | हाँ | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 12 | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | हाँ | हाँ | शून्य | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 3 | लागू नहीं |
| 13 | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 3 | 1 |

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | आवश्यकता | | स्वतंत्र निदेशको की संख्या | | आवश्यकता | | | बोर्ड बैठको की संख्या | लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या |
|----------|--|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | स्वतंत्र निदेशक | महिला निदेशक | 31.3.2019 | 31.3.2020 | लेखापरीक्षा समिति | एनआरसी | केएमपी | | |
| 14 | राजस्थान राज्य स्नाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 3 | 2 |
| 15 | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | नहीं | 4 | 2 |
| 16 | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | 1 |
| 17 | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | 2 | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 2 | 2 |
| 18 | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | 2 | हाँ | हाँ | हाँ | 2 | 1 |
| 19 | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 4 | विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया |
| 20 | राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड | हाँ | नहीं | 2 | 2 | हाँ | हाँ | नहीं | 4 | 1 |
| 21 | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | हाँ | हाँ | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | नहीं | 4 | 1 |
| 22 | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | 1 | हाँ | हाँ | हाँ | 5 | 1 |
| 23 | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 2 | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 3 | 1 |
| 24 | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड | हाँ | हाँ | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | हाँ | 1 | एसी गठित नहीं की गई |
| 25 | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | हाँ | हाँ | 1 | 1 | हाँ | हाँ | हाँ | 3 | 1 |
| 26 | राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड | हाँ | नहीं | शून्य | शून्य | हाँ | हाँ | नहीं | 4 | 2 |
| 27 | राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | अनुपलब्ध | अनुपलब्ध | नहीं | नहीं | नहीं | 3 | लागू नहीं |

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | आवश्यकता | | स्वतंत्र निदेशको की संख्या | | आवश्यकता | | | बोर्ड बैठको की संख्या | लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या |
|----------|---|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------|----------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | स्वतंत्र निदेशक | महिला निदेशक | 31.3.2019 | 31.3.2020 | लेखापरीक्षा समिति | एनआरसी | केएमपी | | |
| 28 | राजस्थान राज्य हॉटल्स निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 29 | राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ⁶ | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 3 | लागू नहीं |
| 30 | राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 31 | राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 1 | लागू नहीं |
| 32 | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | अनुपलब्ध | 4 | लागू नहीं |
| 33 | बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 34 | बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 35 | छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 3 | लागू नहीं |
| 36 | धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 3 | लागू नहीं |
| 37 | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | नहीं | हाँ | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 4 | लागू नहीं |
| 38 | राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | नहीं | 4 | लागू नहीं |
| 39 | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड | नहीं | नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 1 | लागू नहीं |
| 40 | बाड़मेर लिग्नाइट स्वनन कम्पनी लिमिटेड | नहीं | हाँ | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 3 | लागू नहीं |
| 41 | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड | नहीं | हाँ | लागू नहीं | लागू नहीं | नहीं | नहीं | हाँ | 3 | लागू नहीं |

6 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत निगमित कम्पनी ।

अनुबंध -3.2
(पृष्ठ संख्या 62 व 63 पर अनुच्छेद संख्या 3.21 एवं 3.22 में संदर्भित)
आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति | आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ संबोधित की गई |
|----------|--|---|--|
| 1. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | वार्षिक | निदेशक मंडल |
| 2. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | छमाही एवं वार्षिक | निदेशक मंडल |
| 3. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | छमाही | निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति |
| 4. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | व्यय लेखापरीक्षा वार्षिक आधार पर एवं राजस्व लेखापरीक्षा छमाही आधार पर | निदेशक(वित्त) को तिमाही आधार पर एवं बोर्ड को छमाही आधार पर |
| 5. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | वार्षिक | मुख्य लेखा अधिकारी (आईए) |
| 6. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | तिमाही | निदेशक मंडल |
| 7. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | छमाही के आधार पर | वित्तीय सलाहकार |
| 8. | राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | विवरण प्रदान नहीं किया | |
| 9. | राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड | तिमाही | महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) |
| 10. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | तिमाही | वित्तीय सलाहकार |
| 11. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | वार्षिक | प्रबंध निदेशक |
| 12. | राजस्थान राज्य स्याद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | तिमाही के आधार पर | 2019-20 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया गया |

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम का नाम | आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति | आंतरिक लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ संबोधित की गईं |
|----------|---|--|--|
| 13. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | छमाही के आधार पर | लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से निदेशक मंडल |
| 14. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | छमाही के आधार पर | लेखापरीक्षा समिति |
| 15. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | 2019-20 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई | |
| 16. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्वनिज लिमिटेड | वार्षिक | लेखापरीक्षा समिति |
| 17. | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | प्रत्येक माह | कार्यकारी निदेशक (वित्त) |
| 18. | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | तिमाही | निदेशक (वित्त) |
| 19. | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | वार्षिक | मुख्य कार्यकारी अधिकारी |
| 20. | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2019-20 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई | |
| 21. | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | तिमाही | मुख्य वित्तीय अधिकारी |
| 22. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | वार्षिक | मुख्य अभियंता |
| 23. | बाड़मेर लिग्नाईट स्नान कम्पनी लिमिटेड | तिमाही | निदेशक मंडल |
| 24. | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड | वार्षिक | प्रबंध निदेशक |
| 25. | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड | वार्षिक | वित्तीय सलाहकार |

अनुबंध 4.1

(पृष्ठ संख्या 67 व 69 पर अनुच्छेद 4.4, 4.7 एवं 4.8 में संदर्भित)

राजकीय उपक्रम, जिन्हें सीएसआर समिति का गठन करना आवश्यक था एवं सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की गई राशि को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

| क्र. सं. | राजकीय उपक्रम जिनमें सीएसआर समिति का गठन आवश्यक था | सीएसआर समिति के गठन की दिनांक | सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशक | सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या | अग्रणीत प्रारंभिक शेष | वर्ष के लिए दो प्रतिशत राशि | वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि | अग्रणीत अंतिम शेष |
|----------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | | | (राशि: ₹ लाख में) | | | |
| 1. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | 13.11.2017 | नियुक्त नहीं किया गया | शून्य | 0 | 0 | 247.54 | 0 |
| 2. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | 16.03.2015 | हाँ | 2 | 734.05 | 0 | 536.64 | 197.41 |
| 3. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 16.09.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 26.06.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | 30.07.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | 02.07.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 48.04 | 44.51 | 92.00 | 0.55 |
| 7. | राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 15.09.2017 | आवश्यक नहीं है | 1 | 18.08 | 25.54 | 42.76 | 0.86 |
| 8. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | 31.03.2017 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 35.48 | 13.16 | 0 | 48.64 |
| 9. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | 26.06.2015 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 0 | 107.2 | 107.20 | 0.00 |
| 10. | राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड | 01.04.2015 | नियुक्त नहीं किया गया | शून्य | 0 | 59.84 | 0 | 59.84 |
| 11. | राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | 12.03.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | 3 | 0 | 323.85 | 55.5 | 268.35 |
| 12. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | 13.11.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 0 | 51 | 0 | 51.00 |
| 13. | जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 26.08.2015 | हाँ | शून्य | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14. | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | 25.01.2017 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 26.11 | 37.12 | 17.63 | 45.60 |
| 15. | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 29.09.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | शून्य | 0 | 16.62 | 0 | 16.62 |
| 16. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | 30.06.2014 | नियुक्त नहीं किया गया | 1 | 34.66 | 24.13 | 0 | 58.79 |
| 17. | राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड | 12.12.2014 | हाँ | 1 | 1716.26 | 390.88 | 193.26 | 1913.88 |
| 18. | बाड़मेर लिग्नाइट खनन कंपनी लिमिटेड | 16.07.2014 | आवश्यक नहीं है | शून्य | 0 | 54.35 | 54.35 | 0.00 |
| 19. | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड | 23.12.2019 | आवश्यक नहीं है | शून्य | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1.17 |
| 20. | राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड | 03.07.2015 | हाँ | शून्य | 119.23 | 32.27 | 0 | 151.50 |
| | | | | | 2731.91 | 1181.64 | 1346.88 | 2814.21 |

अनुच्छेद 5.1

(पृष्ठ संख्या 88 व 91 पर अनुच्छेद संख्या 5.4 एवं 5.9 में संदर्भित)

आरटीपीपी अधिनियम/नियमों की सामान्य अनुपालना एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा आमंत्रित निविदाओं की संख्या तथा प्रापण के मूल्य को दर्शाने वाला विवरण पत्र

| क्रम संख्या | क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (राजकीय उपक्रमों) का नाम | प्रापण पंजिका का संधारण मैनुअली/सॉफ्ट प्रतिकरूप में किया गया अथवा नहीं किया गया | राजकीय उपक्रम द्वारा स्थायी समिति का गठन/ प्रकरणवार समिति का गठन | आमंत्रित टेंडर की संख्या (संख्या अंको में) | प्रापण का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|-------------|--|---|--|--|-------------------------------|
| 1. | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 9 | 0.59 |
| 2. | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड | मैनुअल | प्रकरण के आधार पर | 10 | 22.08 |
| 3. | राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम | संधारित नहीं | प्रकरण के आधार पर | 27 | 520.41 |
| 4. | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड | प्रापण नहीं- परिसमापन के अधीन | | | |
| 5. | राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 14 | 0.34 |
| 6. | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 1236 | 353.59 |
| 7. | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 6 | 3.36 |
| 8. | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 74 | 673.35 |
| 9. | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 59 | 607.10 |
| 10. | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 113 | 1829.96 |
| 11. | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 11 | 0.73 |
| 12. | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | प्रकरण के आधार पर | 24 | 458.44 |
| 13. | राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड | सॉफ्ट प्रति | प्रकरण के आधार पर | 3 | 196.11 |
| 14. | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड | मैनुअल | प्रकरण के आधार पर | 11 | 1.30 |
| 15. | धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड | - | प्रापण नहीं | - | - |
| 16. | छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड | - | प्रापण नहीं | - | - |
| 17. | बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | - | प्रापण नहीं | - | - |

| क्रम संख्या | क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (राजकीय उपक्रमों) का नाम | प्रापण पंजिका का संधारण मैनुअली/सॉफ्ट प्रतिरूप में किया गया अथवा नहीं किया गया | राजकीय उपक्रम द्वारा स्थायी समिति का गठन/ प्रकरणवार समिति का गठन | आमंत्रित टेंडर की संख्या (संख्या अंको में) | प्रापण का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|-------------|--|--|--|--|-------------------------------|
| 18. | बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड | - | प्रापण नहीं | - | - |
| 19. | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | प्रापण नहीं | - | - |
| 20. | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड | सॉफ्ट प्रति | प्रकरण के आधार पर | 51 | 40.86 |
| 21. | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 8 | 0.04 |
| 22. | राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 99 | 26.17 |
| 23. | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड | सॉफ्ट प्रति | स्थायी समिति | 64 | 1285.99 |
| 24. | राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 20 | 21.38 |
| 25. | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड | सॉफ्ट प्रति | स्थायी समिति | 26 | 76.78 |
| 26. | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | - | - |
| 27. | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 20 | 47.88 |
| 28. | राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड | मैनुअल | प्रकरण के आधार पर | - | - |
| 29. | राजस्थान वित्त निगम | मैनुअल | स्थायी समिति | 9 | 0.08 |
| 30. | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 21 | 2130.23 |
| 31. | राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 9 | 0.29 |
| 32. | राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड | मैनुअल | प्रकरण के आधार पर | 34 | 19.00 |
| 33. | बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड | सॉफ्ट प्रति | स्थायी समिति | 9 | 0.36 |
| 34. | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 4 | 53.73 |
| 35. | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम | सॉफ्ट प्रति | स्थायी समिति | 92 | 885.84 |
| 36. | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड | सूचना प्रदान नहीं की गई | स्थायी समिति | 3 | 3.83 |
| 37. | राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड | संधारित नहीं | स्थायी समिति | 1 | 0.35 |

| क्रम संख्या | क्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (राजकीय उपक्रमों) का नाम | प्रापण पंजिका का संधारण मैनुअली/सॉफ्ट प्रतिरूप में किया गया अथवा नहीं किया गया | राजकीय उपक्रम द्वारा स्थायी समिति का गठन/ प्रकरणवार समिति का गठन | आमंत्रित टेंडर की संख्या (संख्या अंको में) | प्रापण का मूल्य (₹ करोड़ में) |
|-------------|--|--|--|--|-------------------------------|
| 38. | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड | मैनुअल | प्रकरण के आधार पर | 30 | 14.44 |
| 39. | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | सॉफ्ट प्रति | स्थायी समिति | 33 | 176.35 |
| 40. | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 25 | 310.19 |
| 41. | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड | सॉफ्ट प्रति | स्थायी समिति | 16 | 442.90 |
| 42. | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 36 | 64.53 |
| 43. | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड | मैनुअल | स्थायी समिति | 7 | 0.48 |
| 44. | राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड | प्रापण गतिविधि नहीं-अकार्यरत कंपनी | | | |
| 45. | राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड | प्रापण गतिविधि नहीं-अकार्यरत कंपनी | | | |
| | कुल | | | 2214 | 10269.06 |

| संक्षेप की शब्दावली | |
|---------------------|--|
| एएससीएल | अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड |
| एवीवीएनएल | अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| बांसवाड़ा टीपीसीएल | बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड |
| बाड़मेर टीपीसीएल | बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड |
| बीएलएमसीएल | बाड़मेर लिग्नाइट स्वनन कंपनी लिमिटेड |
| सीपीएल | छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड |
| डीजीपीएल | धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड |
| जीएलपीएल | गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड |
| जेडीवीवीएनएल | जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| जेएमआरसीएल | जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड |
| जेएससीएल | जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड |
| जेवीवीएनएल | जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड |
| केएससीएल | कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड |
| आरसीएसीएल | राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड |
| आरईएससीएल | राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड |
| आरएफसी | राजस्थान वित्त निगम |
| आरआईआईसीओ | राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड |
| आरआईएसएल | राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड |
| आरजेवीएनएल | राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड |
| आरएमएससीएल | राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड |
| आरपीएचसीसीएल | राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड |
| आरआरईसीएल | राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड |
| आरआरवीपीएनएल | राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड |
| आरआरवीयूएनएल | राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड |
| आरएसएआईसीएल | राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड |
| आरएसबीसीएल | राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड |
| आरएसडीसीएल | राजस्थान सोलरपार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड |
| आरएसएफ एंड सीएससीएल | राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड |
| आरएसजीएल | राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड |
| आरएसजीएसएमएल | राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड |
| आरएसएचसीएल | राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड |
| आरएसएचडीसीएल | राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड |
| आरएसआईसीएल | राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड |
| आरएसएलडीसी | राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम |

| | |
|-----------------------------|--|
| आरएसएमएमएल | राजस्थान राज्य स्वान एवं स्निज लिमिटेड |
| आरएसपीसीएल | राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड |
| आरएसपीएफ एण्ड एफएससीएल | राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड |
| आरएसआरडीसीसीएल | राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड |
| आरएसआरटीसी | राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम |
| आरएसएससीएल | राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड |
| आरएसडब्ल्यूसी | राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम |
| आरटीडीसीएल | राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड |
| आरयूडीडब्ल्यूएस एण्ड आईसीएल | राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड |
| आरयूवीएनएल | राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड |
| यूएससीएल | उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड |

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/en>